लोक सभा के साठ वर्ष:
एक अध्ययन

लोक सभा के साठ वर्ष:
एक अध्ययन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

सं. 9-पी.आर.आई.एस. (ईएण्डएस)/2012

© लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली, 2012

मूल्य: ₹ 350.00

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (चौदहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और जैनको आर्ट इंडिया, 13/10, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।

प्राक्कथन

हमारी संसद एक प्रातिनिधिक संस्था है जो भारत की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं की द्योतक है। यह अपनी स्थापना के समय से ही जनता की बदलती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में प्रगतिशील विधानों के जरिए संविधान द्वारा विहित सामाजिक परिवर्तन की अपनी भूमिका का प्रभावी निर्वहन करती रही है। इस सर्वोच्च विधायी संस्था ने सुपरिभाषित प्रक्रिया नियमों के अनुसार और सभी सम्माननीय सदस्यों की सक्रिय सहभागिता के साथ अपने कर्तव्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन किया है।

13 मई, 2012 लोक सभा की पहली बैठक की साठवीं वर्षगांठ है। इन छह दशकों में, लोक सभा अनेक रोचक विकासात्मक गतिविधियों की साक्षी रही है। देश की जनसंख्या और आर्थिक क्षमता बढ़ी है। निर्वाचक मंडल का आकार भी बढ़ा है। आज, लोक सभा का सदस्य 1952 में 3.5 लाख की तुलना में औसतन 13 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। समय के साथ, संसद और अधिक पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनी है। इस प्रकाशन 'लोक सभा के साठ वर्ष: एक अध्ययन' में विभिन्न लोक सभाओं की कालावधि, सत्र, बैठकें और किए गए कार्य आदि जैसे अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। यह वस्तुत: हमारी सर्वोच्च निर्वाचित संस्था के कार्यकलापों का संक्षिप्त लेखा-जोखा है।

मैं इस रोचक और ज्ञानवर्धक प्रकाशन के लिए लोक सभा सचिवालय की सराहना करती हूं।

मीरा कुमार

नई दिल्ली
अप्रैल 2012

श्रीमती मीरा कुमार
अध्यक्ष
लोक सभा

आमुख

भारत की संसद में राष्ट्रपति, राज्य सभा तथा लोक सभा शामिल हैं। 1951-52 में हुए पहले आम चुनाव के बाद पहली लोक सभा का गठन 17 अप्रैल, 1952 को हुआ तथा नवगठित लोक सभा की पहली बैठक 13 मई, 1952 को हुई। तब से चौदह और आम चुनाव हो चुके हैं और तद्नुसार चौदह लोक सभाएं गठित की जा चुकी हैं। वर्तमान लोक सभा इस क्रम की पन्द्रहवीं लोक सभा है, जो 18 मई, 2009 को गठित हुई।

छह दशकों के इस नानाविध घटनाओं भरे काल में लोक सभा ने बड़ी कुशलतापूर्वक विधि-निर्माण, प्रशासन संचालन, राष्ट्रीय नीतियों का अनुमोदन, बजट पारित करने के साथ-साथ लोक हितों के अनेक मामलों पर विचार किया है, जनता की समस्याओं को मुखरित किया है तथा देश में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए अथक परिश्रम किया है। मुख्यतया हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के कारण आज भारत का आविर्भाव एक विश्व शक्ति के रूप में हुआ है।

लोक सभा की पहली बैठक की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रकाशित यह पुस्तक लोक सभा द्वारा 60 साल की अवधि में किए गए कार्य का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने का विनम्र प्रयास है। इस प्रकाशन में चौदह लोक सभाओं से संबंधित संपूर्ण विवरण तथा पन्द्रहवीं लोक सभा के अब तक हुए पहले नौ सत्रों का ब्यौरा दिया गया है। सभा के कार्यकरण के मुख्य क्षेत्रों का ब्यौरा देने का हर संभव प्रयास किया गया है। तथापि यह एक ऐसा वृहत् प्रकाशन नहीं है जिसमें सभा के कार्यकरण के प्रत्येक पहलू का समावेश हो। सही आंकड़े देने का पूरा प्रयास किया गया है। तथापि, कई स्थानों पर स्रोतों तथा समयावधि के आधार पर आंकड़ों में कुछ भिन्नता हो सकती है। जहां आवश्यक हुआ, पादटिप्पण दिए गए हैं।

आशा है कि यह प्रकाशन संसद सदस्यों तथा संसदीय संस्थाओं के कार्यकरण में रुचि रखने वाले सुधी पाठकों के लिए ज्ञानप्रद और उपयोगी सिद्ध होगा।

नई दिल्ली
अप्रैल 2012

टी. के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

विषय-सूची

पृष्ठ

प्राक्कथन ..... (i)

आमुख ..... (iii)

तालिका सूची ..... (vii)

ग्राफ सूची ..... (ix)

अध्याय एक

प्रस्तावना 1

अध्याय दो

लोक सभा—एक अवलोकन 3

अध्याय तीन

लोक सभा: अवधि, सत्र और बैठकें 12

सभा की अवधि 12

आयोजित सत्र 13

आयोजित बैठकें एवं उनमें लगा समय 16

अध्याय चार

विभिन्न प्रकार के कार्य एवं उनमें लगा समय 19

प्रश्न 19

विधायन: सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक 20

वित्तीय कार्य: बजट एवं संबंधित मामले 21

प्रस्ताव 22

चर्चा (अल्पकालिक और आधे घंटे की चर्चा) 23

संकल्प 23

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा 24

ध्यानाकर्षण 25

स्थगन प्रस्ताव 25

नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले 26

वक्तव्य 26

व्यवधान/स्थगन के कारण समय की बर्बादी 32

पृष्ठ

अध्याय पांच

निष्पादित कार्य: मात्रात्मक आयाम 34

विधायन: सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक 34

विषयवार अधिनियमों की संख्या 34

प्रश्न 38

संकल्प 46

सभा पटल पर रखे गए पत्र 46

अध्याय छह

संसदीय समितियां 50

लोक सभा के अंतर्गत समितियां 50

राज्य सभा के अंतर्गत समितियां 51

अध्याय सात

विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव 56

प्रक्रिया नियम 56

विभिन्न लोक सभाओं में प्रस्ताव 56

विभिन्न प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान प्रस्ताव 65

वाद-विवाद की अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष 66

लिया गया समय 67

परिणाम 67

अध्याय आठ

प्रक्रियात्मक पहल और नवाचार 68

संसदीय समितियां 68

प्रक्रियात्मक नवाचार 72

अध्याय नौ

संसद सदस्यों का सामाजिक-आर्थिक विवरण 77

आयु-विवरण 77

शैक्षिक पृष्ठभूमि 81

व्यावसायिक ब्यौरा 85

महिला सदस्य 85

तालिका सूची

पृष्ठ

- लोक सभा और इसके अध्यक्ष 4
- लोक सभा और इसके उपाध्यक्ष 5
- सदन के नेता (लोक सभा) 6
- नेता प्रतिपक्ष, (लोक सभा) 1969 से 7
- आम चुनावों के बाद लोक सभा की संरचना 10
- लोक सभा और इसके सचिव/महासचिव 11
- प्रत्येक लोक सभा का कार्यकाल और उसके सत्रों की संख्या 14
- आयोजित बैठकें और लिया गया समय 17
- विभिन्न कार्यों में लिया गया समय 27
- बजटों पर व्यय समय 30
- व्यवधानों/स्थगनों के कारण नष्ट समय 32
- पुर:स्थापित और पारित विधेयक 35
- पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विधेयकों का विषयवार वर्गीकरण 37
- संसदीय प्रश्न: कुल प्राप्त सूचनाएं और गृहीत/उत्तरित प्रश्न 42
- संसदीय प्रश्न: तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न 44
- प्रस्तुत, चर्चा किए गए, स्वीकृत, अस्वीकृत तथा वापिस लिए गए संकल्प 47
- सभा पटल पर रखे गए पत्र 48
- वित्तीय समितियों द्वारा किए गए कार्य का परिमाण 52
- विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों द्वारा किए गए कार्य का परिमाण 54
- अन्य समितियों द्वारा किए गए कार्य का परिमाण 55
- विभिन्न लोक सभाओं में गृहीत अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव 57
- सदस्यों का आयु वर्ग के आधार पर वर्गीकरण 78

पृष्ठ

- सदस्यों की औसत आयु 80
- सदस्यों की शैक्षिक पृष्ठभूमि 82
- सदस्यों की व्यावसायिक पृष्ठभूमि 86
- महिलाओं का प्रतिनिधित्व तथा महिला सदस्यों का विधानमंडलों में कार्य करने का पूर्व अनुभव 90
- महिला सदस्यों का आयु वर्ग के आधार पर वर्गीकरण 92
- महिला सदस्यों की शैक्षिक पृष्ठभूमि 95
- महिला सदस्यों की व्यावसायिक पृष्ठभूमि 99

ग्राफ सूची

पृष्ठ

- लोक सभा का कार्यकाल दिनों में 15
- आयोजित सत्रों की संख्या 15
- आयोजित बैठकें और उनमें लगा समय 18
- बैठक की औसत अवधि 18
- विधायन, बजट और प्रश्नों पर व्यय समय (घंटों में) 29
- लिया गया कुल समय और वित्तीय कार्य पर व्यय समय 31
- कुल व्यय समय तथा व्यवधानों स्थगनों के कारण नष्ट समय 33
- पुर:स्थापित और पारित सरकारी विधेयक 36
- पुर:स्थापित और पारित गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक 36
- प्रशासनिक मामलों पर पारित और अनुमति प्राप्त विधेयकों की संख्या 39
- न्यायिक एवं विधिक मामलों पर पारित और अनुमति प्राप्त विधेयकों की संख्या 39
- संवैधानिक मामलों पर पारित और अनुमति प्राप्त विधेयकों की संख्या 40
- विधायी मामलों पर पारित और अनुमति प्राप्त विधेयकों की संख्या 40
- वित्तीय एवं आर्थिक मामलों पर पारित और अनुमति प्राप्त विधेयकों की संख्या ... 41
- सामाजिक मामलों पर पारित और अनुमति प्राप्त विधेयकों की संख्या 41
- संसदीय प्रश्न: कुल प्राप्त सूचनाएं और गृहीत/उत्तरित प्रश्न 43
- प्रस्तुत और स्वीकृत संकल्प 48
- सभा पटल पर रखे गए पत्र 49
- वित्तीय समितियों द्वारा आयोजित बैठकें और प्रस्तुत प्रतिवेदन 53
- विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों द्वारा आयोजित बैठकें और प्रस्तुत प्रतिवेदन .. 54
- अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव 64
- सदस्यों का आयु वर्ग के आधार पर वर्गीकरण 79
- सदस्यों की औसत आयु 81
- सदस्यों की शैक्षिक पृष्ठभूमि (प्रतिशत में) 83

पृष्ठ

- सदस्यों की शैक्षिक पृष्ठभूमि पन्द्रहवीं लोक सभा 84
- सदस्यों की व्यावसायिक पृष्ठभूमि 88
- महिला सदस्यों का प्रतिनिधित्व 91
- महिला सदस्यों का आयु वर्ग के आधार पर वर्गीकरण 94
- महिला सदस्यों की शैक्षिक पृष्ठभूमि (प्रतिशत में) 97
- महिला सदस्यों की शैक्षिक पृष्ठभूमि (पन्द्रहवीं लोक सभा) 98
- महिला सदस्यों की व्यावसायिक पृष्ठभूमि 101

अध्याय एक
प्रस्तावना

भारत की संसद एक शीर्षस्थ विधायी संस्था है और यह भारत की जनता की स्वतंत्रता और सम्प्रभुता का मूर्त रूप है। भारत की लोकतांत्रिक राज्यव्यवस्था में इसका एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान है। संसद भारत के राष्ट्रपति और दो सदनों, अर्थात् कौंसिल ऑफ स्टेट्स (राज्य सभा) और हाउस ऑफ द पीपल (लोक सभा) से मिलकर बनी है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है और इसका सत्रावसान करता है। लोक सभा का विघटन करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राज्य सभा एक स्थायी सदन है जबकि लोक सभा के सदस्य यदि सदन पहले विघटित न हो जाए, पांच वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं।

राज्य सभा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों का एक सदन है जिसमें 250 से अनधिक सदस्य होते हैं। इनमें से 12 सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला अथवा समाज सेवा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाता है। शेष सीटें मोटे तौर पर विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में आवंटित की जाती हैं, तथापि प्रत्येक राज्य से कम से कम एक प्रतिनिधि अवश्य होता है। राज्य सभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है। इस सदन की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष है।

राज्य सभा स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं होता। इसके एक-तिहाई सदस्य चक्रानुक्रम से प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं जिनके बदले नए सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। राज्य सभा के सदस्य का कार्यकाल छह वर्ष का होता है। इस समय राज्य सभा में 245 सदस्य हैं। उप-राष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है। सदन अपने एक सदस्य को उप-सभापति निर्वाचित करता है।

लोक सभा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है और इसके सदस्य सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर देश के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। संविधान में लोक सभा के लिए परिकल्पित अधिकतम सदस्य संख्या 552 (राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 530 सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 सदस्य और आंग्ल भारतीय समुदाय से दो सदस्यों से अनधिक जो राष्ट्रपति द्वारा, यदि उसके विचार से सदन में उस समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो, नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे) है। लोक सभा की कुल निर्वाचित सदस्यता को विभिन्न राज्यों में इस प्रकार से वितरित किया जाता है कि प्रत्येक राज्य को आवंटित स्थानों की संख्या और उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों में यथासाध्य एक ही हो। इस समय लोक सभा के 545 सदस्य

हैं। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 13 संघ राज्य क्षेत्रों से जबकि आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाते हैं। इस सदन की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोक सभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं और सदन अपने सदस्यों में से इनका चुनाव करता है।

लोक सभा का कार्यकाल, यदि पहले ही विघटित न कर दी जाये, अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक का होता है। तथापि, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तब संसद विधि द्वारा, इसे ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो एक बार में एक वर्ष से अनधिक हो और उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के पश्चात् उसका विस्तार किसी भी दशा में छह माह की अवधि से अनधिक होगा। अभी तक 15 लोक सभाएं निर्वाचित हो चुकी हैं। प्रत्येक लोक सभा अपनी क्रम संख्या से जानी जाती है।

वित्तीय मामलों में लोक सभा सर्वोच्च है। यह वह सदन भी है जिसके प्रति संसद के दोनों सदनों से बनी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। दूसरी ओर, राज्य सभा की राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने के मामले में, यदि राष्ट्रहित में ऐसा आवश्यक हो तो, संसद को सक्षम बनाने में विशेष भूमिका है। संघ और राज्यों के लिए एक समान अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में भी इसे इसी प्रकार का अधिकार है। अन्य मामलों में, संविधान दोनों सदनों की समतुल्य प्रास्थिति के सिद्धांत पर कार्य करता है।

किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति का समाधान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किया जाता है जहां प्रश्नों पर बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। तथापि, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयकों के मामले में यह उपबंध लागू नहीं होता है। अभी तक, लोक सभा और राज्य सभा की केवल तीन संयुक्त बैठकें हुई हैं, जिनमें दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1959 (6 और 9 मई, 1961); बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1977 (16 मई, 1978) और आतंकवाद निवारण विधेयक, 2002 (26 मार्च, 2002), इन तीनों विधेयकों पर एक-एक बार संयुक्त बैठकें हुई हैं।

इन सभी वर्षों में, भारत की जनता ने चुनावों के माध्यम से बार-बार संसद के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की है, वहीं संसद ने भी उपयुक्त विधानों के माध्यम से जनता के सामाजिक और आर्थिक विकास का प्रयास किया है।

अध्याय दो
लोक सभा–एक अवलोकन

भारत के संविधान में यह उपबंध किया गया है कि संघ के लिये एक संसद होगी, जिसमें राष्ट्रपति तथा दो सदन होंगे जिन्हें क्रमश: राज्य सभा तथा लोक सभा के नाम से जाना जायेगा। पहली लोक सभा के गठन के लिए आम चुनाव 25 अक्तूबर, 1951 से 21 फरवरी, 1952 तक हुए थे। मतदाताओं की कुल संख्या 17,32,12,343 थी। इन चुनावों में 14 राष्ट्रीय दलों और 39 राज्यीय दलों के अलावा बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों ने भाग लिया था। 1962 से पहले एकल-सदस्यीय तथा बहु-सदस्यीय दोनों तरह के निर्वाचन क्षेत्र थे। ये बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक सदस्यों का चुनाव करते थे। 1951-52 में 401 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 489 सीटों के लिए चुनाव हुए थे जिसमें भारत के 26 राज्यों का प्रतिनिधित्व था। इन निर्वाचन क्षेत्रों में 314 एक सीट वाले, 86 दो सीट वाले तथा तीन सीटों वाला एक निर्वाचन क्षेत्र था। दो नामनिर्देशित आंग्ल-भारतीय सदस्यों के अलावा राष्ट्रपति द्वारा आठ और व्यक्तियों को नामनिर्देशित किया गया था। इनमें से असम तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के भाग ख जनजातीय क्षेत्रों में से प्रत्येक में से एक-एक सदस्य तथा जम्मू और कश्मीर राज्य से छह सदस्यों को नामित किया गया था। पहली लोक सभा में 22 राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व था। 489 सदस्यों वाली सभा में सबसे बड़े एकल दल के 364 सदस्य थे। पहली लोक सभा में सभी राष्ट्रीय दलों के निर्वाचित सदस्यों की संयुक्त संख्या 418 थी। राज्य स्तरीय दलों को 34 सीटें प्राप्त हुई थीं, जबकि निर्दलीय सदस्यों की संख्या 37 थी।

पहली लोक सभा का गठन 17 अप्रैल, 1952 को हुआ था तथा पहली बार सभा की बैठक 13 मई 1952 को प्रात: 10.45 बजे हुई थी। चूंकि लोक सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त थे, अत: 17 अप्रैल, 1952 को भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 95 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक सभा सदस्य, श्री गणेश वासुदेव मावलंकर को सभा की पहली बैठक तक के लिए अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की जिम्मेदारी सौंपी। सभा की कार्यवाही आरंभ होने से पूर्व लोक सभा के सदस्यों ने इस अवसर पर दो मिनट का मौन धारण किया। 11 मई, 1952 को भारत के राष्ट्रपति ने श्री जी.वी. मावलंकर तथा श्री एम. अनन्तशयनम आयंगर की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों के रूप में की जिनमें से किसी के भी समक्ष सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 99 के उपबन्धों के अनुरूप शपथ ले सकते थे या प्रतिज्ञान कर सकते थे।

15 मई को श्री मावलंकर ने लोक सभा अध्यक्ष के पद हेतु नामांकन भरने के लिए अध्यक्ष पद रिक्त कर दिया। तत्पश्चात् भारत के राष्ट्रपति ने 15 मई, 1952 को उस दिन सभा द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन किए जाने तक लोक सभा की बैठक की अध्यक्षता के दायित्व के निर्वहन हेतु लोक सभा सदस्य, श्री बी. दास की नियुक्ति की। अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में श्री मावलंकर के नाम का समर्थन करने वाले प्रस्ताव के पक्ष में 394 और विपक्ष में 55 मत पड़े। श्री मावलंकर के नाम का समर्थन करने वाले तीन प्रस्ताव थे तथा श्री शंकर शांताराम मोरे के नाम का समर्थन करने वाले दो प्रस्ताव थे (लोक सभा अध्यक्ष और उनके कार्यकाल का ब्यौरा तालिका 1 में दर्शाया गया है)।

श्री एम. अनन्तशयनम आयंगर को 30 मई, 1952 को सर्वसम्मति से लोक सभा का उपाध्यक्ष चुना गया (लोक सभा उपाध्यक्ष और उनके कार्यकाल का ब्यौरा तालिका 2 में दर्शाया गया है)।

तालिका 1 : लोक सभा और इसके अध्यक्ष
(पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

लोक सभा	गठन के पश्चात् पहली बैठक की तारीख	विघटन की तारीख	अध्यक्ष	कार्यकाल	
				से	तक
पहली	13.5.1952	4.4.1957	श्री गणेश वासुदेव मावलंकर	15.5.1952	27.2.1956
			श्री एम. अनंतशयनम आयंगर	8.3.1956	10.5.1957
दूसरी	10.5.1957	31.3.1962	श्री एम. अनंतशयनम आयंगर	11.5.1957	16.4.1962
तीसरी	16.4.1962	3.3.1967	सरदार हुकम सिंह	17.4.1962	16.3.1967
चौथी	16.3.1967	27.12.1970	डॉ. नीलम संजीव रेड्डी	17.3.1967	19.7.1969
			डॉ. गुरुदयाल सिंह ढिल्लों	8.8.1969	19.3.1971
पांचवीं	19.3.1971	18.1.1977	डॉ. गुरुदयाल सिंह ढिल्लों	22.3.1971	1.12.1975
			श्री बलिराम भगत	5.1.1976	25.3.1977
छठी	25.3.1977	22.8.1979	डॉ. नीलम संजीव रेड्डी	26.3.1977	13.7.1977
			श्री के.एस. हेगड़े	21.7.1977	21.1.1980
सातवीं	21.1.1980	31.12.1984	डॉ. बलराम जाखड़	22.1.1980	15.1.1985
आठवीं	15.1.1985	27.11.1989	डॉ. बलराम जाखड़	16.1.1985	18.12.1989
नौवीं	18.12.1989	13.3.1991	श्री रवि राय	19.12.1989	9.7.1991
दसवीं	9.7.1991	10.5.1996	श्री शिवराज वि. पाटील	10.7.1991	22.5.1996
ग्यारहवीं	22.5.1996	4.12.1997	श्री पी.ए. संगमा	23.5.1996	23.3.1998
बारहवीं	23.3.1998	26.4.1999	श्री जी.एम.सी. बालयोगी	24.3.1998	20.10.1999
तेरहवीं	20.10.1999	6.2.2004	श्री जी.एम.सी. बालयोगी	22.10.1999	3.3.2002
			श्री पी.एम. सईद	3.3.2002	10.5.2002
			श्री मनोहर जोशी	10.5.2002	2.6.2004
चौदहवीं	2.6.2004	18.5.2009	श्री सोमनाथ चटर्जी	4.6.2004	31.5.2009
पंद्रहवीं	1.6.2009	आज की तिथि तक	श्रीमती मीरा कुमार	3.6.2009	आज की तिथि तक

तालिका 2 : लोक सभा और इसके उपाध्यक्ष
(पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

लोक सभा	उपाध्यक्ष	कार्यकाल	
		से	तक
पहली (1952-57)	**श्री एम. अनंतशयनम आयंगर**	30.5.1952	7.3.1956
	सरदार हुकम सिंह	20.3.1956	4.4.1957
दूसरी (1957-62)	**सरदार हुकम सिंह**	17.5.1957	31.3.1962
तीसरी (1962-67)	**श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव**	23.4.1962	3.3.1967
चौथी (1967-70)	**श्री आर.के. खाडेलकर**	28.3.1967	1.11.1969
	श्री जी.जी. स्वैल	9.12.1969	27.12.1970
पांचवीं (1971-77)	**श्री जी.जी. स्वैल**	27.3.1971	18.1.1977
छठी (1977-79)	**श्री गौडे मुराहरी**	1.4.1977	22.8.1979
सातवीं (1980-84)	**श्री जी. लक्ष्मणन**	1.2.1980	31.12.1984
आठवीं (1985-89)	**श्री एम. थम्बी दुरई**	22.1.1985	27.11.1989
नौवीं (1989-91)	**श्री शिवराज वि. पाटील**	19.3.1990	13.3.1991
दसवीं (1991-96)	**श्री एस. मल्लिकार्जुनैय्या**	13.8.1991	10.5.1996
ग्यारहवीं (1996-97)	**श्री सूरज भान**	12.7.1996	4.12.1997
बारहवीं (1998-99)	**श्री पी.एम. सईद**	17.12.1998	26.4.1999
तेरहवीं (1999-2004)	**श्री पी.एम. सईद**	27.10.1999	6.2.2004
चौदहवीं (2004-09)	**श्री चरणजीत सिंह अटवाल**	9.6.2004	18.5.2009
पंद्रहवीं (2009-)	**श्री कड़िया मुण्डा**	8.6.2009	आज की तिथि तक

संसद की प्रत्येक सभा का एक नेता होता है। प्रधानमंत्री, यदि लोक सभा का सदस्य है तो वह लोक सभा में सभा के नेता के रूप में कार्य करता है। यदि प्रधानमंत्री लोक सभा का सदस्य नहीं है तो वह एक ऐसे मंत्री को सभा के नेता के रूप में कार्य करने के लिए मनोनीत करता है जो लोक सभा का सदस्य हो (लोक सभा के नेताओं का ब्यौरा तालिका 3 में दिया गया है) प्रत्येक सदन में नेता प्रतिपक्ष भी होता है। संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 में नेता प्रतिपक्ष को राज्य सभा अथवा लोक सभा के एक ऐसे सदस्य के रूप में परिभाषित किया गया है, जो उस सभा में सरकार के विपक्ष में बैठने वाली सबसे बड़ी पार्टी का नेता हो और राज्य सभा के सभापति अथवा लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त हो। वर्ष 1977 में लोक सभा के लिए हुए आम चुनावों से पहले दिसंबर, 1969 से दिसंबर, 1970 की एक वर्ष की अल्पावधि के अलावा संसद में आधिकारिक रूप से कोई प्रतिपक्ष नहीं होता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब

लोक सभा में मान्यताप्राप्त प्रतिपक्ष दल तथा नेता प्रतिपक्ष थे। वर्ष 1977 में विपक्ष की सदस्य संख्या लोक सभा में काफी अधिक थी, अत: संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 पारित हुआ ताकि संसद में नेता प्रतिपक्ष प्रभावशाली ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें (लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष के ब्यौरे तालिका 4 में दिए हुए है)।

तालिका 3 : सदन के नेता (लोक सभा)
(पहली से पन्द्रहवी लोक सभा)

लोक सभा	सभा के नेता	कार्यकाल	
		से	तक
पहली (1952-57)	**पंडित जवाहरलाल नेहरू**	13.5.1952	4.4.1957
दूसरी (1957-62)	**पंडित जवाहरलाल नेहरू**	5.4.1957	31.3.1962
तीसरी (1962-67)	**पंडित जवाहरलाल नेहरू**	2.4.1962	27.5.1964
	श्री गुलजारी लाल नंदा	27.5.1964	9.6.1964
	श्री लाल बहादुर शास्त्री	9.6.1964	11.1.1966
	श्री गुलजारी लाल नंदा	11.1.1966	24.1.1966
	श्री सत्यनारायण सिन्हा	14.2.1966	3.3.1967
चौथी (1967-70)	**श्रीमती इन्दिरा गांधी**	4.3.1967	27.12.1970
पांचवीं (1971-77)	**श्रीमती इन्दिरा गांधी**	15.3.1971	18.1.1977
छठी (1977-79)	**श्री मोरारजी देसाई**	23.3.1977	28.7.1979
	चौधरी चरण सिंह	28.7.1979	22.8.1979
सातवीं (1980-84)	**श्रीमती इन्दिरा गांधी**	10.1.1980	31.10.1984
	श्री राजीव गांधी	31.10.1984	31.12.1984
आठवीं (1985-89)	**श्री राजीव गांधी**	31.12.1984	27.11.1989
नौवीं (1989-91)	**श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह**	2.12.1989	10.11.1990
	श्री चन्द्र शेखर	10.11.1990	13.3.1991
दसवीं (1991-96)	**श्री अर्जुन सिंह**	10.7.1991	20.11.1991
	श्री पी.वी. नरसिंह राव	20.11.1991	10.5.1996
ग्यारहवीं (1996-97)	**श्री अटल बिहारी वाजपेयी**	16.5.1996	1.6.1996
	श्री रामविलास पासवान	11.6.1996	4.12.1997
बारहवीं (1998-99)	**श्री अटल बिहारी वाजपेयी**	19.3.1998	26.4.1999
तेरहवीं (1999-2004)	**श्री अटल बिहारी वाजपेयी**	13.10.1999	6.2.2004
चौदहवीं (2004-09)	**श्री प्रणब मुखर्जी**	25.5.2004	18.5.2009
पंद्रहवीं (2009-)	**श्री प्रणब मुखर्जी**	26.5.2009	आज की तिथि तक

तालिका 4 : नेता प्रतिपक्ष (लोक सभा)
(पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)
(1969 से)

लोक सभा	नेता प्रतिपक्ष	कार्यकाल	
		से	तक
पहली (1952-57)	–	–	–
दूसरी (1957-62)	–	–	–
तीसरी (1962-67)	–	–	–
चौथी (1967-70)	**डॉ राम सुभग सिंह**	17.12.1969	27.12.1970
पांचवीं (1971-77)	–	–	–
छठी (1977-79)	**श्री वाई.बी. चव्हाण**	23.3.1977	12.4.1978
	श्री सी.एम. स्टीफन	12.4.1978	10.7.1979
	श्री वाई.बी. चव्हाण	10.7.1979	28.7.1979
	श्री जगजीवन राम	28.7.1979	22.8.1979
सातवीं (1980-84)	–	–	–
आठवीं (1985-89)	–	–	–
नौवीं (1989-91)	**श्री राजीव गांधी**	18.12.1989	24.12.1990
	श्री एल.के. आडवाणी	24.12.1990	13.3.1991
दसवीं (1991-96)	**श्री एल.के. आडवाणी**	21.6.1991	25.7.1993
	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	26.7.1993	10.5.1996
ग्यारहवीं (1996-97)	**श्री पी.वी. नरसिंह राव**	16.5.1996	1.6.1996
	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	1.6.1996	4.12.1997
बारहवीं (1998-99)	**श्री शरद पवार**	19.3.1998	26.4.1999
तेरहवीं (1999-2004)	**श्रीमती सोनिया गांधी**	13.10.1999	6.2.2004
चौदहवीं (2004-09)	**श्री एल.के. आडवाणी**	22.5.2004	18.5.2009
पंद्रहवीं (2009-)	**श्री एल.के. आडवाणी**	22.5.2009	21.12.2009
	श्रीमती सुषमा स्वराज	21.12.2009	आज की तिथि तक

13 मई, 2012 को लोक सभा की पहली बैठक के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन वर्षों के दौरान लोक सभा के गठन हेतु 15 आम चुनाव हुए हैं। देश के लोगों ने चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेकर लोकतांत्रिक प्रणाली में बार-बार अपनी आस्था और विश्वास की पुष्टि की है। देश की जनसंख्या जो 1951 में 361 मिलियन थी, 2011 में बढ़कर 1210 मिलियन (अनंतिम) हो गई तथा मतदाताओं की संख्या भी 173 मिलियन से बढ़कर 2009 के आम चुनावों के समय तक 716 मिलियन हो गई थी। पंद्रहवें आम चुनावों का निष्पक्ष रूप से सफल आयोजन न केवल हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का परिचायक है बल्कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निकायों की प्रभावकारिता में लोगों की आस्था की पुष्टि भी करता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 1951-52 में हुए आम चुनावों में 44.87 प्रतिशत मतदान की तुलना में 2009 के आम चुनावों में यह प्रतिशत बढ़कर 58.19 हो गया है।

पहले आम चुनावों में 14 राष्ट्रीय दलों तथा 39 अन्य राज्य स्तरीय दलों की तुलना में 2009 के आम चुनावों में सात राष्ट्रीय दलों तथा 34 राज्य स्तरीय दलों और 322 पंजीकृत (गैर-मान्यताप्राप्त) दलों ने भाग लिया। जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप समय-समय पर लोक सभा की सदस्य संख्या में भी वृद्धि हुई। संसद संविधान के अनुच्छेद 82 के अन्तर्गत परिसीमन अधिनियम अधिनियमित करती है जिसके अंतर्गत परिसीमन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। जबकि 1951 में लोक सभा की कुल निर्वाचित सीटें 489 थीं, अब यह बढ़कर 543 हो गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दो नामनिर्देशित सदस्य भी होते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान परिसीमन, परिसीमन आयोग अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अंतर्गत 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया गया है। 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमित वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र वर्ष 2026 के बाद होने वाले पहली जनगणना तक अक्षुण्ण रहेंगे। परिसीमन आयोगों का गठन चार बार किया गया है—परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत 1952 में; परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 के अंतर्गत 1963 में; परिसीमन आयोग अधिनियम, 1972 के अंतर्गत 1973 में; तथा परिसीमन आयोग अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 2002 में।

वर्ष 2008 में परिसीमन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में क्रमश: 412 सीटें सामान्य वर्ग की हैं जबकि 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। पहले 423 सीटें सामान्य वर्ग, 79 अनुसूचित जातियों तथा 41 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थीं। पहली लोक सभा में कुल 489 सीटों में से 391 सामान्य वर्ग, 72 अनुसूचित जातियों एवं 26 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थीं।

आठवीं लोक सभा तक सदन में एक दल का पूर्ण बहुमत रहा। उसके बाद से कोई भी एक दल पूर्ण बहुमत नहीं पा सका है। फलस्वरूप केन्द्र में अल्पसंख्यक या गठबंधन सरकारें रही हैं। दूसरी ओर क्षेत्रीय दलों की शक्ति सीटें जीतने के मामले में बढ़ी है तथा लोक सभा में दलों की संख्या भी बढ़ी है। आठवीं लोक सभा तक सदन में राजनीतिक दलों की संख्या 20 से कम रही; बारहवीं लोक सभा में यह संख्या बढ़कर 39 हो गयी, तेरहवीं तथा चौदहवीं लोक सभा में 38 तथा

पन्द्रहवीं लोक सभा के गठन की तिथि तक यह 37 है। वर्तमान में लोक सभा में 38 राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व है। राज्य स्तरीय दलों, जिनकी संख्या दसवीं लोक सभा तक 66 से कम थी, की संख्या ग्यारहवीं लोक सभा में बढ़कर 129 हो गयी। यह संख्या बारहवीं लोक सभा में 101, तेरहवीं लोक सभा में 158, चौदहवीं लोक सभा में 159 तथा पन्द्रहवीं लोक सभा में 146 हो गयी। राष्ट्रीय दलों, जिनकी सीटों की संख्या ग्यारहवीं लोक सभा तक 400 से अधिक रही थी, की सम्मिलित शक्ति बारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं तथा पन्द्रहवीं लोक सभा में क्रमश: 387, 369, 364 एवं 376 हो गयी (तालिका 5)। खुशी की बात है कि महिला सदस्यों की संख्या पहले आम चुनाव के पश्चात् 21 से बढ़कर पन्द्रहवें आम चुनाव के उपरांत 58 हो गयी। अप्रैल 2012 तक लोक सभा में एक नामनिर्दिष्ट सदस्य सहित महिला सदस्यों की संख्या 60 थी। अपने गठन के बाद के छह दशकों में भारत की संसद ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के साधन के रूप में कार्य करते हुए अनेक विधान बनाए हैं। अपने समक्ष आने वाली चुनौतियों और बदलते समय की मांग के अनुसार तथा एक न्यायोचित और समावेशी समाज की स्थापना हेतु भारत के संविधान में 97 संशोधन किए गए हैं। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व के मामले में लोक सभा में व्यापक परिवर्तन हुए हैं।

अनुभवों एवं अन्य संसदों में अपनायी गयी सर्वोत्तम प्रथाओं तथा बदलते समय की जरूरतों से प्रेरणा लेते हुए लोक सभा ने स्वयं कई प्रक्रियात्मक अभिनव परिवर्तन किए और नयी परिपाटियां बनायी हैं। लोक सभा में मजबूत विपक्ष की उपस्थिति, लोक सभा अध्यक्ष के सर्वसम्मति से चुनाव की प्रथा तथा उपाध्यक्ष और लोक लेखा समिति के सभापति का पद विपक्ष के सदस्यों को दिया जाना एक सक्रिय लोकतंत्र की स्वस्थ परम्पराएं हैं।

विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों की स्थापना से कार्यपालिका की जवाबदेही प्रभावी तौर पर सुनिश्चित करने में संसद समर्थ हुई है जबकि लोक सभा टेलीविजन चैनल संसदीय लोकतंत्र की परम स्वामी जनता को संसद के और निकट ले आया है। वर्ष 1952 की तुलना में आज निर्वाचकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है और इसके साथ ही उनकी आकांक्षाएं भी बढ़ी हैं। अत:, लोक सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को एक बड़े निर्वाचन क्षेत्र तथा सुविज्ञ और सुशिक्षित निर्वाचकों की ओर ध्यान देना होता है। अब प्रातिनिधिक संस्थाओं तथा उनके सदस्यों के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायिता की अधिक और मुखर रूप से मांग की जाती है। मीडिया की अधिक पहुंच तथा लोक सभा की कार्यवाही के सीधे प्रसारण के कारण मीडिया की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसे परिदृश्य में लोक सभा तथा इसके सदस्य लोगों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों की प्रणाली की स्थापना संसद की प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का एक भाग ही है। जब भी आवश्यक हुआ, लोक सभा ने अपने सदस्यों के अवचार के लिए उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही भी की है। आचार समिति का गठन भी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी लाने की दिशा में उठाया गया एक प्रगतिशील कदम है। लोक सभा के माननीय अध्यक्ष तथा महासचिव के नेतृत्व में लोक सभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी सदस्यों को हर संभव सेवा प्रदान करने के लिए अथक परिश्रम करते रहे

तालिका 5 : आम चुनावों के बाद लोक सभा की संरचना

लोक सभा	चुनाव वर्ष	कुल सीटें	चुनाव/घोषित परिणाम	राष्ट्रीय दलों की संख्या	राष्ट्रीय दलों की सीटें	सबसे बड़े एकल दल की सीटें	मान्यताप्राप्त/ राज्य स्तरीय दलों की सीटें	पंजीकृत (गैरमान्यता प्राप्त) दलों की सीटें	निर्दलीय उम्मीदवारों को प्राप्त सीटें	निर्दलीय महिला सदस्यों की संख्या	लोक सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले दलों की संख्या
पहली	1951–52	489	489	14	418	364	34	–	37	21	22
दूसरी	1957	494	494	4	421	371	31	–	42	22	12
तीसरी	1962	494	494	6	440	361	28	6	20	31	20
चौथी	1967	520	520	7	440	283	43	2	35	29	20
पांचवीं	1971	518	518	8	451	352	40	13	14	20	24
छठी	1977	542	542	5	481	295	49	3	9	19	18
सातवीं	1980	542	529	6	485	353	34	1	9	28	17
आठवीं	1984	543	541 *	7	462	414	66	–	13	43	19
नौवीं	1989	543	529 **	8	471	197	27	19	12	29	24
दसवीं	1991	543	534 ¤	9	478	244	51	4	1	39	24
ग्यारहवीं	1996	543	543	8	403	161	129	2	9	40	28
बारहवीं	1998	543	543	7	387	182	101	49	6	43	39
तेरहवीं	1999	543	543	7	369	182	158	10	6	49	38
चौदहवीं	2004	543	543	6	364	145	159	15	5	45	38
पन्द्रहवीं	2009	543	543	7	376	206	146	12	9	58	37

* 541 सीटों के लिए आम चुनाव हुए; 514 सीटों के लिए 1984 में और 27 सीटों के लिए 1985 में; एक सीट के लिए चुनाव नहीं हुआ।

** असम की 14 सीटों को छोड़कर।

¤ 1991 के आम चुनाव में 521 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हुए, पंजाब में 13 सीटों के लिए चुनाव 1992 में हुए; जम्मू और कश्मीर की छह सीटों के लिए चुनाव नहीं हुए। तीन निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं हुए।

हैं ताकि जनता के प्रतिनिधि अपने उत्तरदायित्वों का प्रभावी निर्वहन कर सकें। (लोक सभा के सचिव एवं महासचिव-तालिका 6)।

तालिका 6 : लोक सभा और इसके सचिव/महासचिव
(पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

लोक सभा	सचिव/महासचिव	कार्यकाल
पहली (1952-57)	**श्री एम.एन. कौल**	लोक सभा के संपूर्ण कार्यकाल के दौरान
दूसरी (1957-62)	**श्री एम.एन. कौल**	लोक सभा के संपूर्ण कार्यकाल के दौरान
तीसरी (1962-67)	**श्री एम.एन. कौल** **श्री एस.एल. शकधर**	1.9.1964 तक 1.9.1964 से
चौथी (1967-70)	**श्री एस.एल. शकधर**	लोक सभा के संपूर्ण कार्यकाल के दौरान
पांचवीं (1971-77)	**श्री एस.एल. शकधर**	लोक सभा के संपूर्ण कार्यकाल के दौरान
छठी (1977-79)	**श्री एस.एल. शकधर** **श्री अवतार सिंह रिखी**	18.6.1977 तक 18.6.1977 से
सातवीं (1980-84)	**श्री अवतार सिंह रिखी** **डा. सुभाष सी. कश्यप**	31.12.1983 तक 31.12.1983 से
आठवीं (1985-89)	**डा. सुभाष सी. कश्यप**	लोक सभा के संपूर्ण कार्यकाल के दौरान
नौवीं (1989-91)	**डा. सुभाष सी. कश्यप** **श्री के.सी. रस्तोगी**	20.8.1990 तक 10.9.1990 से
दसवीं (1991-96)	**श्री के.सी. रस्तोगी** **श्री सी.के. जैन** **डा. आर.सी. भारद्वाज** **श्री एस.एन. मिश्रा**	31.12.1991 1.1.1992 से 31.5.1994 तक 1.6.1994 से 31.12.1995 तक 1.1.1996 से
ग्यारहवीं (1996-97)	**श्री एस.एन. मिश्रा** **श्री एस. गोपालन**	15.7.1996 तक 15.7.1996 से
बारहवीं (1998-99)	**श्री एस. गोपालन** **श्री जी.सी. मलहोत्रा**	लोक सभा के संपूर्ण कार्यकाल के दौरान और तदनन्तर 14.7.1999 तक 14.7.1999 से
तेरहवीं (1999-2004)	**श्री जी.सी. मलहोत्रा**	लोक सभा के संपूर्ण कार्यकाल के दौरान
चौदहवीं (2004-09)	**श्री जी.सी. मलहोत्रा** **श्री पी.डी.टी. आचारी**	31.7.2005 तक 1.8.2005 से लोक सभा के शेष कार्यकाल के दौरान
पंद्रहवीं (2009-)	**श्री पी.डी.टी. आचारी** **श्री टी.के. विश्वानाथन**	30.9.2010 तक 1.10.2010 से आज की तिथि तक

अध्याय तीन
लोक सभा : अवधि, सत्र और बैठकें

सभा की अवधि

लोक सभा का कार्यकाल इसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से लेकर या तो संविधान के अनुच्छेद 85(2)(ख) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा विघटन हेतु दिए आदेश की तिथि या अपने पांच वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति तक होता है।

26 जनवरी, 1950 को भारत के संविधान के लागू होने तथा संविधान के अंतर्गत 25 अक्तूबर, 1951 से 21 फरवरी, 1952 तक हुए पहले आम चुनाव के बाद पहली लोक सभा का गठन 17 अप्रैल, 1952 को हुआ था। पहली लोक सभा की पहली बैठक 13 मई, 1952 को हुई तथा चार वर्ष, 10 माह एवं 22 दिन तक अस्तित्व में रहने के पश्चात् 4 अप्रैल, 1957 को राष्ट्रपति द्वारा इसका विघटन किया गया था। दूसरी लोक सभा की पहली बैठक 10 मई, 1957 को हुई थी और चार वर्ष, 10 माह तथा 21 दिन तक रहे इसके अस्तित्व के बाद इसका विघटन 31 मार्च, 1962 को किया गया था। तीसरी लोक सभा की पहली बैठक 16 अप्रैल, 1962 को हुई थी तथा चार वर्ष, 10 माह एवं 15 दिन तक रहे इसके अस्तित्व के बाद इसका विघटन 3 मार्च, 1967 को किया गया था। चौथी लोक सभा की पहली बैठक 16 मार्च, 1967 को हुई तथा तीन वर्ष, नौ माह एवं 11 दिन तक रहे इसके अस्तित्व के बाद इसका विघटन 27 दिसम्बर, 1970 को किया गया था।

पांचवीं लोक सभा की पहली बैठक 19 मार्च, 1971 को हुई थी। इसका कार्यकाल 18 मार्च, 1976 को समाप्त होना था। परन्तु, 25 जून, 1975 को आपात की उद्घोषणा जारी होने के इस लोक सभा का कार्यकाल एक वर्ष अर्थात् 18 मार्च, 1977 तक की अवधि के लिए लोक सभा (कालावधि विस्तारण) अधिनियम, 1976 द्वारा विस्तारित किया गया था। इसी अधिनियम द्वारा इसे एक और वर्ष के लिए अर्थात् 18 मार्च, 1978 तक पुनः लोक सभा (कालावधि विस्तारण) संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा विस्तारित किया गया था। तथापि, पांच वर्ष, 10 माह और एक दिन की अवधि तक अस्तित्व में रहने के बाद सभा का विघटन 18 जनवरी, 1977 को किया गया था।

छठी लोक सभा की पहली बैठक 25 मार्च, 1977 को हुई थी। लोक सभा का सामान्य कार्यकाल संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा संसद द्वारा पांच वर्ष तक पुनः स्थापित किया गया। परंतु दो वर्ष, चार माह और 29 दिन तक अस्तित्व में रहने के बाद 22 अगस्त, 1979 को सभा का विघटन कर दिया गया।

सातवीं लोक सभा की पहली बैठक 21 जनवरी, 1980 को हुई। चार वर्ष, 11 माह और 11 दिन तक अस्तित्व में रहने के बाद इसका विघटन 31 दिसम्बर, 1984 को किया गया।

आठवीं लोक सभा की पहली बैठक 15 जनवरी, 1985 को हुई थी। इस लोक सभा का कार्यकाल 14 जनवरी, 1990 को समाप्त होना था। परंतु चार वर्ष, 10 माह और 13 दिन इसके अस्तित्व में रहने के बाद 27 नवम्बर, 1989 को इसका विघटन किया गया।

नौवीं लोक सभा की पहली बैठक 18 दिसम्बर, 1989 को हुई। एक वर्ष, दो माह और 27 दिन तक इसके अस्तित्व में रहने के बाद इस सभा का विघटन 13 मार्च, 1991 को किया गया।

दसवीं लोक सभा की पहली बैठक 9 जुलाई, 1991 को हुई थी। चार वर्ष, 10 माह और 3 दिन तक इसके अस्तित्व में रहने के बाद इसका विघटन 10 मई, 1996 को किया गया।

ग्यारहवीं लोक सभा की पहली बैठक 22 मई, 1996 को हुई थी। एक वर्ष, छह माह और 14 दिन तक इसके अस्तित्व में रहने के बाद इसका विघटन 4 दिसम्बर, 1997 को किया गया।

बारहवीं लोक सभा की पहली बैठक 23 मार्च, 1998 को हुई। परंतु एक वर्ष, एक माह और चार दिन तक इसके अस्तित्व में रहने के बाद 26 अप्रैल, 1999 को इसका विघटन किया गया। यह लोक सभा अब तक गठित सभी लोक सभाओं में न्यूनतम अवधि की थी। सबसे लंबे कार्यकाल का रिकार्ड पांचवीं लोक सभा का है जो पांच वर्ष, दस माह और एक दिन का था।

तेरहवीं लोक सभा की पहली बैठक 20 अक्तूबर, 1999 को हुई तथा इसका कार्यकाल 19 अक्तूबर 2004 को समाप्त होना था। चार वर्ष, तीन माह और 19 दिन तक इसके अस्तित्व में रहने के बाद इसका विघटन 6 फरवरी, 2004 को किया गया।

चौदहवीं लोक सभा की पहली बैठक 2 जून, 2004 को हुई थी और चार वर्ष, 11 माह एवं 14 दिन के बाद इसका विघटन 18 मई, 2009 को किया गया था। पन्द्रहवीं लोक सभा की पहली बैठक 1 जून, 2009 को हुई तथा इसके नौवें सत्र की समाप्ति तक लगभग चार घंटे एवं 24 मिनट प्रति बैठक की औसत से इसकी 208 बैठकें 881 घंटे एवं तीन मिनट चली हैं।

आयोजित सत्र

आम तौर पर एक वर्ष में लोक सभा के तीन सत्र, यथा, बजट सत्र, मानसून सत्र एवं शीतकालीन सत्र होते हैं। बजट सत्र सबसे महत्वपूर्ण तथा तीनों सत्रों में सबसे लंबा होता है जो सामान्यत: फरवरी के तीसरे सप्ताह में किसी समय प्रारंभ होता है तथा मई के मध्य तक समाप्त होता है। मानसून सत्र सामान्यत: जुलाई के मध्य में किसी समय प्रारंभ होता है तथा अगस्त के तीसरे सप्ताह तक चलता है। शीतकालीन सत्र नवम्बर के मध्य में प्रारंभ होता है तथा दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में किसी समय समाप्त होता है।

लोक सभा को आहूत करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वह प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की सिफारिश पर इस शक्ति का प्रयोग करता है।

अनुच्छेद 85(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश से लोक सभा के सत्र की समाप्ति को 'सत्रावसान' कहा जाता है। सभा का सत्रावसान करने की शक्ति का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। सभा का सत्रावसान किसी भी समय हो सकता है; सभा की बैठक होते रहने के समय भी। परंतु आम तौर पर सभा की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद सत्रावसान होता है।

प्रत्येक सभा के भिन्न कार्यकाल के कारण उसके सत्रों की संख्या में अंतर है। एक ओर जबकि पांचवीं लोक सभा का अस्तित्व 2132 दिन, अधिकतम रहा था और इस अवधि में उसके अधिकतम 18 सत्र हुए थे तो दूसरी ओर बारहवीं लोक सभा का कार्यकाल न्यूनतम अर्थात् 399 दिन का था जिस अवधि में केवल चार सत्र हुए थे। यह अब तक की न्यूनतम संख्या है।

पांचवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान 18 सत्र हुए जबकि दूसरी, तीसरी तथा दसवीं लोक सभा में प्रत्येक में 16 सत्र; सातवीं एवं चौदहवीं लोक सभा में प्रत्येक में 15 सत्र; पहली, आठवीं एवं तेरहवीं लोक सभा में प्रत्येक में 14; चौथी लोक सभा में 12; पन्द्रहवीं लोक सभा में (5 जनवरी, 2012 तक) 9; छठी लोक सभा में 9; नौवीं लोक सभा में 7; ग्यारहवीं लोक सभा में 6 और बारहवीं लोक सभा में केवल 4 सत्र ही हुए।

पन्द्रह में प्रत्येक लोक सभा का कार्यकाल (दिनों में) तथा उनमें से प्रत्येक में हुए सत्रों की संख्या तालिका 7 और ग्राफ 1 एवं 2 में दर्शाए गए हैं:—

तालिका 7 : प्रत्येक लोक सभा का कार्यकाल और उसके सत्रों की संख्या (पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

लोक सभा	कार्यकाल (दिनों में)	आयोजित सत्रों की संख्या
पहली (1952–57)	1787	14
दूसरी (1957–62)	1786	16
तीसरी (1962–67)	1782	16
चौथी (1967–70)	1382	12
पांचवीं (1971–77)	2132	18
छठी (1977–79)	880	9
सातवीं (1980–84)	1806	15
आठवीं (1985–89)	1777	14
नौवीं (1989–91)	450	7
दसवीं (1991–96)	1767	16
ग्यारहवीं (1996–97)	561	6
बारहवीं (1998–99)	399	4
तेरहवीं (1999–2004)	1570	14
चौदहवीं (2004–09)	1811	15
पंद्रहवीं* (2009–)	963	9

*5 जनवरी 2012 को नौवें सत्र के सत्रावसान की तिथि के अनुसार।

ग्राफ 1 : लोक सभा का कार्यकाल दिनों में (पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

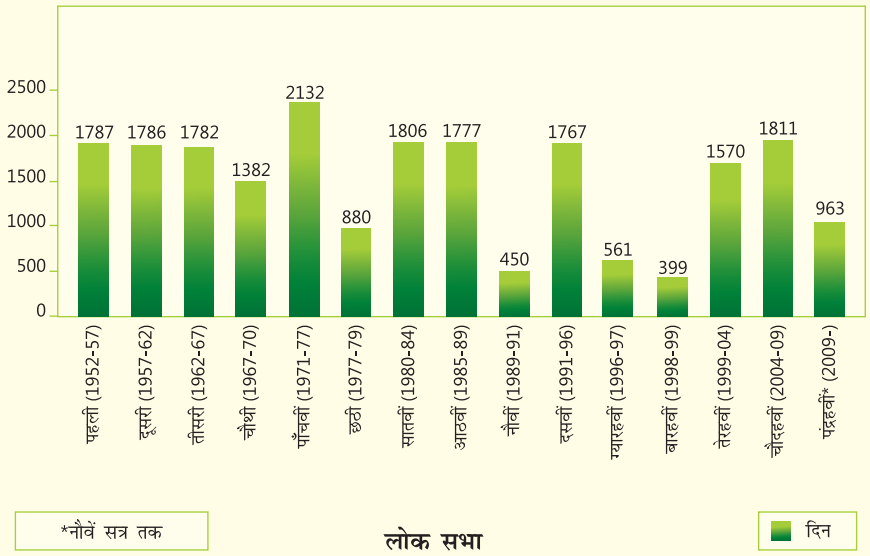

ग्राफ 2 : आयोजित सत्रों की संख्या (पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

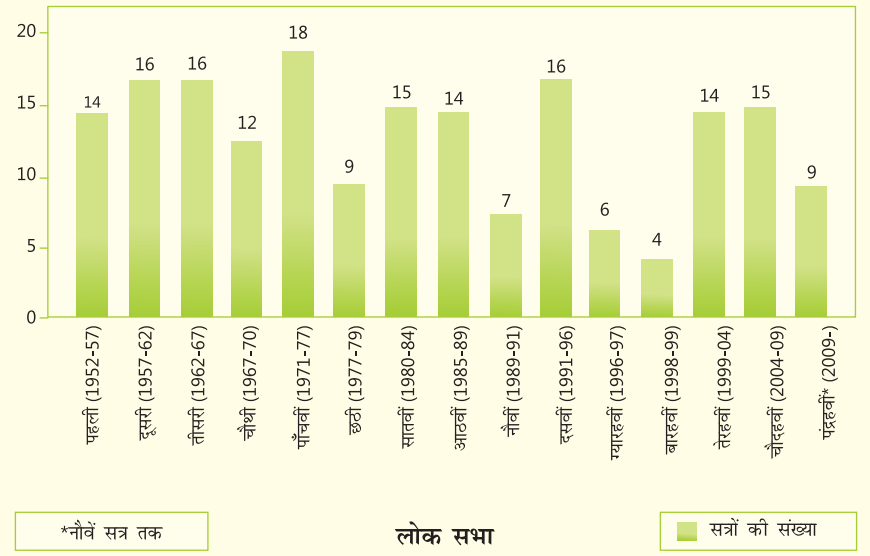

आयोजित बैठकें एवं उनमें लगा समय

सभा की बैठक विधिवत तब होती है जब इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष या संविधान या प्रक्रिया नियमों के अंतर्गत सभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए सक्षम कोई अन्य सदस्य कर रहा होता है।

लोक सभा की बैठक उस-उस दिन होती है जब सभा द्वारा किए जाने वाले कार्य की स्थिति के संबंध में अध्यक्ष समय-समय पर निदेश दे। सभा की बैठकें, जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें, सामान्यत: पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रारंभ होती है और बैठकों का सामान्य समय 11.00 बजे (पूर्वाह्न) से लेकर 1.00 बजे (अपराह्न) तक और मध्याह्न भोजन के अंतराल के बाद 2.00 बजे (अपराह्न) से 6.00 बजे (अपराह्न) तक होता है। सभा की बैठक इससे अधिक देर तक भी कभी-कभी तो मध्यरात्रि तक या अगली सुबह के शुरुआती घंटों तक भी चल सकती है। यह सब सभा के समक्ष कार्य के परिमाण एवं उसके महत्व पर निर्भर करता है।

अब तक चौदह लोक सभाओं का विघटन हो चुका है तथा वर्तमान में पन्द्रहवीं लोक सभा का अस्तित्व है। अब तक विघटित लोक सभाओं का कार्यकाल अलग-अलग समय तक रहा है और इसलिए इनमें से प्रत्येक में बैठकों एवं उनमें लगा समय अलग-अलग रहा है।

अपने कार्यकाल के दौरान पहली लोक सभा में चले 14 सत्रों के दौरान विभिन्न कार्यों में हुई 677 बैठकों में 3784 घंटे लगे थे। तुलनात्मक रूप से दूसरी लोक सभा के 16 सत्रों के दौरान हुई 567 बैठकों में 3651 घंटे; तीसरी लोक सभा में 16 सत्रों में 578 बैठकों में 3733 घंटे; चौथी लोक सभा में 12 सत्रों में 467 बैठकों में 3029 घंटे; पांचवीं लोक सभा में 18 सत्रों में 613 बैठकों में 4071 घंटे; छठी लोक सभा में 9 सत्रों में 267 बैठकों में 1753 घंटे; सातवीं लोक सभा में 15 सत्रों में 464 बैठकों में 3324 घंटे; आठवीं लोक सभा में 14 सत्रों में 485 बैठकों में 3224 घंटे; नौवीं लोक सभा में 7 सत्रों में 109 बैठकों में 754 घंटे; दसवीं लोक सभा में 16 सत्रों में 423 बैठकों में 2528 घंटे; ग्यारहवीं लोक सभा में 6 सत्रों में 125 बैठकों में 813 घंटे; बारहवीं लोक सभा में 4 सत्रों में हुई 88 बैठकों में 575 घंटे; तेरहवीं लोक सभा में 14 सत्रों में हुई 356 बैठकों में 1945 घंटे; चौदहवीं लोक सभा में 15 सत्रों में हुई 332 बैठकों में 1737 घंटे तथा पन्द्रहवीं लोक सभा के पहले 9 सत्रों में हुई 208 बैठकों में 883 घंटे लगे हैं।

जहां तक इन लोक सभाओं में प्रत्येक की बैठकों में व्यतीत औसत अवधि की बात है, तो इनमें भी अंतर रहा है। पहली लोक सभा के दौरान हुई बैठक की औसत अवधि 5 घंटे तथा 35 मिनट; दूसरी लोक सभा में 6 घंटे 26 मिनट; तीसरी लोक सभा में 6 घंटे 27 मिनट; चौथी लोक सभा में 6 घंटे 29 मिनट; पांचवीं लोक सभा में 6 घंटे 38 मिनट; छठी लोक सभा में 6 घंटे 34 मिनट; सातवीं लोक सभा में 7 घंटे 10 मिनट; आठवीं लोक सभा में 6 घंटे 39 मिनट; नौवीं लोक सभा में 6 घंटे 55 मिनट; दसवीं लोक सभा में 5 घंटे 58 मिनट; ग्यारहवीं लोक सभा में 6 घंटे 30 मिनट; बारहवीं लोक सभा में 6 घंटे 32 मिनट; तेरहवीं लोक सभा में 5 घंटे 28 मिनट; चौदहवीं लोक सभा में 5 घंटे 14 मिनट तथा वर्तमान पन्द्रहवीं लोक सभा के प्रथम 9 सत्रों में 4 घंटे 14 मिनट थी।

पन्द्रह लोक सभाओं में प्रत्येक के दौरान हुई बैठकों, उनमें लगे समय तथा बैठक की औसत अवधि का ब्यौरा तालिका 8 तथा ग्राफ 3 और 4 में दिया गया है।

तालिका 8 : आयोजित बैठकें और लिया गया समय
(पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

लोक सभा	बैठकों की संख्या (दिनों में)	लिया गया समय (घंटों में)#	प्रतिदिन औसत (घंटों और मिनटों में)	प्रतिदिन औसत (मिनटों में)
पहली (1952-57)	677	3784	5.35	335
दूसरी (1957-62)	567	3651	6.26	386
तीसरी (1962-67)	578	3733	6.27	387
चौथी (1967-70)	467	3029	6.29	389
पांचवीं* (1971-77)	613	4071	6.38	398
छठी (1977-79)	267	1753	6.34	394
सातवीं (1980-84)	464	3324	7.10	430
आठवीं (1985-89)	485	3224	6.39	399
नौवीं (1989-91)	109	754	6.55	415
दसवीं (1991-96)	423	2527	5.58	358
ग्यारहवीं (1996-97)	125	813	6.30	390
बारहवीं (1998-99)	88	575	6.32	392
तेरहवीं (1999-2004)	356	1945	5.28	328
चौदहवीं (2004-09)	332	1737	5.14	314
पंद्रहवीं** (2009-)	208	883	4.15	254

निकटतम घंटे तक पूर्णांकित।
* एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया।
** नौवें सत्र तक।

ग्राफ 3 : आयोजित बैठकें और उनमें लगा समय*
(पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

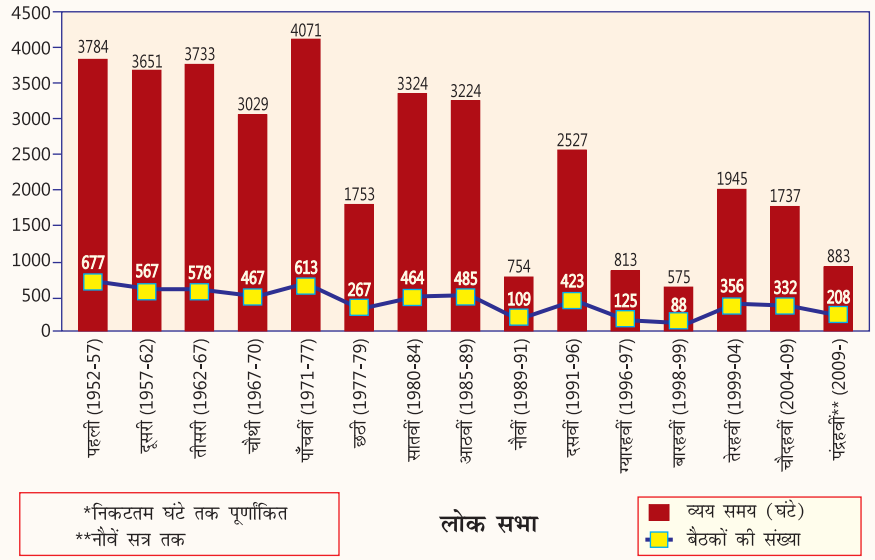

ग्राफ 4 : बैठक की औसत अवधि
(पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

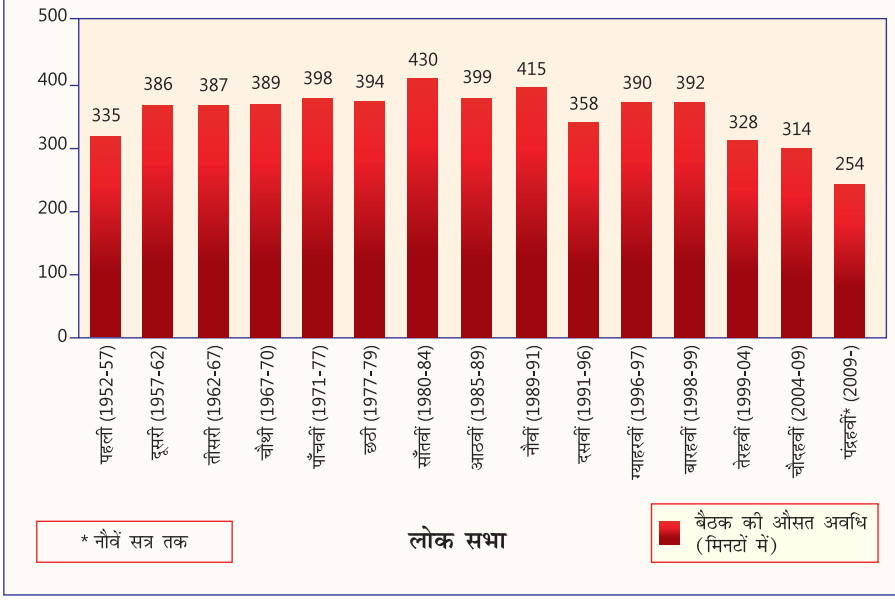

अध्याय चार
विभिन्न प्रकार के कार्य एवं उनमें लगा समय

संसद की प्रक्रियाएं मंत्रालयी जवाबदेही के दैनिक एवं आवधिक मूल्यांकन के लिए प्रचुर अवसर प्रदान करती हैं। लोक सभा 'लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम' जो कई प्रक्रियात्मक उपादानों की जानकारी देती है, के ढांचे के भीतर विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन करती है। संसदीय प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण नोटिस जैसी लोकप्रिय प्रक्रियाएं सरकारी कार्यकलापों में चूक की एवं अन्य आवश्यक जानकारी देने में सहायक होती हैं। प्रशासन की समीक्षा के लिए अधिक महत्वपूर्ण अवसर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, बजट एवं सरकारी नीतियों के विशेष पहलुओं पर चर्चा, अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर प्रस्ताव, गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। विभिन्न विधेयकों पर चर्चा के विभिन्न चरणों के दौरान सदस्यों को सरकारी नीतियों की आलोचना और उन्हें प्रभावित करने का अवसर मिलता है।

कार्य मंत्रणा समिति, जिसमें सभा के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है, सभा के समक्ष लाए गए सभी सरकारी कार्यों के लिए समय के आवंटन की सिफारिश करती है और इसके अनुमोदन के पश्चात् यह सभा की व्यवस्था का रूप ले लेता है। गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्प के संबंध में समय का आवंटन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्प संबंधी समिति द्वारा किया जाता है।

सभी पन्द्रह लोक सभाओं में प्रत्येक द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों एवं उनमें लगे समय का संक्षिप्त विवरण निम्न अनुच्छेदों एवं तालिका 9 में दिया गया है:

प्रश्न

सामान्यत: लोक सभा की बैठक का प्रथम घंटा प्रश्नों के लिए नियत होता है तथा यह समय 'प्रश्न काल' कहलाता है। संसद की कार्यवाही में प्रश्न काल का विशेष महत्व है। प्रश्न काल के दौरान सदस्य नियमानुसार, प्रशासन और सरकारी गतिविधि के किसी भी पहलू पर प्रश्न पूछ सकते हैं।

संसदीय प्रश्नों को तारांकित, अतारांकित एवं अल्प सूचना प्रश्नों नामक तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। तारांकित प्रश्न वह प्रश्न है जिसके सभा में मौखिक उत्तर पाने की इच्छा सदस्य की होती है तथा इस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसे मुद्रित करने में तारांकन चिह्न द्वारा विशिष्टता प्रदान की जाती है। अतारांकित प्रश्न वह है जिसका मौखिक उत्तर सभा में नहीं दिया जाता है तथा

इस पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। ऐसे प्रश्न का लिखित उत्तर संबंधित मंत्री द्वारा औपचारिक तौर पर पटल पर नहीं रखा जाता है बल्कि प्रश्नकाल के अंत में सभा के पटल पर रखा गया मान लिया जाता है। अल्प सूचना प्रश्न वह होता है जो अविलंबनीय लोक महत्व के मामले से संबंधित होता है और इसे सामान्य प्रश्न के लिए निर्धारित सूचना की अवधि की तुलना में कम नोटिस पर पूछा जा सकता है।

प्रश्नों को आवंटित निर्धारित समय के परिणामस्वरूप विभिन्न लोक सभाओं द्वारा प्रश्नों पर व्यतीत समय में कोई व्यापक अंतर नहीं रहा है। पहली लोक सभा के दौरान प्रश्नों पर व्यतीत 15 प्रतिशत समय की तुलना में दूसरी और तीसरी लोक सभा के दौरान प्रत्येक लोक सभा में लगे 15.10 प्रतिशत समय, चौथे के दौरान 15.94 प्रतिशत, पांचवीं के दौरान 12.61 प्रतिशत, छठी के दौरान 13.70 प्रतिशत, सातवीं के दौरान 12.20 प्रतिशत; आठवीं के दौरान 12.79 प्रतिशत, नौवीं के दौरान 10.14 प्रतिशत, दसवीं के दौरान 11.80 प्रतिशत, ग्यारहवीं के दौरान 9.58 प्रतिशत, बारहवीं के दौरान 8.96 प्रतिशत, तेरहवीं के दौरान 11.7 प्रतिशत, चौदहवीं के दौरान 11.42 प्रतिशत तथा वर्तमान पन्द्रहवीं लोक सभा के प्रथम नौ सत्रों के दौरान 9.17 प्रतिशत समय व्यतीत हुआ।

विधायन : सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

कानून बनाना संसद का सर्वतोप्रमुख कार्य माना जाता है। संसद में सभी विधायी प्रस्तावों का प्रारंभ विधेयकों के रूप में किया जाता है। विधेयक विधायी प्रस्ताव का प्रारूप होता है जिसे समुचित रूप में रखा जाता है और जो संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किए जाने तथा राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के पश्चात् अधिनियम बन जाता है। किसी विधेयक को या तो किसी मंत्री या किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा संसद की किसी भी सभा में पुर:स्थापित किया जा सकता है। पहला सरकारी विधेयक तथा दूसरा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक के रूप में जाना जाता है। विधेयकों का वर्गीकरण (1) सामान्य विधेयक; (2) संविधान संशोधन विधेयक; और (3) धन विधेयक के रूप में किया जा सकता है। धन विधेयक (यथा विधेयक जिनमें करों के आधान, निरसन, संशोधन या विनियमन हेतु प्रावधान ही निहित होते हैं; भारत की समेकित निधि में से धन के विनियोजन संबंधी विधेयक और संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड (1) में उल्लिखित अन्य मामलों से संबंधित) को केवल लोक सभा में ही पुर:स्थापित किया जा सकता है। एक सभा द्वारा किसी विधेयक के पारित किए जाने के पश्चात् इसे सम्मति हेतु दूसरी सभा को भेजा जाता है। जब दोनों सभाओं द्वारा किसी विधेयक को पारित किया जाता है तब इसे राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजा जाता है। कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् ही अधिनियम बन पाता है।

पहली लोक सभा के दौरान विधि निर्माण में, जिसमें सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्यों, दोनों के विधेयक शामिल थे, लिया गया समय विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगे कुल समय का 49 प्रतिशत था जबकि दूसरी लोक सभा के दौरान यह 28.20 प्रतिशत; तीसरी के दौरान 23 प्रतिशत; चौथी के दौरान 22.05 प्रतिशत; पांचवीं के दौरान 27.55 प्रतिशत; छठी के दौरान 23.51 प्रतिशत; सातवीं के

दौरान 23.99 प्रतिशत; आठवीं के दौरान 25.06 प्रतिशत; नौवीं के दौरान 16.18 प्रतिशत; दसवीं के दौरान 22.16 प्रतिशत; ग्यारहवीं के दौरान 15.66 प्रतिशत; बारहवीं के दौरान 16.60 प्रतिशत; तेरहवीं के दौरान 25.3 प्रतिशत; चौदहवीं के दौरान 21.61 प्रतिशत; तथा पन्द्रहवीं लोक सभा के नौ सत्रों के दौरान 22.60 प्रतिशत था।

वित्तीय कार्य: बजट एवं संबंधित मामले

विधायिका के अनुमोदन हेतु बजट की तैयारी एवं प्रस्तुति केन्द्र एवं राज्यों-दोनों की सांविधानिक बाध्यता है। प्रत्येक वित्त वर्ष में 'वार्षिक वित्तीय विवरण' संसद की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति की ओर से रखा जाता है जिसे भारत सरकार के 'बजट' के नाम से भी जाना जाता है। बजट लोक सभा में—रेल वित्त से संबंधित 'रेल बजट' तथा 'आम बजट', जो रेलवे को छोड़कर भारत सरकार की वित्तीय स्थिति की समग्र तस्वीर देता है—नामक दो भागों में लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों का बजट भी लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है।

लोक सभा द्वारा किए गए वित्तीय कार्य में आम और रेल बजट तथा अनुपूरक/अतिरिक्त अनुदान-मांगों के विवरण की प्रस्तुति, आम और रेल बजट पर आम चर्चा, आम और रेल बजट के संबंध में लेखानुदान मांग पर मतदान, आम और रेल बजट के संबंध में अनुदान-मांगों पर बहस और मतदान; अनुपूरक एवं अतिरिक्त अनुदान-मांग तथा विश्वास मत पर मतदान; सभा द्वारा पारित विभिन्न मांगों के संबंध में विनियोग विधेयकों पर चर्चा एवं उन्हें पारित करना, वित्त विधेयक पर चर्चा और उसे पारित करना तथा राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बजट, अनुपूरक और अतिरिक्त अनुदान की प्रस्तुति एवं उस पर चर्चा तथा संबंधित विनियोग विधेयकों का पुर:स्थापन, विचारण तथा उसे पारित करना शामिल होते हैं।

बजट पर आम चर्चा के पश्चात् विभाग संबंधी स्थायी समितियों द्वारा विभागीय अनुदान-मांगों की परीक्षा की जाती है। इस पूरे कार्य की समाप्ति वित्त एवं विनियोग विधेयकों के पारित होने में होती है।

पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान विधायी कार्य के बाद सभा के कुल समय का 10 से 25 प्रतिशत वित्तीय कार्य में व्यतीत हुआ है। पहली लोक सभा के दौरान बजट एवं अन्य संबंधित मामलों में व्यतीत समय 19 प्रतिशत था जबकि दूसरी लोक सभा के दौरान 24.70 प्रतिशत; तीसरी के दौरान 25.02 प्रतिशत; चौथी के दौरान 19.13 प्रतिशत; पांचवीं के दौरान 21.64 प्रतिशत; छठी के दौरान 23.26 प्रतिशत; सातवीं के दौरान 20.84 प्रतिशत; आठवीं के दौरान 21.74 प्रतिशत; नौवीं के दौरान 16.00 प्रतिशत; दसवीं के दौरान 17.38 प्रतिशत; ग्यारहवीं के दौरान 17.60 प्रतिशत; बारहवीं के दौरान 14.68 प्रतिशत; तेरहवीं के दौरान 10.9 प्रतिशत; चौदहवीं के दौरान 20.06 प्रतिशत तथा पन्द्रहवीं लोक सभा के नौ सत्रों के दौरान 20.29 प्रतिशत समय व्यतीत हुआ।

प्रस्ताव

''लोक सभा में प्रक्रिया एवं कार्यकरण नियम'' के नियम 184 में कहा गया है कि ''संविधान के इन नियमों में अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर अध्यक्ष की सम्मति से किए गए प्रस्ताव के बिना सामान्य लोक हित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी।''

प्रस्तावों में सभा की कार्यवाहियों के विभिन्न विशिष्ट रूप सम्मिलित होते हैं तथा इन्हें तीन श्रेणियों, यथा मूल प्रस्ताव, स्थानापन्न प्रस्ताव और अनुषंगी प्रस्तावों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मूल प्रस्ताव सभा के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत एक स्वत: स्पष्ट स्वतंत्र प्रस्ताव होता है और इसका प्रारूप इस तरह तैयार किया जाता है जो कि सभा के निर्णय को व्यक्त करने में सक्षम हो। किसी मामले या नीति या स्थिति या किसी वक्तव्य या किसी अन्य मामले पर विचार करने के लिए मूल प्रस्ताव के प्रतिस्थापन में प्रस्तुत प्रस्ताव, स्थानापन्न प्रस्ताव कहे जाते हैं। अनुषंगी प्रस्ताव अन्य प्रस्तावों पर आश्रित होते हैं या उनसे संबंधित होते हैं या सभा की किसी कार्यवाही से उत्पन्न होते हैं। स्वयं में इनका कोई अर्थ नहीं होता है तथा ये मूल प्रस्ताव या सभा की कार्यवाही के संदर्भ के बिना सभा के निर्णय को व्यक्त करने में सक्षम नहीं होते।

सामान्य लोक हित के मामलों पर चर्चा करने के लिए प्रस्तावों को सामान्यत: दो रूपों में सभा पटल पर रखा जाता है। पहले रूप में सभा, पटल पर रखे गए दस्तावेजों पर विचार करती है जबकि दूसरे रूप में सभा द्वारा विशिष्ट मामले के संबंध में स्थिति पर विचार किया जाता है। पहले रूप का प्रयोग सामान्यत: ऐसे प्रस्ताव के संबंध में किया जाता है जिसमें सभा पटल पर रखे गए रिपोर्ट या वक्तव्य आदि पर चर्चा आवश्यक होती है। इस रूप में प्रस्ताव एक वचनबद्धता रहित मूल प्रस्ताव होता है और चर्चा के अंत में इस पर सभा का मत लिया जाता है। प्रस्ताव के दूसरे रूप का प्रयोग सामान्यत: तब किया जाता है जब किसी नीति, स्थिति या वक्तव्य या किसी अन्य मामले की स्थिति पर विचार किया जाता है। इस रूप में प्रस्ताव को चर्चा के अंत में सभा के मत के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता। तथापि, यदि कोई सदस्य मौलिक प्रस्ताव के प्रतिस्थापन पर मूल प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो उस पर सभा का मत लिया जाता है।

लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 198 में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रक्रिया का उल्लेख है। ऐसे किसी प्रस्ताव के अंगीकार किए जाने से सरकार स्वत: गिर जाती है।

विभिन्न लोक सभाओं द्वारा इन प्रस्तावों पर लिया गया समय कुल कार्यवाही के समय के 3.00 प्रतिशत से 17.33 प्रतिशत के बीच रहा। पहली लोक सभा द्वारा इन प्रस्तावों पर लिया गया समय 7 प्रतिशत था जबकि दूसरी लोक सभा का 13.70 प्रतिशत, तीसरी का 13.20 प्रतिशत, चौथी का 9.22 प्रतिशत, पांचवीं का 6.55 प्रतिशत, छठी का 10.70 प्रतिशत, सातवीं का 6.35 प्रतिशत, आठवीं का 3.69 प्रतिशत, नौवीं का 4.35 प्रतिशत, दसवीं का 6.53 प्रतिशत, ग्यारहवीं का

17.33 प्रतिशत, बारहवीं का 10.45 प्रतिशत, तेरहवीं का 3.9 प्रतिशत, चौदहवीं का 1.63 प्रतिशत और पन्द्रहवीं लोक सभा के नौवें सत्र तक 2.92 प्रतिशत था।

चर्चा (अल्पकालिक और आधे घंटे की चर्चा)

अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले पर सदस्यों को अवसर देने के लिए मार्च, 1953 में एक परिपाटी शुरू की गई जिसके द्वारा सदस्य बिना किसी औपचारिक प्रस्ताव या उस पर मतदान के चर्चा शुरू कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को बाद में लोक सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 193 के अधीन ''अल्पकालिक चर्चा'' के रूप में शामिल किया गया। चर्चा आरम्भ करने वाले सदस्य को उत्तर का अधिकार नहीं होता है। चर्चा के अंत में संबंधित मंत्री संक्षिप्त उत्तर देते हैं।

एक अन्य तरीका जिसके माध्यम से सदस्य पर्याप्त लोक महत्व के मामले को उठाते हैं, जोकि हाल के प्रश्न—तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना का विषय रहा है तथा जिसके उत्तर में तथ्यों को स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है, वह आधे घंटे की चर्चा होती है। अल्पकालिक चर्चा (नियम 193 के अधीन) एवं आधे घंटे की चर्चा (नियम 55 के अधीन) जैसी पद्धतियों का उपयोग समकालिक महत्व के मुद्दों पर विचार करने के लिए किया गया है।

सभा के समय का एक बड़ा हिस्सा ऐसी चर्चाओं पर व्यतीत होता है। यद्यपि इस प्रकार की चर्चा में लगाए गए समय से संबंधित आंकड़ों से मिश्रित रुझान का पता चलता है, तथापि सातवीं लोक सभा से इन प्रक्रियागत पद्धतियों पर व्यतीत समय हमेशा सात प्रतिशत से अधिक रहा है। छठी लोक सभा तक यह 3 से 7.74 प्रतिशत तक था। तीसरी लोक सभा* के दौरान 3 प्रतिशत की तुलना में चौथी लोक सभा के दौरान 7.74, पांचवीं के दौरान 6.47, छठी के दौरान 4.10, सातवीं के दौरान 9.14, आठवीं के दौरान 15.79, नौवीं के दौरान 12.95, दसवीं के दौरान 7.46, ग्यारहवीं के दौरान 8.36, बारहवीं के दौरान 19.15, तेरहवीं के दौरान 18.4, चौदहवीं के दौरान 14.62 तथा पन्द्रहवीं लोक सभा के नौवें सत्र तक 16.17 प्रतिशत समय व्यतीत हुआ।

संकल्प

कोई सदस्य या मंत्री प्रक्रिया नियमों के अध्यधीन सामान्य लोक हित से जुड़े संकल्प प्रस्तुत कर सकता है। संकल्प को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है, यथा (1) सरकारी संकल्प; (2) सांविधिक संकल्प; तथा (3) गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प। एक संकल्प, राय या सिफारिश को घोषित करने के रूप में हो सकती है या यह इस रूप में हो सकता है ताकि सभा द्वारा सरकार के कृत्य या नीति का अनुमोदन या निरनुमोदन दर्ज किया जा सके या एक संदेश या प्रशंसा भेजने या सरकार द्वारा किसी मामले या रिपोर्ट पर ध्यान दिलाने के लिए कार्रवाई का आग्रह या अनुरोध करने या किसी अन्य रूप जिसे लोक सभा अध्यक्ष उपयुक्त समझे, के लिए किया जा सकता है।

* पहली और दूसरी लोक सभा से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

दूसरे शुक्रवार से शुरू होने वाले सत्र के एक शुक्रवार को छोड़कर दूसरे शुक्रवार की प्रत्येक बैठक के अंतिम ढाई घंटे सामान्यत: गैर-सरकारी सदस्यों की चर्चा के लिए नियत होते हैं।

विधायी कार्य, बजट, प्रश्न, चर्चा, प्रस्ताव के बाद संकल्प प्रत्येक लोक सभा द्वारा चर्चा हेतु छठा महत्वपूर्ण मद है। जहां तक विभिन्न लोक सभाओं द्वारा संकल्प पर व्यतीत किए जाने वाले समय के प्रतिशत की बात है तो इसमें बहुत अंतर नहीं है। यह पहली लोक सभा में 6.00 प्रतिशत, दूसरी में 5.50 प्रतिशत, तीसरी में 5.90 प्रतिशत, चौथी में 6.45 प्रतिशत, पांचवीं में 5.17 प्रतिशत, छठी में 3.76 प्रतिशत, सातवीं में 3.96 प्रतिशत, आठवीं में 5.44 प्रतिशत, नौवीं में 5.72 प्रतिशत, दसवीं में 6.23 प्रतिशत, ग्यारहवीं में 4.63 प्रतिशत, बारहवीं में 4.45 प्रतिशत, तेरहवीं में 3.7 प्रतिशत, चौदहवीं में 3.17 प्रतिशत तथा पन्द्रहवीं लोक सभा के नौवें सत्र तक 2.55 प्रतिशत था।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा

संविधान के अनुच्छेद 87(1) में लोक सभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात् प्रथम सत्र के आरम्भ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं में राष्ट्रपति के अभिभाषण का उपबंध है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत तथा दूसरे सदस्य द्वारा अनुमोदित धन्यवाद प्रस्ताव पर होती है। चर्चा के लिए नियत दिन सभा अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा के लिए स्वतंत्र होती है। चर्चा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है तथा सदस्य किसी भी राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अभिभाषण में विशिष्ट रूप से उल्लेख न किए गए विषयों पर भी धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन के माध्यम से चर्चा की जाती है। इसमें सीमा केवल यही है कि सदस्य ऐसे विषयों का उल्लेख नहीं कर सकते जो केन्द्र सरकार की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं होते हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा पर व्यतीत समय से संबंधित आंकड़े दर्शाते हैं कि अन्य लोक सभाओं की तुलना में नौवीं, दसवीं, बारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं और पन्द्रहवीं लोक सभाओं ने इस विशिष्ट संसदीय चर्चा पर अपना 3 प्रतिशत से अधिक समय व्यतीत किया। अन्य लोक सभाओं ने इस विशेष कार्य पर अपना तीन प्रतिशत से कम समय व्यतीत किया। तीसरी*, चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं और ग्यारहवीं लोक सभाओं ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर क्रमश: अपना 2.9 प्रतिशत, 2.29 प्रतिशत, 2.15 प्रतिशत, 2.59 प्रतिशत, 1.82 प्रतिशत, 2.39 प्रतिशत और 2.03 प्रतिशत समय व्यतीत किया; नौवीं, दसवीं और बारहवीं लोक सभाओं ने सभा में प्रतिवर्ष अनिवार्य रूप से होने वाली इस चर्चा पर क्रमश: अपना 4.56 प्रतिशत, 3.32 प्रतिशत, 4.30 प्रतिशत समय व्यतीत किया। तेरहवीं लोक सभा ने अपने समय का 3.3 प्रतिशत, चौदहवीं लोक सभा ने 3.45 प्रतिशत और पन्द्रहवीं लोक सभा ने (नौवें सत्र तक) 4.40 प्रतिशत समय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में व्यतीत किया।

* पहली और दूसरी लोक सभा से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

ध्यानाकर्षण

ध्यानाकर्षण की अवधारणा आधुनिक संसदीय प्रक्रिया में एक नई प्रक्रिया है जिसका आरम्भ भारत में हुआ है। कोई सदस्य अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा से अविलंबनीय लोक महत्व के किसी विषय पर मंत्री का ध्यान आकर्षित कर सकता है और मंत्री उस पर तुरन्त संक्षिप्त वक्तव्य दे सकता है या बाद में किसी समय या तिथि को वक्तव्य देने के लिए समय मांग सकता है। मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जाती है लेकिन प्रत्येक सदस्य, जिसके नाम में कार्यसूची में मद दी गई हो, को स्पष्टीकरण के लिए संक्षिप्त प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है। ध्यानाकर्षण सूचना की ग्राह्यता की कसौटी आवश्यकता और लोक महत्व है।

तीसरी लोक सभा से नौवीं लोक सभा तक सभा द्वारा ध्यानाकर्षण पर विभिन्न प्रकार के कार्यों पर व्यतीत कुल समय का 2.79 से 9.85 प्रतिशत समय व्यतीत किया गया। दसवीं से बारहवीं लोक सभा के दौरान इस पर सभा के कुल समय का एक प्रतिशत से कम समय व्यतीत हुआ। ध्यानाकर्षण पर तीसरी* लोक सभा के दौरान व्यतीत 3 प्रतिशत समय की तुलना में चौथी लोक सभा के दौरान 4.83 प्रतिशत, पांचवीं लोक सभा के दौरान 5.29 प्रतिशत, छठी लोक सभा के दौरान 4.99 प्रतिशत, सातवीं लोक सभा के दौरान 9.85 प्रतिशत, आठवीं लोक सभा के दौरान 3.83 प्रतिशत, नौवीं लोक सभा के दौरान 2.79 प्रतिशत, दसवीं लोक सभा के दौरान 0.41 प्रतिशत, ग्यारहवीं लोक सभा के दौरान 0.84 प्रतिशत, बारहवीं लोक सभा के दौरान 0.97 प्रतिशत, तेरहवीं लोक सभा के दौरान 1.9 प्रतिशत, चौदहवीं लोक सभा के दौरान 3.80 प्रतिशत और पन्द्रहवीं लोक सभा के नौवें सत्र तक के दौरान 2.16 प्रतिशत समय व्यतीत किया गया।

स्थगन प्रस्ताव

स्थगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना है। स्थगन प्रस्ताव की विषय वस्तु सरकार के आचरण से संबंधित होनी चाहिए और सरकार की भूल या चूकों की आलोचना की प्रकृति में होनी चाहिए। स्थगन प्रस्ताव तब तक ग्राह्य नहीं होता, जब तक सरकार की ओर से संविधान और कानून द्वारा प्रदत्त कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असफल नहीं रहती है। अपनी प्रकृति के अनुसार स्थगन प्रस्ताव सभा के नियमित कार्य में एक तरह का व्यवधान है। जब कभी स्थगन प्रस्ताव को सभा में चर्चा के लिए लिया जाता है तो इसके पूरा होने के समय तक सभा के सामान्य कार्य को नहीं लिया जाता है।

स्थगन प्रस्ताव पर तीसरी लोक सभा* के दौरान व्यतीत 1.10 प्रतिशत समय की तुलना में चौथी लोक सभा के दौरान 1.33 प्रतिशत, पांचवीं लोक सभा के दौरान 1.56 प्रतिशत, छठी लोक सभा के दौरान 1.42 प्रतिशत, सातवीं लोक सभा के दौरान 1.00 प्रतिशत, आठवीं लोक सभा

* पहली और दूसरी लोक सभा से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

के दौरान 0.57 प्रतिशत, नौवीं लोक सभा के दौरान 4.78 प्रतिशत, दसवीं लोक सभा के दौरान 0.93 प्रतिशत, ग्यारहवीं लोक सभा के दौरान 0.98 प्रतिशत, तेरहवीं लोक सभा के दौरान 2.6 प्रतिशत, चौदहवीं लोक सभा के दौरान 2.20 प्रतिशत और पन्द्रहवीं लोक सभा के नौवें सत्र तक 0.70 प्रतिशत समय व्यतीत किया गया था। बारहवीं लोक सभा के दौरान कोई भी स्थगन प्रस्ताव नहीं लिया गया।

नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले

वे मामले जो प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों आदि से संबंधित नियमों के अधीन नहीं उठाए जा सकते हैं, उन्हें नियम 377 के अधीन उठाया जा सकता है। यह प्रक्रियागत पद्धति सदस्यों को विशेष रूप से अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों को उठाने का अवसर देती है। इस प्रक्रियागत पद्धति के माध्यम से सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर व्यतीत समय के प्रतिशत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा है। यह सातवीं से तेरहवीं लोक सभा* में 1.83 प्रतिशत से 3.19 प्रतिशत तक रहा है। जहां सातवीं लोक सभा में नियम 377 के अधीन मामलों पर कुल समय का 3.19 प्रतिशत समय व्यतीत किया गया, वहीं आठवीं लोक सभा में 2.48 प्रतिशत, नौवीं लोक सभा में 2.14 प्रतिशत, दसवीं लोक सभा में 1.83 प्रतिशत, ग्यारहवीं लोक सभा में 1.98 प्रतिशत, बारहवीं लोक सभा में 2.06 प्रतिशत, तेरहवीं लोक सभा में 2.00 प्रतिशत, चौदहवीं लोक सभा में 1.29 प्रतिशत और पन्द्रहवीं लोक सभा के नौवें सत्र तक 0.53 प्रतिशत समय व्यतीत किया गया।

वक्तव्य

लोक महत्व के विषयों या किसी विषय विशेष के संबंध में सरकार की नीति के बारे में सभा को अवगत कराने के लिए मंत्री लोक सभा अध्यक्ष की सहमति से समय-समय पर सभा में वक्तव्य देते हैं। देश में हुई गंभीर घटनाओं के बारे में संसद को शीघ्र अवगत कराने के लिए एक परिपाटी चली आ रही है कि मंत्री ऐसी घटनाओं के संबंध में सभा में स्वत: स्फूर्त वक्तव्य देते हैं।

वक्तव्यों पर सभा द्वारा व्यतीत समय पांचवीं लोक सभा को छोड़कर कुल समय का दो प्रतिशत से कम रहा है। पांचवीं लोक सभा ने अपने समय का 2.87 प्रतिशत वक्तव्यों पर व्यतीत किया। इस प्रकार सभा के समय का एक छोटा सा हिस्सा इस प्रक्रियागत पद्धति पर व्यतीत किया गया।

प्रत्येक लोक सभा के दौरान विभिन्न प्रकार के कार्यों पर व्यतीत समय के तुलनात्मक आंकड़े तालिका 9 में दिए गए हैं और उसके बाद ग्राफ 5 में तीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य मदों अर्थात् प्रश्न, विधान और बजट पर व्यतीत समय को दर्शाया गया है।

* पहली से छठी लोक सभा से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

तालिका 9 : विभिन्न कार्यों में लिया गया समय (पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

(लिया गया समय घंटे-मिनट)

कार्य	पहली लो.स. (52-57)	दूसरी लो.स. (57-62)	तीसरी लो.स. (62-67)	चौथी लो.स. (67-70)	पांचवीं लो.स. (71-77)	छठी लो.स. (77-79)	सातवीं लो.स. (80-84)	आठवीं लो.स. (85-89)	नौवीं लो.स. (89-91)	दसवीं लो.स. (91-96)	ग्यारहवीं लो.स. (96-97)	बारहवीं लो.स. (98-99)	तेरहवीं लो.स. (99-2004)	चौदहवीं लो.स. (2004-09)	पंद्रहवीं लो.स.* (2009-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
कुल समय	3783-54 (100.00)	3651-35 (100.00)	3732-40 (100.00)	3029-24 (100.00)	4071-00 (100.00)	1753-06 (100.00)	3324-01 (100.00)	3223-52 (100.00)	754-00 (100.00)	2527-52 (100.00)	813-38 (100.00)	574-55 (100.00)	1945-39 (100.00)	1736-55 (100.00)	883-10 (100.00)
प्रश्न	551-51 (15.00)	552-32 (15.10)	564-41 (15.10)	482-53 (15.94)	513-32 (12.61)	240-25 (13.70)	405-26 (12.20)	412-16 (12.79)	76-45 (10.14)	298-23 (11.80)	77-56 (9.58)	51-30 (8.96)	228-23 (11.7)	198-48 (11.42)	81-02 (9.17)
विधेयक (सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों के)	1844-23 (49.00)	1031-58 (28.20)	867-58 (23.00)	668-22 (22.05)	1121-52 (27.55)	412-28 (23.51)	797-48 (23.99)	806-59 (25.06)	122-37 (16.18)	560-03 (22.16)	128-15 (15.66)	95-25 (16.60)	493-19 (25.3)	375-40 (21.61)	199-37 (22.60)
बजट	792-22 (19.00)	901-49 (24.70)	934-11 (25.02)	579-33 (19.13)	881-34 (21.64)	408-41 (23.26)	692-53 (20.84)	700-27 (21.74)	121-11 (16.00)	439-50 (17.38)	143-11 (17.60)	84-26 (14.68)	212-55 (10.9)	348-39 (20.06)	179-16 (20.29)
प्रस्ताव	270-32 (7.00)	499-44 (13.70)	487-24 (13.20)	279-57 (9.22)	267-05 (6.55)	188-12 (10.70)	211-36 (6.35)	119-22 (3.69)	33-16 (4.35)	160-15 (6.53)	141-00 (17.33)	60-03 (10.45)	74-57 (3.9)	28-24 (1.63)	25-52 (2.92)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
नियम 55 और 193 के अधीन चर्चा	उ.न.	उ.न.	112-30 (3.00)	234-59 (7.74)	264-04 (6.47)	72-02 (4.10)	305-53 (9.14)	508-25 (15.79)	98-04 (12.95)	188-32 (7.46)	68-04 (8.36)	110-06 (19.15)	357-30 (18.4)	254-04 (14.62)	142-49 (16.17)
संकल्प	237-11 (6.00)	199-34 (5.50)	217-23 (5.90)	194-55 (6.45)	211-24 (5.17)	66-34 (3.76)	134-53 (3.96)	175-47 (5.44)	43-54 (5.72)	157-29 (6.23)	37-23 (4.63)	25-34 (4.45)	71-38 (3.7)	55-16 (3.17)	22-32 (2.55)
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा	उ.न.	उ.न.	105-01 (2.9)	69-26 (2.29)	88-03 (2.15)	45-48 (2.59)	60-34 (1.82)	77-06 (2.39)	34-36 (4.56)	84-03 (3.32)	16-30 (2.03)	24-45 (4.30)	63-42 (3.3)	60-08 (3.45)	38-56 (4.40)
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	उ.न.	उ.न.	111-00 (3.00)	146-47 (4.83)	215-37 (5.29)	87-54 (4.99)	318-20 (9.85)	123-58 (3.83)	21-01 (2.79)	10-27 (0.41)	6-51 (0.84)	5-36 (0.97)	38-07 (1.9)	66-12 (3.80)	19-06 (2.16)
स्थगन प्रस्ताव	उ.न.	उ.न.	41-25 (1.10)	40-28 (1.33)	63-49 (1.56)	25-06 (1.42)	33-20 (1.00)	18-27 (0.57)	36-02 (4.78)	23-37 (0.93)	7-57 (0.98)	शून्य शून्य	49-40 (2.6)	38-30 (2.20)	6-11 (0.70)
नियम 377 के अधीन मामले	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	103-22 (3.19)	79-32 (2.48)	16-15 (2.14)	46-17 (1.83)	16-09 (1.98)	11-51 (2.06)	37-13 (2.00)	22-39 (1.29)	4-41 (0.53)
वक्तव्य	उ.न.	उ.न.	68-40 (1.80)	54-26 (1.79)	117-00 (2.87)	27-04 (1.54)	44-41 (1.30)	36-59 (1.15)	11-49 (1.52)	33-52 (1.34)	10-28 (1.29)	6-40 (1.16)	19-38 (1.00)	26-25 (1.54)	10-49 (1.22)
अन्य मामले#	177-35 (4.00)	465-58 (12.80)	222-27 (6.00)	277-38 (9.15)	327-10 (8.03)	179-23 (10.19)	217-17 (6.50)	164-34 (5.10)	138-30 (18.34)	525-04 (20.77)	159-54 (19.65)	98-58 (17.22)	298-37 (15.33)	262-10 (15.09)	152-19 (17.24)

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल समय का प्रतिशत दर्शाते हैं।

*नौवें सत्र तक

उ.न. – उपलब्ध नहीं

#प्रश्न काल के बाद और सभा के उस दिन के लिए स्थगित होने से पूर्व सभा पटल पर रखे गए पत्र सहित, उल्लेख, विशेषाधिकार के प्रश्न, व्यवस्था के प्रश्न, व्यक्तिगत स्पष्टीकरण, उठाए गए अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले, इत्यादि।

ग्राफ 5 : विधायन, बजट और प्रश्नों पर व्यय समय (घंटों में)*
(पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

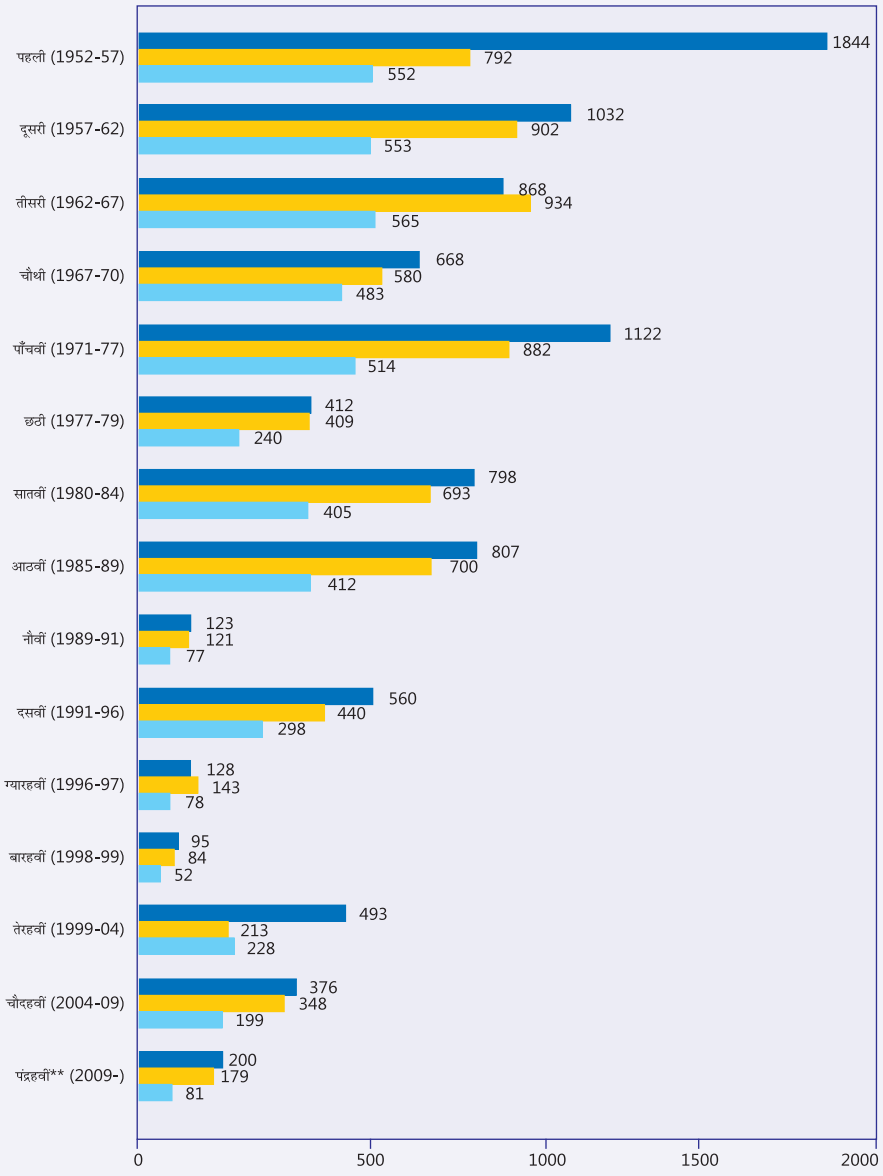

चूंकि वार्षिक बजट का प्रस्तुतीकरण राष्ट्रीय आर्थिक प्रबंधन पर संसद द्वारा अपने विचार व्यक्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवसर होता है, इसलिए प्रत्येक लोक सभा के दौरान बजट (अर्थात् आम बजट, रेलवे बजट और राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का बजट) पर व्यतीत समय को तालिका 10 और उसके बाद ग्राफ 6 में दर्शाया गया है।

तालिका 10 : बजटों पर व्यय समय
(पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

लोक सभा	कुल लिया गया समय घंटे-मिनट	सामान्य बजट पर व्यय समय* घंटे-मिनट	रेल बजट पर व्यय समय घंटे-मिनट	राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के बजटों पर व्यय समय घंटे-मिनट	वित्तीय कार्य पर कुल व्यय समय घंटे-मिनट
1	2	3	4	5	6
पहली (1952-57)	3783-54 (100)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	792.22 (19.00)
दूसरी (1957-62)	3651-35 (100)	764-09 (20.90)	129-55 (3.60)	7-45 (0.20)	901-49 (24.70)
तीसरी (1962-67)	3732-40 (100)	762-39 (20.43)	151-26 (4.05)	20-06 (0.54)	934-11 (25.02)
चौथी (1967-70)	3029-24 (100)	434-42 (14.34)	108-59 (3.61)	35-52 (1.18)	579-33 (19.13)
पांचवीं (1971-77)	4071-00 (100)	659-31 (16.20)	149-12 (3.66)	72-51 (1.78)	881-34 (21.64)
छठी (1977-79)	1753-06 (100)	330-23 (18.83)	65-59 (3.74)	12-19 (0.69)	408-41 (23.26)
सातवीं (1980-84)	3324-01 (100)	507-18 (15.26)	119-10 (3.58)	66-25 (2.00)	692-53 (20.84)

* अनुदानों की अनुपूरक मांगों सहित।

1	2	3	4	5	6
आठवीं (1985-89)	3323-52 (100)	546-39 (16.94)	119-45 (3.74)	34-03 (1.06)	700-27 (21.74)
नौवीं (1989-91)	754-00 (100)	93-50 (12.40)	15-11 (2.00)	12-10 (1.60)	121-11 (16.00)
दसवीं (1991-96)	2527-52 (100)	263-35 (10.43)	131-31 (5.18)	44-44 (1.77)	439-50 (17.38)
ग्यारहवीं (1996-97)	813-38 (100)	53-45 (6.61)	79-24 (9.76)	10-02 (1.23)	143-11 (17.60)
बारहवीं (1998-99)	574-55 (100)	38-18 (6.66)	44-57 (7.82)	1-11 (0.20)	84-26 (14.68)
तेरहवीं (1999-2004)	1945-39 (100)	131-23 (6.7)	78-40 (4.1)	2-52 (0.1)	212-55 (10.9)
चौदहवीं (2004-09)	1736-55 (100)	212-51 (12.25)	129-22 (7.44)	6-26 (0.37)	348-39 (20.06)
पंद्रहवीं** (2009-)	883-10 (100)	124-28 (14.09)	50-14 (5.68)	4-34 (0.52)	179-16 (20.28)

नोट: कोष्ठकों में दिए गए अंक कुल समय के प्रतिशत को दर्शाते हैं।
**नौवें सत्र तक।

ग्राफ 6 : लिया गया कुल समय और वित्तीय कार्य पर व्यय समय* (पहली से पंद्रहवी लोक सभा)

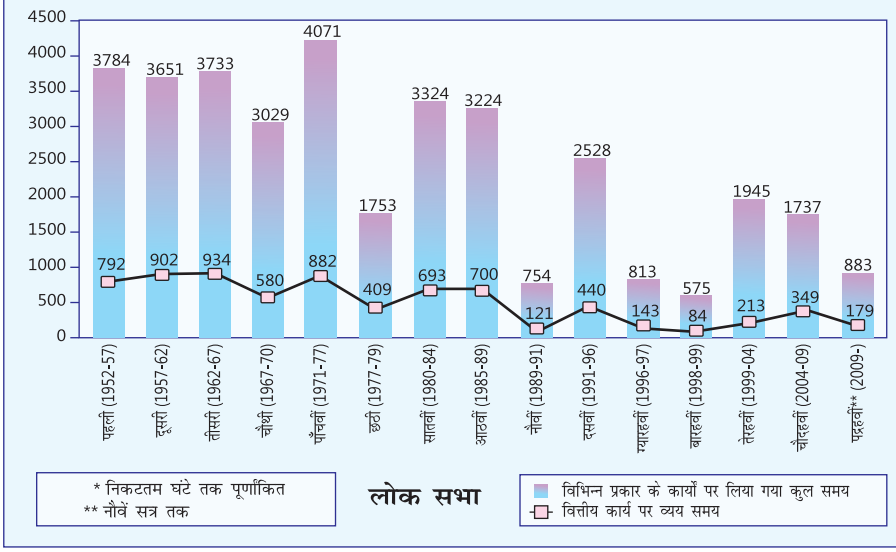

व्यवधान/स्थगन के कारण समय की बर्बादी

व्यवधान के कारण बार-बार सभा स्थगित होने से सभा के मूल्यवान समय की बर्बादी होती है। इसके कारण दसवीं लोक सभा के दौरान 9.95 प्रतिशत, ग्यारहवीं लोक सभा के दौरान 5.28 प्रतिशत, बारहवीं लोक सभा के दौरान 11.93 प्रतिशत, तेरहवीं लोक सभा के दौरान 18.95 प्रतिशत, चौदहवीं लोक सभा के दौरान 19.58 प्रतिशत और पन्द्रहवीं लोक सभा के नौवें सत्र तक 33.64 प्रतिशत समय की बर्बादी हुई।

दसवीं से पन्द्रहवीं लोक सभा में सभा में अव्यवस्था के परिणामस्वरूप व्यवधान/स्थगन के कारण बर्बाद समय का ब्यौरा तालिका 11 और इसके बाद ग्राफ 7 में दर्शाया गया है।

तालिका 11 : व्यवधानों/स्थगनों के कारण नष्ट समय (दसवीं से पन्द्रहवीं लोक सभा)*

लोक सभा	किए गए कार्य पर कुल व्यय समय (क)		व्यवधानों/स्थगनों के कारण नष्ट समय (ख)		कुल समय (क+ख)		व्यवधानों/स्थगनों के कारण नष्ट समय का प्रतिशत
	घंटे	मिनट	घंटे	मिनट	घंटे	मिनट	
दसवीं (1991-96)	2527	52	279	25	2807	17	9.95
ग्यारहवीं (1996-97)	813	38	45	20	858	58	5.28
बारहवीं (1998-99)	574	55	68	37	643	32	11.93
तेरहवीं (1999-2004)	1945	39	455	00	2400	39	18.95
चौदहवीं (2004-09)	1736	55	423	00	2159	55	19.58
पंद्रहवीं** (2009-)	883	10	447	50	1331	00	33.64

* पहली से नौवीं लोक सभा से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

** नौवें सत्र तक।

ग्राफ 7 : कुल व्यय समय तथा व्यवधानों/स्थगनों के कारण नष्ट समय* (दसवीं से पन्द्रहवीं लोक सभा)

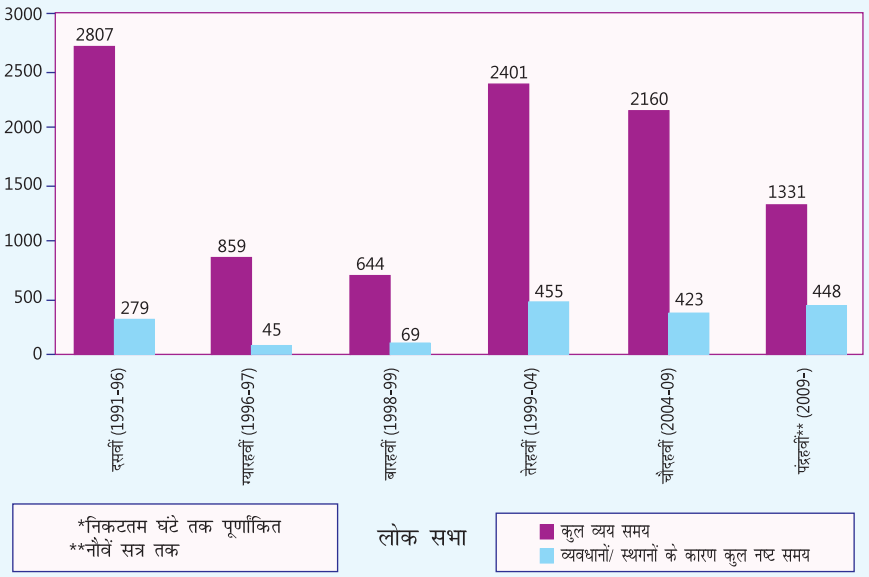

अध्याय पांच
निष्पादित कार्यः मात्रात्मक आयाम

'लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम' में प्रक्रियागत साधनों का प्रावधान है और जहां तक सभा के कार्यकरण की बात है उनमें से प्रत्येक का अपना महत्व है। तथापि, विधेयक, संसदीय प्रश्न, संकल्प, सभा पटल पर रखे गए पत्र, समितियां आदि जैसे उपाय सभा के प्रमुख कार्य रहे हैं। इन प्रक्रियागत उपायों ने लोक सभा को अपने महत्वपूर्ण विधायी कार्य सफलतापूर्वक पूरा करने, प्रशासन की निगरानी, बजट पारित करने, जनता की शिकायतों को सुनने और राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों और नीतियों आदि पर विचार करने में सहायता प्रदान की है। परवर्ती लोक सभाओं के कार्य निष्पादन का आकलन संसदीय कार्यकरण के इन महत्वपूर्ण उपायों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों की सहायता से किया जा सकता है। निम्नलिखित पैराओं और साथ में दी तालिकाओं एवं ग्राफों से लोक सभा के पिछले साठ वर्षों के इतिहास में इसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की मात्रात्मक झलक मिलती है।

विधायनः सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

देश की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था होने के नाते संसद ने विधायन के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वाधीनता के समय से विधायन सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख साधन रहा है। पहली लोक सभा में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कुल मिलाकर 319 विधायी उपाय किए गए। अभी तक परवर्ती लोक सभाओं द्वारा तीन हजार से अधिक विधेयकों पर चर्चा की गई है और उन्हें पारित किया गया है। पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान प्रत्येक द्वारा पुरःस्थापित और पारित सरकारी विधेयकों का ब्यौरा तथा पुरःस्थापित और पारित किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों* की संख्या तालिका 12 और उसके पश्चात् ग्राफ 8 और 9 पर दी गई है।

विषयवार अधिनियमों की संख्या

कानून बनाना सदैव संसद का प्रमुख कार्य रहा है। सभी विधायी प्रस्ताव विधेयक के रूप में संसद के समक्ष लाए जाते हैं। सरकार और गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा पुरःस्थापित कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता है जब तक इसे संसद के दोनों सदनों की सुस्थापित प्रक्रिया द्वारा स्वीकृति न मिले और अंततः राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिल जाती। अभी तक दोनों सदनों द्वारा तीन हजार

* उल्लेखनीय है कि अभी तक केवल 14 गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पारित हुए हैं और उन्हें स्वीकृति दी गई जिसमें से पहली लोक सभा के दौरान सात विधेयक पारित हुए और स्वीकृति दी गई, दूसरी और चौथी लोक सभा में प्रत्येक में दो और तीसरी लोक सभा में तीन गैर-सरकारी विधेयक पारित हुए और अनुमति दी गई। पांचवीं लोक सभा से गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा दिए गए विधायी प्रस्ताव को कानूनी रूप नहीं दिया जा सका है।

से अधिक विधेयक पारित किए गए हैं तथा राष्ट्रपति द्वारा उन्हें अनुमति दी गई है। अत: प्रशासनिक, न्यायिक कानूनी, संवैधानिक, विधायी, वित्तीय, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित विधायी उपबंधों को बड़ी संख्या में संविधि पुस्तिका में जोड़ा गया है। पन्द्रहवीं लोक सभा के नौवें सत्र तक पारित किए गए तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कुल विधेयकों में से 2086 आर्थिक और वित्तीय विषयों से संबंधित हैं जिसमें मुख्यत: कृषि, बैंकिंग, सिविल आपूर्ति, वाणिज्य, उद्योग, श्रम, परिवहन

तालिका 12 : पुर:स्थापित और पारित विधेयक
(पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

लोक सभा	सरकारी विधेयक		गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	
	पुर:स्थापित	पारित*	पुर:स्थापित	पारित
पहली (1952-57)	274	319	135	7
दूसरी (1957-62)	274	316	194	2
तीसरी (1962-67)	279	273	177	3
चौथी (1967-70)	196	219	347	2
पांचवीं (1971-77)	378	487	282	शून्य
छठी (1977-79)	161	136	249	शून्य
सातवीं (1980-84)	290	336	435	शून्य
आठवीं (1985-89)	273	346	417	शून्य
नौवीं (1989-91)	81	63	156	शून्य
दसवीं (1991-96)	248	284	406	शून्य
ग्यारहवीं (1996-97)	67	64	158	शून्य
बारहवीं (1998-99)	71	60	122	शून्य
तेरहवीं (1999-04)	252	297	343	शून्य
चौदहवीं (2004-09)	219	247	327	शून्य
पंद्रहवीं** (2009-)	141	116	212	शून्य

*राज्य सभा द्वारा पारित और लोक सभा पटल पर रखे गए और पारित विधेयकों सहित।
**नौवें सत्र तक।

ग्राफ 8 : पुरःस्थापित और पारित सरकारी विधेयक**
(पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

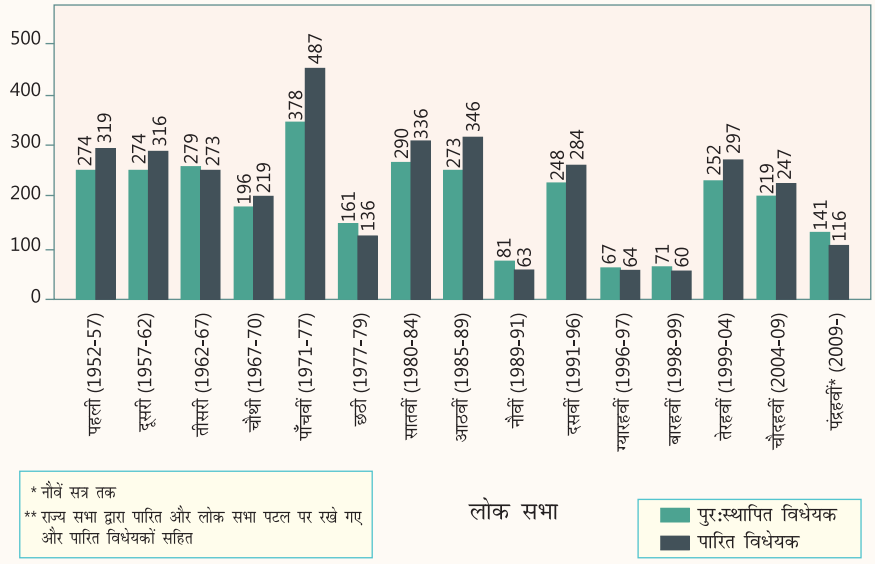

ग्राफ 9 : पुरःस्थापित और पारित गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक**
(पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

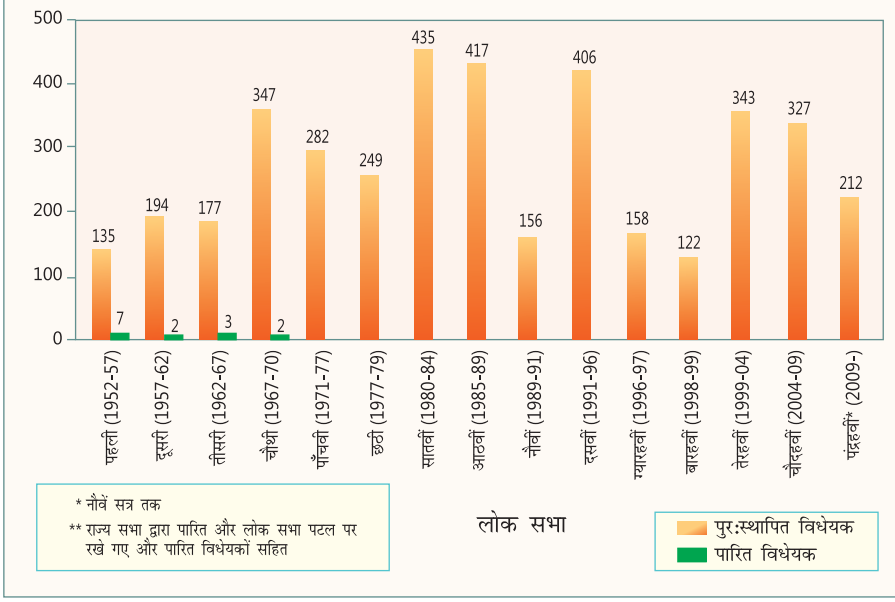

और धन का विनियोग सम्मिलित है। जहां तक प्रशासनिक मामलों का संबंध है, इन पर 419 अधिनियम बनाए गए और इसके बाद न्यायिक और कानूनी मामलों पर 175, विधायन पर 127, सामाजिक मुद्दों पर 147 और संवैधानिक मामलों पर 103 अधिनियम बनाए गए हैं। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिन पर कानून बनाए गए, में शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति आदि शामिल हैं। पन्द्रहवीं लोक सभा के प्रत्येक सत्र के दौरान पारित हुए विधेयकों और उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति विषयवार वर्गीकरण तालिका 13 पर और उसके बाद विषयवार ग्राफ 10 से 15 पर दिया गया है।

तालिका 13 : पारित और राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त विधेयकों का विषयवार वर्गीकरण (पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

लोक सभा	प्रशासनिक	न्यायिक एवं विधिक	संवैधानिक	विधायी	वित्तीय एवं आर्थिक	सामाजिक	अन्य*	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पहली (1952–57)	33	22	6	16	189	18	35	319
दूसरी (1957–62)	33	17	4	9	205	11	30	309
तीसरी (1962–67)	31	18	7	8	121	6	75	266
चौथी (1967–70)	38	8	3	8	139	6	11	213
पांचवीं (1971–77)	65	20	20	15	310	6	46	482
छठी (1977–79)	5	6	2	6	90	–	8	117
सातवीं (1980–84)	32	11	9	10	235	9	23	329
आठवीं (1985–89)	45	12	10	15	201	11	39	333

* शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य आदि सहित।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
नौवीं (1989-91)	4	2	7	3	41	2	3	62
दसवीं (1991-96)	17	16	11	11	165	12	43	275
ग्यारहवीं (1996-97)	5	3	–	–	45	–	8	61
बारहवीं (1998-99)	3	3	–	4	40	–	6	56
तेरहवीं (1999-2004)	6	24	14	22	158	31	42	297
चौदहवीं (2004-09)	69	12	07	–	104	22	34	248
पंद्रहवीं* (2009-)	33	01	03	–	43	13	11	104
कुल	419	175	103	127	2086	147	414	3471

*नौवें सत्र तक।

प्रश्न

प्रश्न काल संसदीय कार्य दिवस का सबसे जीवंत भाग है। लोकहित के मामलों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए सदस्यों के पास अत्यन्त लोकप्रिय साधन के रूप में प्रश्न काल सरकार की जवाबदेही की एक कसौटी, विपक्ष के कौशल का अपरिहार्य अंग और नौकरशाही की निष्क्रियता को रोकने का साधन बन गया है। सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न तथा मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर सरकार के पूरे कार्यकरण पर उल्लेखनीय प्रकाश डालते हैं।

प्रत्येक लोक सभा के दौरान सदस्यों से हजारों प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं। पहले नियमों के अंतर्गत कोई सदस्य कितने ही तारांकित और अतारांकित प्रश्न पूछ सकने के लिए स्वतंत्र था। इसकी कोई सीमा नहीं थी। तथापि, हाल ही में लिखित और मौखिक उत्तरों के लिए एक सदस्य द्वारा एक दिन में दिए गए प्रश्न की सूचनाओं की संख्या को सीमित करके 10 कर दिया गया है। लेकिन किसी सदस्य द्वारा तारांकित और अतारांकित दोनों मिलाकर किसी एक दिन की प्रश्न सूची में पांच से अधिक प्रश्न गृहीत नहीं किए जाते हैं। इनमें से एक से अधिक प्रश्न मौखिक उत्तर देने के लिए प्रश्न सूची में शामिल नहीं किया जाता। इसके अलावा सामान्यत: 20 से अधिक तारांकित प्रश्न और 230 से अधिक अतारांकित प्रश्न एक बैठक की प्रश्न सूची में शामिल नहीं किए जाते। तथापि, एक प्रश्न सूची से दूसरी सूची में अंतरित अथवा आस्थगित प्रश्नों की संख्या के अनुसार प्रश्न उपर्युक्त सीमा से अधिक

ग्राफ 10 : प्रशासनिक मामलों पर पारित और अनुमति प्राप्त विधेयकों की संख्या (पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

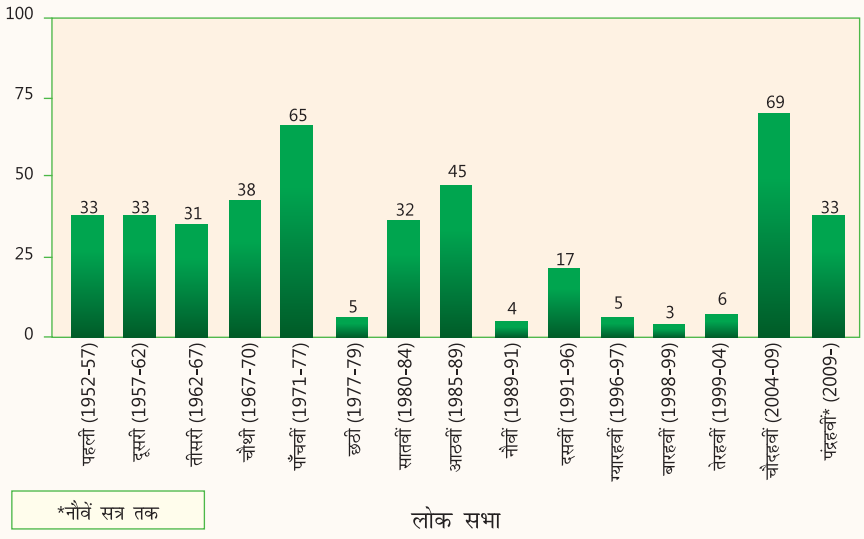

ग्राफ 11 : न्यायिक एवं विधिक मामलों पर पारित और अनुमति प्राप्त विधेयकों की संख्या (पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

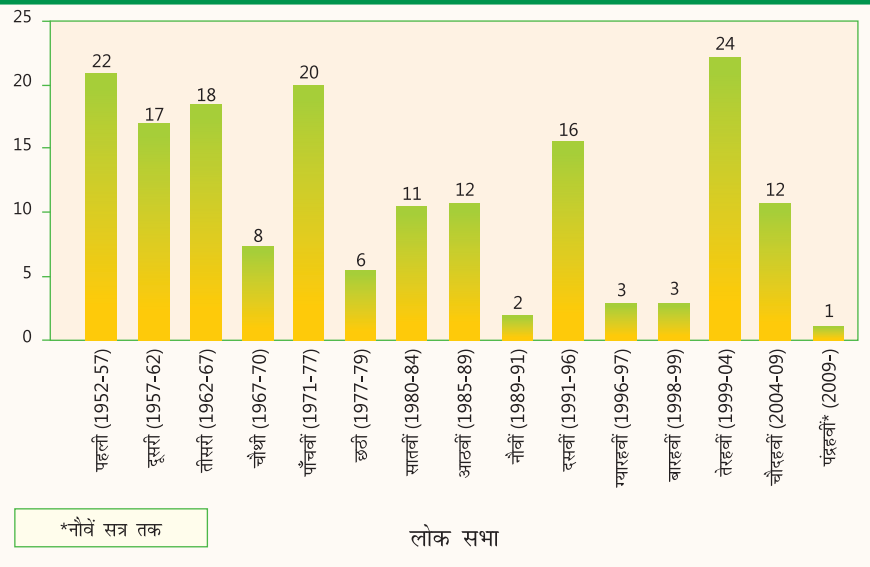

ग्राफ 12 : संवैधानिक मामलों पर पारित और अनुमति प्राप्त विधेयकों की संख्या (पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

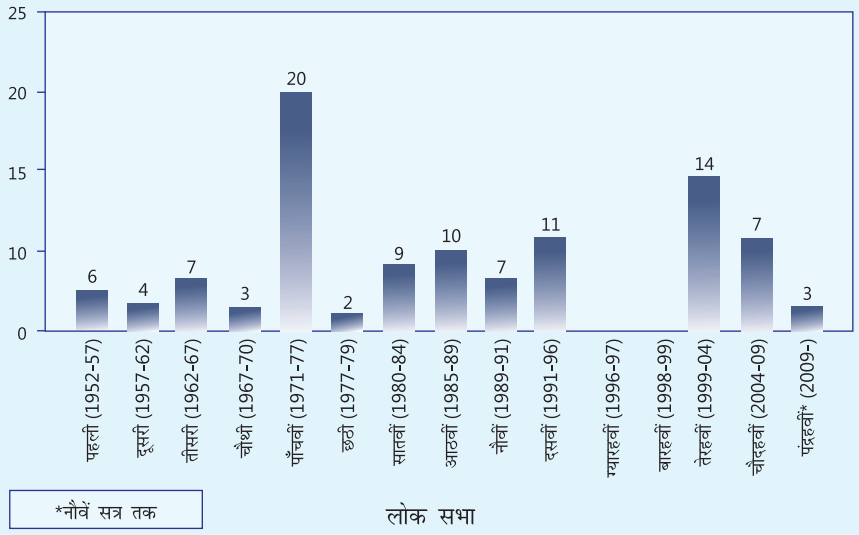

ग्राफ 13 : विधायी मामलों पर पारित और अनुमति प्राप्त विधेयकों की संख्या (पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

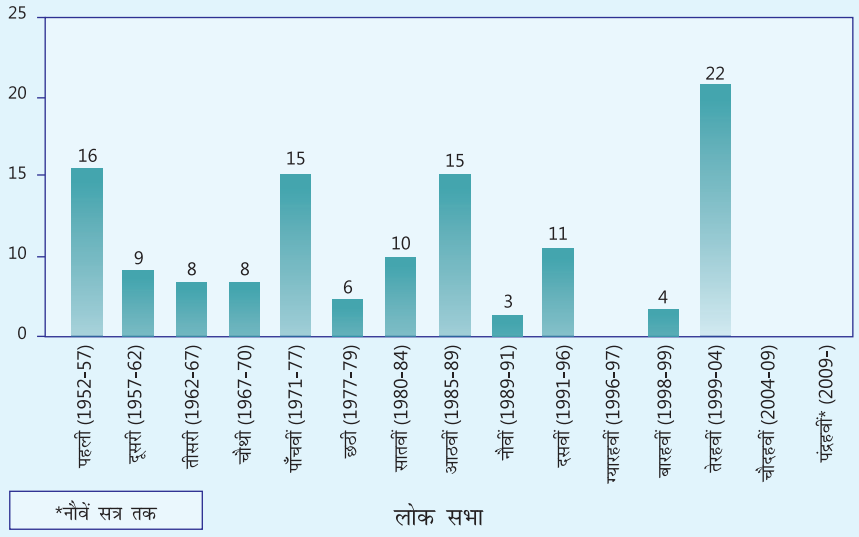

ग्राफ 14 : वित्तीय एवं आर्थिक मामलों पर पारित और अनुमति प्राप्त विधेयकों की संख्या (पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

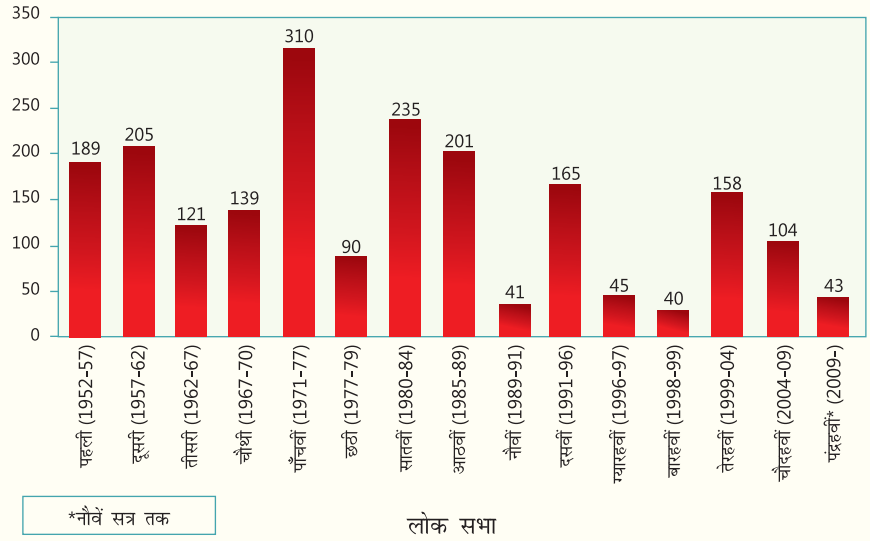

ग्राफ 15 : सामाजिक मामलों पर पारित और अनुमति प्राप्त विधेयकों की संख्या (पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

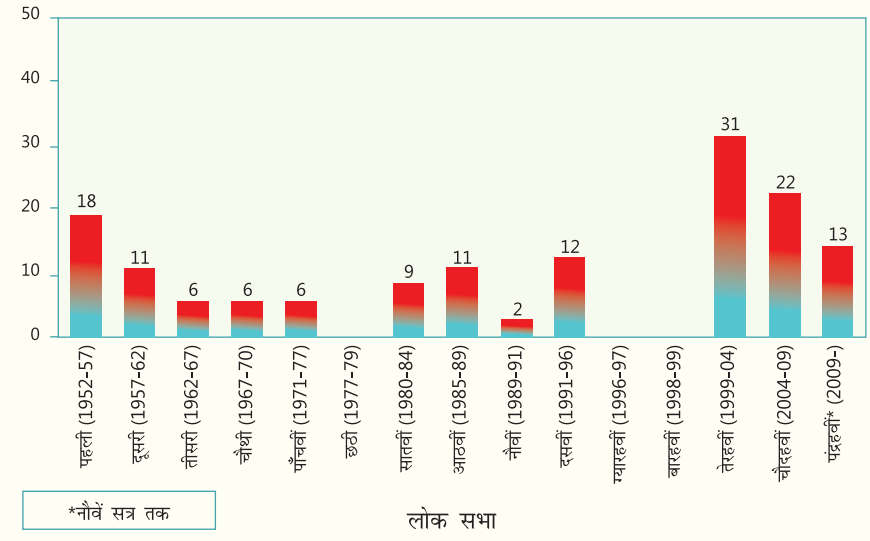

भी हो सकते हैं। इसके अलावा, राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य (राज्यों) के संबंध में अधिकतम 25 अतिरिक्त अतारांकित प्रश्न भी अतारांकित प्रश्नों की सूची में शामिल किए जा सकते हैं। अत: प्रश्न सूची में शामिल किए जाने वाले प्रश्नों की संख्या की सीमा है। गत वर्षों के दौरान प्राप्त सूचनाओं की संख्या और गृहीत तथा सूची में सम्मिलित प्रश्नों की संख्या में अंतर बढ़ रहा है। सदस्यों से प्राप्त प्रश्नों की सूचनाओं की संख्या में वृद्धि उनकी लोक हित के मामलों पर सरकार से सूचना लेने की रुचि को दर्शाती है।

प्राप्त सूचनाओं और गृहीत/उत्तरित प्रश्नों की कुल संख्या एवं पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा तक प्रत्येक के दौरान उत्तरों का प्रतिशत तालिका 14 और उसके पश्चात् ग्राफ 16 में दिया गया है। तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न के मामले में प्राप्त सूचनाओं और गृहीत/उत्तरित प्रश्नों की संख्या को तालिका 15 में दर्शाया गया है।

तालिका 14 : संसदीय प्रश्न*: कुल प्राप्त सूचनाएं और गृहीत/उत्तरित प्रश्न

लोक सभा	कुल प्राप्त सूचनाएं	गृहीत और उत्तरित	कुल का प्रतिशत
पहली (1952-57)	92134	42725	46.37
दूसरी (1957-62)	143820	63607	44.22
तीसरी (1962-67)	162334	58355	35.94
चौथी (1967-70)	264742	93538	35.33
पांचवीं (1971-77)	252698	98606	39.02
छठी (1977-79)	137045	51209	37.36
सातवीं (1980-84)	269221	102958	38.24
आठवीं (1985-89)	250098	98390	39.34
नौवीं (1989-91)	75231	21659	28.78
दसवीं (1991-96)	330325	90695	27.45
ग्यारहवीं (1996-97)	96863	23681	24.44
बारहवीं (1998-99)	72934	15587	21.37
तेरहवीं (1999-2004)	313157	77983	24.90
चौदहवीं (2004-09)	311728	66668	21.38
पंद्रहवीं** (2009-)	236731	45079	19.04

* तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न।

** नौवें सत्र तक।

ग्राफ 16 : संसदीय प्रश्न*: कुल प्राप्त सूचनाएं और ग्रहीत/उत्तरित प्रश्न (पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

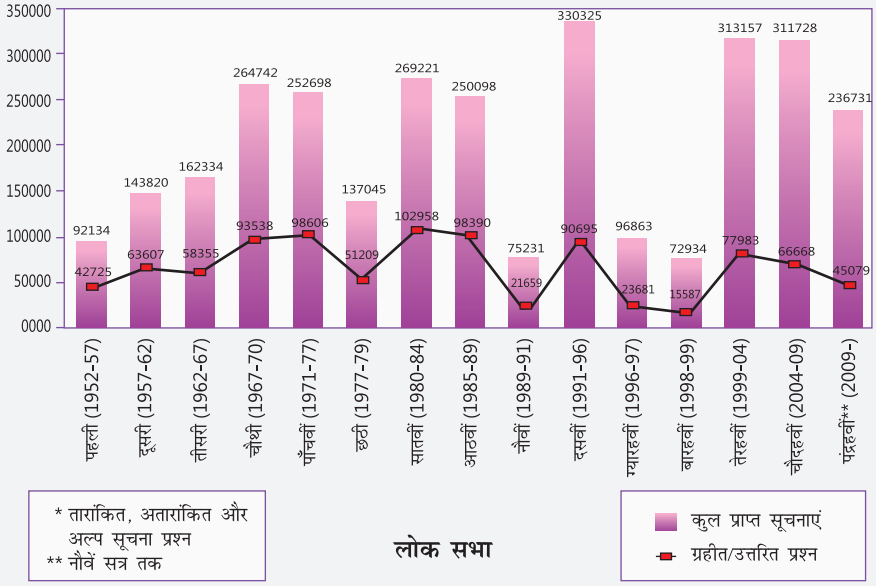

तालिका 15 : संसदीय प्रश्नः तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न (पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

लोक सभा	तारांकित प्रश्न (ता.प्र.)			अतारांकित प्रश्न (अता.प्र.)			अल्प सूचना प्रश्न (अ.सू.प्र.)			योग: ता.प्र.+ अता.प्र.+ अ.सू.प्र. गृहीत और उत्तरित
	प्राप्त सूचनाएं	गृहीत#	मौखिक रूप से उत्तरित/ सभा पटल पर रखे गए	प्राप्त सूचनाएं	गृहीतΨ	उत्तरित	प्राप्त सूचनाएं	गृहीत	उत्तरित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पहली (1952-57)	83614	27071	27071	6051	15340	15340	2469	314	314	42725
दूसरी (1957-62)	123662	22649	22649	16415	40715	40715	3743	243	243	63607
तीसरी (1962-67)	145580	14936	14936	12021	43134	43134	4733	285	285	58355
चौथी (1967-70)	239558	14833	14833	11827	78467	78467	13357	238	238	93538
पांचवीं (1971-77)	212636	11285	11285	35961	87251	87251	4101	70	70	98606
छठी (1977-79)	109999	5052	5052	23372	46094	46094	3674	63	63	51209

#मौखिक उत्तर हेतु प्रश्नों की सूची में केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया।

Ψउन तारांकित प्रश्नों सहित जिन्हें गृहीत तो किया गया किन्तु मौखिक उत्तर हेतु प्रश्नों की सूची में शामिल नहीं किया गया।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सातवीं (1980-84)	203964	9232	9232	63640	93721	93721	1617	5	5	102958
आठवीं (1985-89)	187945	9115	9115	61299	89256	89256	854	19	19	98390
नौवीं (1989-91)	57608	1856	1856	17184	19796	19796	439	7	7	21659
दसवीं (1991-96)	265995	8210	8210	63865	82479	82479	465	6	6	90695
ग्यारहवीं (1996-97)	79702	2061	2061	17074	21616	21616	87	4	4	23681
बारहवीं (1998-99)	60431	1361	1361	12444	14224	14224	59	2	2	15587
तेरहवीं (1999-04)	241302	6816	6816	71473	71149	71149	382	18	18	77983
चौदहवीं (2004-09)	228662	6218	6218	82775	60445	60445	291	5	5	66668
पन्द्रहवीं* (2009-)	167946	3701	3701	68710	41378	41378	75	0	0	45079

*नौवें सत्र तक।

संकल्प

विचारण को सुगम बनाने के साधन के रूप में जिसके द्वारा विधायिका सरकार को विशिष्ट मुद्दों पर अपने विचार से अवगत कराती है एवं औपचारिक सिफारिश करती है, संकल्प को सभा की कार्यवाही में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यद्यपि सरकार संकल्प द्वारा बाध्य नहीं होती तथापि यह इसे नजर अंदाज भी नहीं कर सकती। संकल्प के माध्यम से सभा में विशेषतया प्रशासनिक मामलों पर विविध विचारोत्तेजक चर्चाएं होती हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार के सहयोग के बिना कोई संकल्प पारित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके पास विधायिका में बहुमत होता है। तथापि, सरकार के आश्वासन के पश्चात् वापस लिया गया संकल्प लगभग उतना ही प्रभावी होता है जितना कि पारित हुआ प्रस्ताव।

पन्द्रहवीं लोक सभा के प्रत्येक सत्र के दौरान विभिन्न प्रकार के संकल्प अर्थात् अध्यक्ष एवं सरकार से संबंधित, सांविधिक और गैर-सरकारी सदस्यों से संबंधित; पेश किए गए, स्वीकृत-अस्वीकृत और वापस लिए गए संकल्प तथा ऐसे संकल्प जिन पर विभिन्न कारणों से चर्चा नहीं हो सकी, को तालिका 16 और उसके बाद ग्राफ 17 पर दिया गया है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय संभाषण में 'सभा पटल पर रखे गए पत्र' से आशय उन दस्तावेजों, विवरणों, रिपोर्टों, नियमों, विनियमों और सरकार की अधिसूचनाओं आदि से है जिन्हें रिकॉर्ड में लाने के लिए सभा पटल पर रखा जाता है। इसका प्रयोजन सभा में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा का आधार तैयार करने के लिए संसद के प्राधिकारियों को तथ्य और सूचना उपलब्ध कराना है।

लोक सभा के पास अपनी सूचना के लिए आवश्यक सभी पत्रों को सभा पटल पर रखने का आदेश देने की शक्ति है। तथापि पत्रों को संविधान, केन्द्रीय संविधियों, सभा की प्रक्रिया नियमों में समाविष्ट प्रावधानों, समय-समय पर लोक सभा अध्यक्ष द्वारा जारी निदेशों एवं इसके संबंध में सुस्थापित प्रथाओं और परिपाटियों एवं संसदीय समितियों की सिफारिशों के अनुपालन में प्रस्तुत किया जाता है।

पन्द्रह लोक सभाओं के प्रत्येक सत्र के दौरान लोक सभा-वार प्रस्तुत पत्रों की संख्या तालिका 17 और उसके बाद ग्राफ 18 में दी गई है।

तालिका 16 : प्रस्तुत, चर्चा किए गए, स्वीकृत, अस्वीकृत तथा वापिस लिए गए संकल्प (पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

लोक सभा	अध्यक्ष	सरकार			सांविधिक					गैर-सरकारी सदस्य					योग				
	प्र. और स्वी.	प्र	स्वी.	च.अ.	प्र.	स्वी.	अस्वी.	वा.	च.अ.	प्र.	स्वी.	अस्वी.	वा.	च.अ.	प्र.	स्वी.	अस्वी.	वा.	च.अ.
पहली (1952-57)	–	21	20	1	–	–	–	–	–	48	9	24	11	4	69	29	24	11	5
दूसरी (1957-62)	–	9	9	–	8	1	7	–	–	66	1	35	29	1	83	11	42	29	1
तीसरी (1962-67)	–	5	5	–	14	11	3	–	–	78	8	28	23	19	97	24	31	23	19
चौथी (1967-70)	1	6	6	–	36	14	18	4	–	46	5	23	7	11	89	26	41	11	11
पांचवीं (1971-77)	–	14	14	–	88	45	43	–	–	55	4	18	15	18	157	63	61	15	18
छठी (1977-79)	3	6	6	–	9	7	2	–	–	25	4	5	8	8	43	20	7	8	8
सातवीं (1980-84)	3	8	8	–	74	33	41	–	–	39	1	16	8	14	124	45	57	8	14
आठवीं (1985-89)	8	11	11	–	48	20	25	3	–	29	–	7	7	15	96	39	32	10	15
नौवीं (1989-91)	5	4	4	–	20	12	2	6	–	8	1	1	2	4	37	22	3	8	4
दसवीं (1991-96)	7	7	7	–	91	30	36	24	1	30	–	6	8	16	135	44	42	32	17
ग्यारहवीं (1996-97)	1	2	2	–	23	3	7	13	–	7	–	–	3	4	33	6	7	16	4
बारहवीं (1998-99)	–	5	5	–	22	3	6	12	1	2	–	–	1	1	29	8	6	13	2
तेरहवीं (1999-04)	7	12	12	–	36	8	15	13	–	31	1	1	16	13	86	28	16	29	13
चौदहवीं (2004-09)	–	9	9	–	36	11	11	14	–	21	–	2	6	13	66	20	13	20	13
पन्द्रहवीं* (2009-)	2	3	3	–	6	2	2	2	–	5	–	–	5	–	16	7	2	7	–

प्र.: पेश किए गए स्वी.: स्वीकृत अस्वी.: अस्वीकृत वा.: वापस लिए गए च.अ.: चर्चा अधूरी रही
*नौवें सत्र तक

ग्राफ 17 : प्रस्तुत और स्वीकृत संकल्प (पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

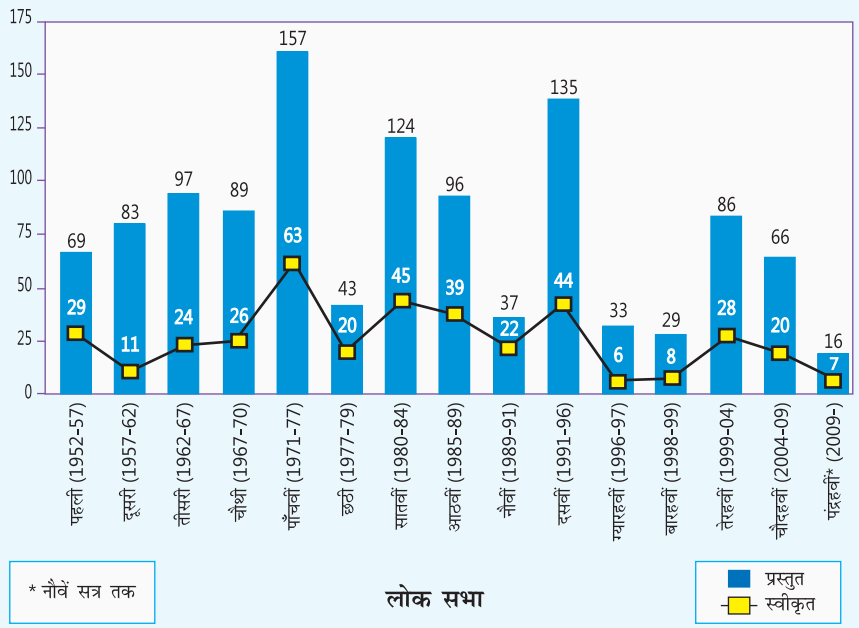

तालिका 17 : सभा पटल पर रखे गए पत्र (पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

लोक सभा	सरकार द्वारा	गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा	योग
पहली (1952-57)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
दूसरी (1957-62)	5190	19	5209
तीसरी (1962-67)	5702	28	5730
चौथी (1967-70)	6215	45	6260
पांचवीं (1971-77)	12326	23	12349
छठी (1977-79)	5851	21	5872
सातवीं (1980-84)	13946	23	13969

लोक सभा	सरकार द्वारा	गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा	योग
आठवीं (1985-89)	16138	8	16146
नौवीं (1989-91)	4758	1	4759
दसवीं (1991-96)	16716	शून्य	16716
ग्यारहवीं (1996-97)	4297	शून्य	4297
बारहवीं (1998-99)	5366	1	5367
तेरहवीं (1999-2004)	18904	शून्य	18904
चौदहवीं (2004-09)	21507	शून्य	21507
पंद्रहवीं* (2009-)	13264	शून्य	13264

* नौवें सत्र तक।

ग्राफ 18 : सभा पटल पर रखे गए पत्र
(पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

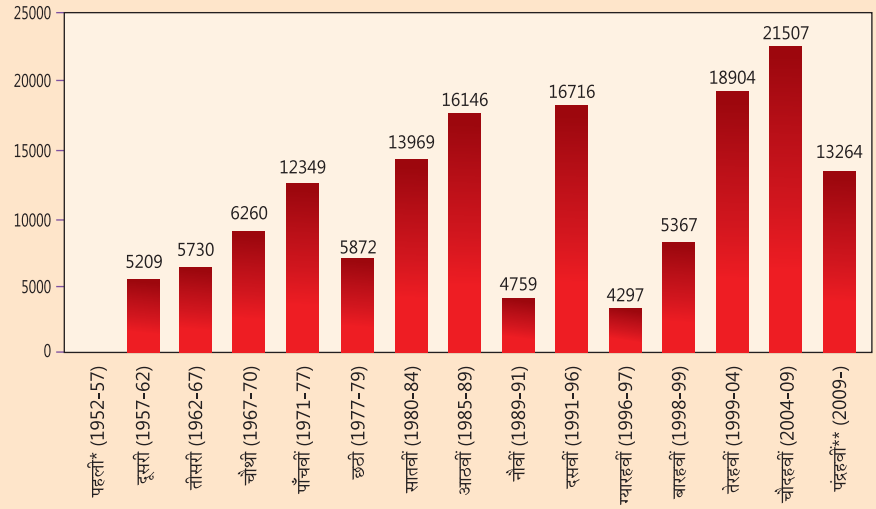

अध्याय छह
संसदीय समितियां

वर्तमान समय में संसद द्वारा किया जाने वाला कार्य विविधतापूर्ण, जटिल और अत्यधिक व्यापक होता है। परन्तु, प्राय: संसद के पास सीमित समय होता है जिससे उसके समक्ष आने वाले सभी विधायी और अन्य मामलों पर गहन और विशेष विचार किए जाने के प्रयासों में कठिनाई होती है। अत:, संसदीय कार्यों के एक बड़े भाग का निष्पादन संसदीय समितियों द्वारा किया जाता है।

संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं: स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। स्थायी समितियों का निर्वाचन समय-समय पर या प्रत्येक वर्ष, यथा स्थिति, सभा द्वारा किया जाता है अथवा अध्यक्ष (लोक सभा) द्वारा इनका मनोनयन किया जाता है और ये स्थायी स्वरूप की होती हैं, जबकि, तदर्थ समितियों का गठन किसी विशेष मामले पर विचार करने और तत्संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते ही वे पद-कार्यनिवृत्त हो जाती हैं।

लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के अंतर्गत कार्य कर रही विभिन्न स्थायी समितियों का ब्यौरा इस प्रकार है (एक) वित्तीय समितियां (प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति); (दो) सभा के दिन-प्रतिदिन के कार्यों से संबंधित समितियां (कार्य मंत्रणा समिति, सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति, नियम समिति और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति); (तीन) जांच समितियां (याचिका समिति और विशेषाधिकार समिति); (चार) संवीक्षा समितियां (सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति; (पांच) सेवा संबंधी समितियां, अर्थात् सदस्यों को दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं, सुविधाओं आदि के प्रावधानों से संबंधित समितियां (सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति, आवास समिति, ग्रंथालय समिति, संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति और लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति)।

सरकार पर संसदीय नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण हेतु 1993 में विभागों से संबद्ध 17 स्थायी समितियों (डीआरएससी) का गठन करके एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। चौदहवीं लोक सभा के दौरान डीआरएससी की संख्या को बढ़ाकर 24 कर दिया गया। वर्तमान में प्रत्येक डीआरएससी में 31 सदस्य होते हैं जिनमें से 21 लोक सभा से और 10 राज्य सभा के लिए जाते हैं। 24 स्थायी समितियों में से 8 राज्य सभा सचिवालय और 16 लोक सभा सचिवालय के अंतर्गत हैं।

लोक सभा के अंतर्गत समितियां

1. कृषि
2. रसायन और उर्वरक

3. कोयला और इस्पात
4. रक्षा
5. ऊर्जा
6. विदेशी मामले
7. वित्त
8. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण
9. सूचना प्रौद्योगिकी
10. श्रम
11. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
12. रेल
13. ग्रामीण विकास
14. सामाजिक न्याय और अधिकारिता
15. शहरी विकास
16. जल संसाधन

राज्य सभा के अंतर्गत समितियां

1. वाणिज्य
2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
3. गृह कार्य
4. मानव संसाधन विकास
5. उद्योग
6. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय
7. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन
8. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति

विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों; सभाओं में प्रस्तुत और उन्हें सौंपे गए राष्ट्रीय मूल दीर्घावधि नीति दस्तावेजों; संबंधित मंत्रालयों/विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना, समिति को सौंपे जाने वाले इन मंत्रालयों/विभागों से संबंधित विधेयकों की जांच करना तथा सभा को तत्संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करना शामिल है। समितियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों के दैनिक प्रशासन के मामलों पर विचार नहीं करतीं।

वित्तीय समितियों की बैठकों की संख्या, बैठकों की अवधि और पन्द्रहवीं लोक सभा के प्रत्येक सत्र के दौरान प्रस्तुत प्रतिवेदनों की संख्या संबंधी ब्यौरा तालिका 18 और ग्राफ 19 में दिया गया है।

विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों द्वारा किए गए कार्यों की मात्रा को तालिका 19 और ग्राफ 20 में दर्शाया गया है। विभिन्न अन्य स्थायी और तदर्थ समितियों द्वारा किए गए कार्यों को तालिका 20 में दर्शाया गया है।

तालिका 18 : वित्तीय समितियों द्वारा किए गए कार्य का परिमाण (पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

लोक सभा	आयोजित बैठकों की संख्या	अवधि घंटे-मिनट	प्रस्तुत प्रतिवेदन
पहली (1952-57)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
दूसरी (1957-62)	508	1223-00	187
तीसरी (1962-67)	836	2244-00	213
चौथी (1967-70)	650	1366-00	326
पांचवीं (1971-77)	1138	2678-00	454
छठी (1977-79)	425	848-00	249
सातवीं (1980-84)	1140	2244-20	421
आठवीं (1985-89)	549	1209-00	406
नौवीं (1989-91)	103	237-00	67
दसवीं (1991-96)	401	774-40	230
ग्यारहवीं (1996-97)	112	194-55	45
बारहवीं (1998-99)	56	87-30	22
तेरहवीं (1999-2004)	249	351-00	94
चौदहवीं (2004-09)	263	344-00	141
पंद्रहवीं* (2009-)	196	362-35	77

* नौवें सत्र तक।

ग्राफ 19 : वित्तीय समितियों द्वारा आयोजित बैठकें और प्रस्तुत प्रतिवेदन (पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

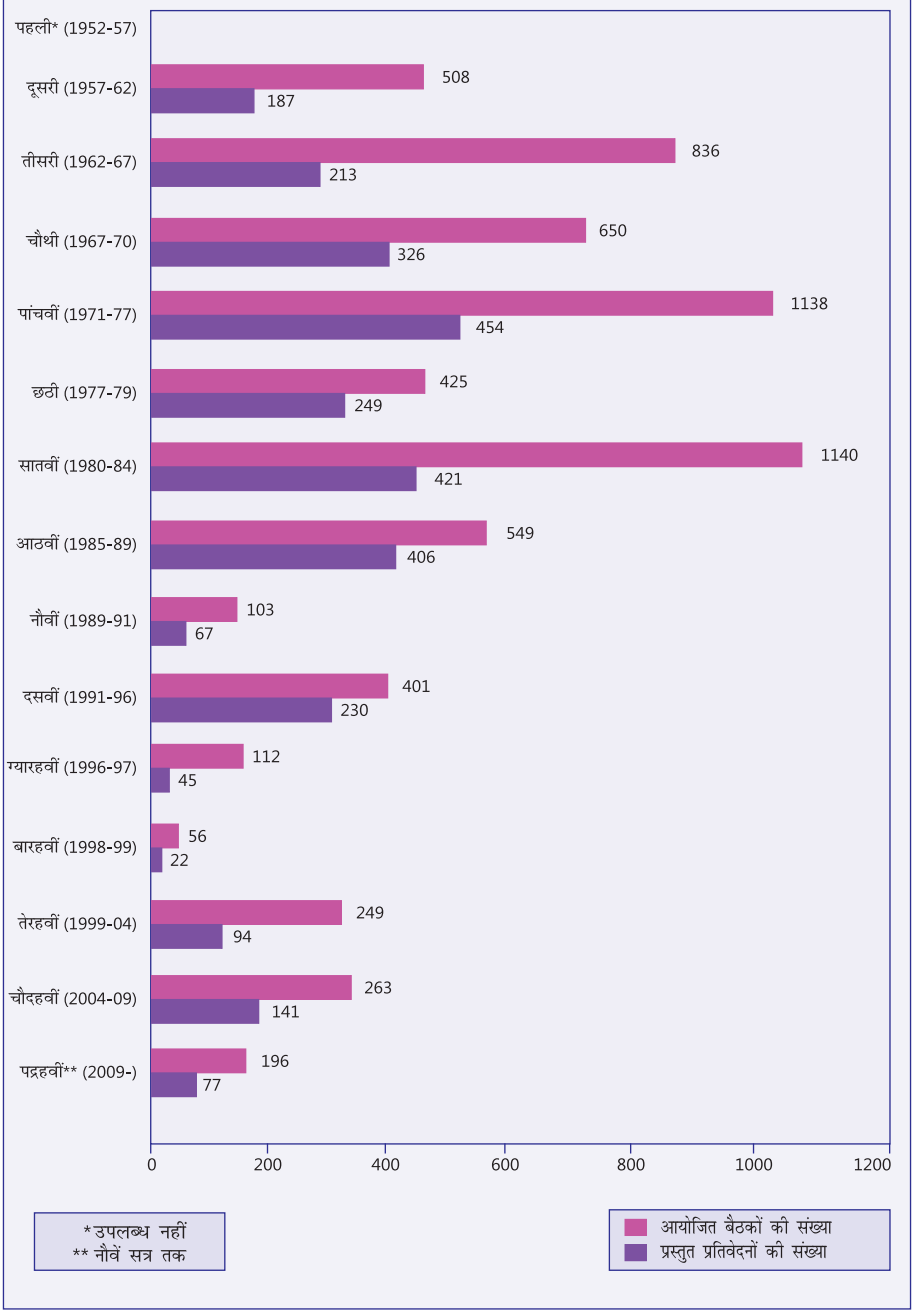

तालिका 19 : विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों* द्वारा किए गए कार्य का परिमाण (दसवीं से पन्द्रहवीं लोक सभा)

लोक सभा	आयोजित बैठकों की संख्या	अवधि घंटे-मिनट	प्रस्तुत प्रतिवेदन
दसवीं (1991-96)	928	1629-36	261
ग्यारहवीं (1996-97)	402	697-50	124
बारहवीं (1998-99)	341	683-10	154
तेरहवीं (1999-2004)	1113	1807-03	447
चौदहवीं (2004-09)	1542	2691-35	627
पंद्रहवीं** (2009-)	708	1247-33	315

* विभागों से संबद्ध समितियों का गठन सबसे पहले 10वीं लोक सभा के छठे सत्र के दौरान 8 अप्रैल, 1993 को हुआ।
** नौवें सत्र तक।

ग्राफ 20 : विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों द्वारा आयोजित बैठकें और प्रस्तुत प्रतिवेदन (दसवीं से पन्द्रहवीं लोक सभा)

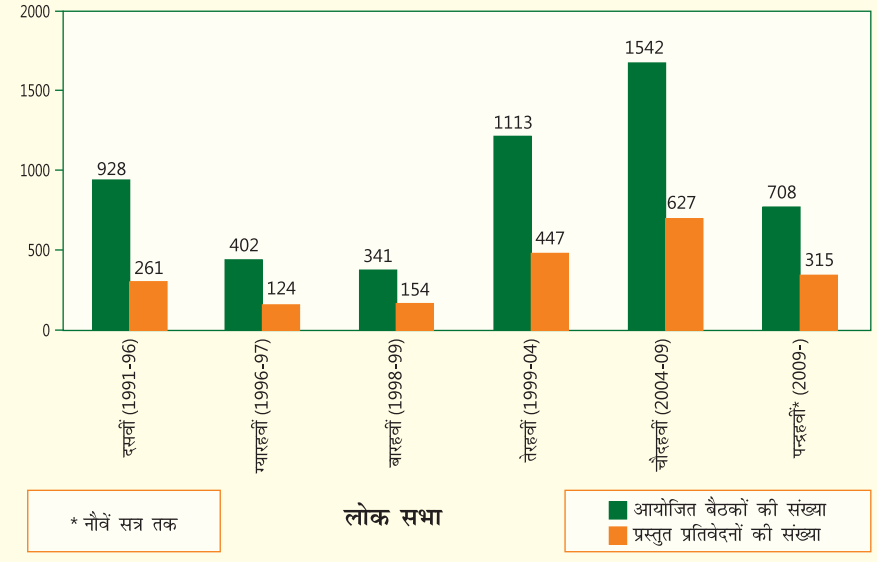

तालिका 20 : अन्य समितियों द्वारा किए गए कार्य का परिमाण (पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

लोक सभा	अन्य स्थायी समितियां		तदर्थ समितियां	
	आयोजित बैठकों की संख्या	प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन	आयोजित बैठकों की संख्या	प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन
पहली (1952-57)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
दूसरी (1957-62)	406	241	312	36
तीसरी (1962-67)	386	207	280	33
चौथी (1967-70)	643	209	295	21
पांचवीं (1971-77)	1017	357	579	26
छठी (1977-79)	540	223	98	3
सातवीं (1980-84)	955	329	202	5
आठवीं (1985-89)	923	330	55	2
नौवीं (1989-91)	217	70	2	शून्य
दसवीं (1991-96)	703	324	96	1
ग्यारहवीं (1996-97)	157	75	शून्य	शून्य
बारहवीं (1998-99)	110	42	8	1
तेरहवीं (1999-2004)	476	184	105	22
चौदहवीं (2004-09)	489	254	123	21
पंद्रहवीं* (2009-)	296	126	74	10

*नौवें सत्र तक।

अध्याय सात
विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव

किसी संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का यह अर्थ है कि मंत्रिपरिषद सदैव संसद के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका को शासन करने और अपने प्राधिकार की वैधता के लिए सदैव सभा का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। मंत्रिपरिषद को आवश्यकता पड़ने पर विश्वास प्रस्ताव को पारित कराकर या अविश्वास प्रस्ताव को अस्वीकृत कराकर लोक सभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) में लोक सभा के प्रति मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का उपबंध है।

पहली लोक सभा से पन्द्रहवीं लोक सभा के नौवें सत्र तक लगभग 60 वर्षों की अवधि में अविश्वास प्रस्ताव की 26 सूचनाओं और विश्वास प्रस्ताव की 12 सूचनाओं को स्वीकार किया गया है। सभा ने सभी 26 अविश्वास प्रस्तावों और बारह में से ग्यारह विश्वास प्रस्तावों पर चर्चा की। इन सभी अर्थात् 26 अविश्वास प्रस्तावों और 11 विश्वास प्रस्तावों पर 86 दिनों की अवधि में कुल 471 घंटे और 47 मिनट चर्चा की गई (तालिका 21 और ग्राफ 21)।

प्रक्रिया नियम

लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 198 के अंतर्गत दी गई अविश्वास प्रस्ताव संबंधी सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव किया जाता है। तथापि, प्रक्रिया नियमों में मंत्रिपरिषद् में विश्वास प्रस्ताव से संबंधित कोई पृथक नियम नहीं है। किसी विश्वास प्रस्ताव को प्रस्तावों की श्रेणी के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है और नियम 184 के तहत उस पर चर्चा की जाती है। ऐसे प्रस्तावों पर निर्णय नियम 191 के अंतर्गत लिया जाता है जिसके लिए मूल प्रश्न पर सभा के निर्णय का विनिर्धारण करने हेतु प्रत्येक आवश्यक प्रश्न पर विचार किया जाता है। विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव दोनों हेतु सूचनाएं प्राप्त होने की स्थिति में, पूर्ववर्ती प्रस्ताव के सरकारी प्रस्ताव होने के कारण उसे उत्तरवर्ती प्रस्ताव की अपेक्षा प्राथमिकता प्रदान की जाती है। नियमों के अंतर्गत किसी अविश्वास प्रस्ताव की सूचना को तभी स्वीकार किया जाता है जब कम से कम 50 सदस्य अपने स्थान से खड़े होकर ऐसे प्रस्ताव का समर्थन करें।

विभिन्न लोक सभाओं में प्रस्ताव

पहली लोक सभा ने किसी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की। यद्यपि, दूसरी लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव की एक सूचना प्राप्त हुई थी परन्तु, इस प्रस्ताव के समर्थन के लिए पर्याप्त संख्या में संसद सदस्यों के न होने के कारण इसे सभा की अनुमति प्राप्त नहीं हो पाई। किसी अविश्वास प्रस्ताव पर पहली बार चर्चा तीसरी लोक सभा में हुई थी। उक्त प्रस्ताव 19 अगस्त, 1963 को

तालिका 21 : विभिन्न लोक सभाओं में गृहीत अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव

लोक सभा (अवधि)	अ.वि.प्र. की संख्या	वि.प्र. की संख्या	प्रधानमंत्री/मंत्रिमंडल जिनके विरुद्ध अ.वि.प्र. प्रस्तुत किया गया	प्रधानमंत्री/मंत्रिमंडल जिनके लिए वि.प्र. प्रस्तुत किया गया	अ.वि.प्र./वि.प्र. स्वीकृत/चर्चा किए जाने के समय अध्यक्ष	चर्चा हेतु लिया गया समय		मतदान की तिथि	मतविभाजन का परिणाम (हां/नहीं)
						घंटे	मिनट		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पहली (17.04.1952-04.04.1957)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
दूसरी (05.04.1957-31.03.1962)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
तीसरी (02.04.1962-03.03.1967)	6	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	जवाहरलाल नेहरू	—	हुकम सिंह	21	33	22.8.1963	अस्वीकृत (62/347)
	—	—	लाल बहादुर शास्त्री	—	हुकम सिंह	24	34	18.9.1964	अस्वीकृत (50/307)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	—	—	लाल बहादुर शास्त्री	—	हुकम सिंह	10	50	16.3.1965	अस्वीकृत (44/315)
	—	—	लाल बहादुर शास्त्री	—	हुकम सिंह	15	48	26.8.1965	अस्वीकृत (66/318)
	—	—	इंदिरा गांधी	—	हुकम सिंह	15	25	4.8.1966	अस्वीकृत (61/270)
	—	—	इंदिरा गांधी	—	हुकम सिंह	13	27	7.11.1966	अस्वीकृत (36/235)
चौथी (04.03.1967–27.12.1970)	6	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	इंदिरा गांधी	—	एन. संजीव रेड्डी	8	13	20.3.1967	अस्वीकृत (162/257)
	—	—	इंदिरा गांधी	—	एन. संजीव रेड्डी	11	25	24.11.1967	अस्वीकृत (88/215)
	—	—	इंदिरा गांधी	—	एन. संजीव रेड्डी	6	27	28.2.1968	अस्वीकृत (75/205)
	—	—	इंदिरा गांधी	—	एन. संजीव रेड्डी	11	25	13.11.1968	अस्वीकृत (90/222)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	—	—	इंदिरा गांधी	—	एन. संजीव रेड्डी	10	6	20.2.1969	अस्वीकृत (86/215)
	—	—	इंदिरा गांधी	—	जी.एस. ढिल्लों	9	20	29.7.1970	अस्वीकृत (137/243)
पांचवीं (15.03.1971–18.01.1977)	4	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	इंदिरा गांधी	—	जी.एस. ढिल्लों	11	21	22.11.1973	अस्वीकृत (54/251)
	—	—	इंदिरा गांधी	—	जी.एस. ढिल्लों	11	16	10.5.1974	अस्वीकृत (ध्वनि मत से)
	—	—	इंदिरा गांधी	—	जी.एस. ढिल्लों	14	1	25.7.1974	अस्वीकृत (63/297)
	—	—	इंदिरा गांधी	—	जी.एस. ढिल्लों	6	6	9.5.1975	अस्वीकृत (ध्वनि मत से)
छठी (23.03.1977–22.08.1979)	2	1	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	मोरारजी देसाई	—	के.एस. हेगड़े	10	19	11.5.1978	अस्वीकृत (ध्वनि मत से)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	—	—	मोरारजी देसाई	—	के.एस. हेगड़े	9	13	चर्चा अनिर्णीत रही	प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया
	—	—	—	चरण सिंह	के.एस. हेगड़े	—	—	प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया	प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया
सातवीं (10.01.1980–31.12.1984)	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	इंदिरा गांधी	—	बलराम जाखड	10	40	9.5.1981	अस्वीकृत (92/278)
	—	—	इंदिरा गांधी	—	बलराम जाखड	9	47	17.9.1981	अस्वीकृत (86/297)
	—	—	इंदिरा गांधी	—	बलराम जाखड	10	3	16.8.1982	अस्वीकृत (112/333)
आठवीं (31.12.1984–27.11.1989)	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	राजीव गांधी	—	बलराम जाखड	12	45	11.12.1987	अस्वीकृत (ध्वनि मत से)
नौवीं (02.12.1989–13.03.1991)	—	3	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	—	—	—	वि.प्र. सिंह	रवि राय	5	20	21.12.1989	स्वीकृत (ध्वनिमत से)
	—	—	—	वि.प्र. सिंह	रवि राय	11	12	7.11.1990	अस्वीकृत (152/356)
	—	—	—	चन्द्रशेखर	रवि राय	6	21	16.11.1990	स्वीकृत (280/214)
दसवीं (20.06.1991–10.05.1996)	3	1	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	पी.वी. नरसिंह राव	शिवराज वि. पाटील	7	35	15.7.1991	स्वीकृत (240/109)
	—	—	पी.वी. नरसिंह राव	—	शिवराज वि. पाटील	14	00	17.7.1992	अस्वीकृत (225/271)
	—	—	पी.वी. नरसिंह राव	—	शिवराज वि. पाटील	21	44	21.12.1992	अस्वीकृत (111/336)
	—	—	पी.वी. नरसिंह राव	—	शिवराज वि. पाटील	18	20	28.7.1993	अस्वीकृत (251/265)
ग्यारहवीं (15.05.1996–04.12.1997)	—	4	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	—	—	—	अटल बिहारी वाजपेयी	पी.ए. संगमा	10	43	प्रस्ताव पर मतदान नहीं	प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र देने की घोषणा की
	—	—	—	एच.डी. देवगौड़ा	पी.ए. संगमा	12	28	12.6.1996	स्वीकृत (ध्वनिमत से)
	—	—	—	एच.डी. देवगौड़ा	पी.ए. संगमा	11	45	11.4.1997	अस्वीकृत (190/338)
	—	—	—	आई.के. गुजराल	पी.ए. संगमा	9	3	22.4.1997	स्वीकृत (ध्वनिमत से)
बारहवीं (10.03.1998–26.04.1999)	—	2	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	अटल बिहारी वाजपेयी	जी.एम.सी. बालयोगी	17	56	28.3.1998	स्वीकृत (275/260)
	—	—	—	अटल बिहारी वाजपेयी	जी.एम.सी. बालयोगी	24	58	17.4.1999	अस्वीकृत (269/270)
तेरहवीं (10.10.1999–06.02.2004)	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	अटल बिहारी वाजपेयी	—	मनोहर जोशी	21	07	19.08.2003	अस्वीकृत (189/314)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
चौदहवीं (17.05.2004-18.05.2009)	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	मनमोहन सिंह	सोमनाथ चटर्जी	15	11	22.7.2008	स्वीकृत (275/256)
पन्द्रहवीं* (18.05.2009-)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*नौवें सत्र तक।

ग्राफ 21 : अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव (पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

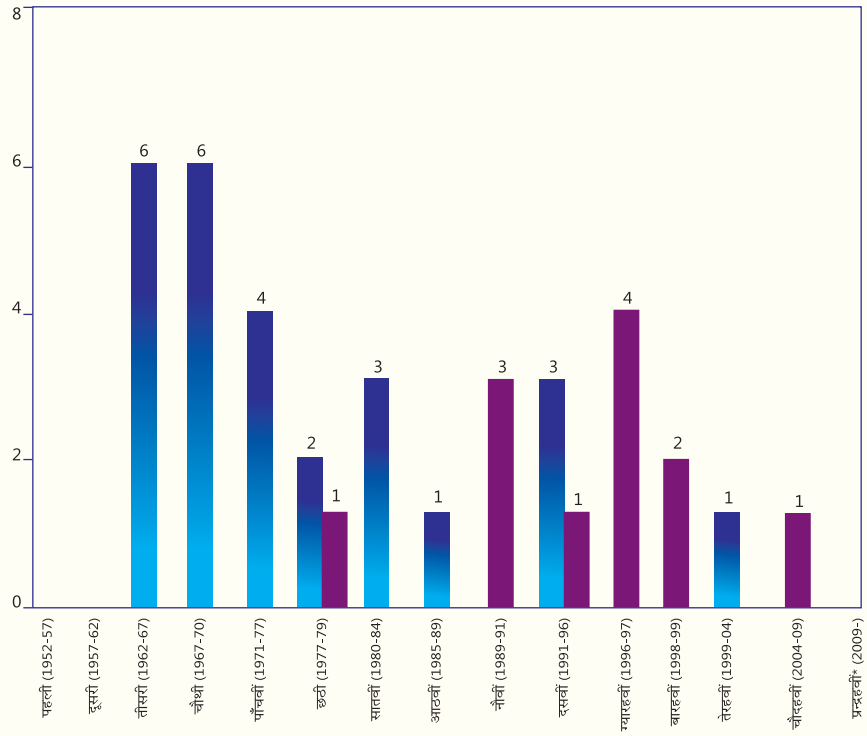

श्री जे.बी. कृपलानी द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया गया था। बाद में तीसरी लोक सभा की शेष अवधि के दौरान पांच और अविश्वास प्रस्तावों के संबंध में सभा की अनुमति प्रदान की गई और सभा में उन पर चर्चा की गई। यह क्रम चौथी लोक सभा में भी जारी रहा जिसके अंतर्गत छह अविश्वास प्रस्तावों पर चर्चा की गई। पांचवीं लोक सभा के दौरान चार अविश्वास प्रस्तावों पर चर्चा की गई। छठी लोक सभा में दो अविश्वास प्रस्तावों को लिया गया जबकि, सातवीं और दसवीं लोक सभा में से प्रत्येक में तीन-तीन अविश्वास प्रस्तावों पर चर्चा की गई। आठवीं और तेरहवीं लोक सभा में एक-एक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की गई। पहली, दूसरी, नौवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, चौदहवीं और पन्द्रहवीं लोक सभा (पन्द्रहवीं लोक सभा के नौवें सत्र तक) में किसी भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई। अत:, यह देखा जा सकता है कि तीसरी और चौथी लोक सभा में से प्रत्येक के दौरान सबसे अधिक छह अविश्वास प्रस्तावों पर चर्चा हुई जिसके पश्चात् पांचवीं लोक सभा के दौरान चार अविश्वास प्रस्तावों पर चर्चा हुई।

विश्वास प्रस्ताव की सूचना पहली बार छठी लोक सभा के दौरान अगस्त, 1979 में प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंह द्वारा दी गई थी। सूचना को स्वीकार किया गया और प्रस्ताव को 20 अगस्त, 1979 को पेश किया जाना था। तथापि, प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सका क्योंकि सरकार का समर्थन कर रही एक पार्टी द्वारा उनके मंत्रिपरिषद से समर्थन वापस ले लिए जाने के कारण उन्होंने उस दिन अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। सातवीं और आठवीं लोक सभा में सत्ता पक्ष के पास अच्छा बहुमत था इसलिए इनमें से किसी भी लोक सभा में किसी विश्वास प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं हुई। तत्पश्चात्, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभाओं के चुनावों में किसी भी पार्टी या पार्टियों के गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अत:, नौवें, दसवें, ग्यारहवें और बारहवें आम चुनावों के पश्चात् तत्कालीन राष्ट्रपतियों ने सरकार बनाने का निमंत्रण देते हुए नाम-निर्दिष्ट प्रधान मंत्रियों को लोक सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा। नौवीं लोक सभा में तीन विश्वास प्रस्तावों, दसवीं लोक सभा में एक विश्वास प्रस्ताव, ग्यारहवीं लोक सभा में रिकार्ड चार विश्वास प्रस्तावों तथा बारहवीं लोक सभा में दो विश्वास प्रस्तावों पर वाद-विवाद हुआ। चौदहवीं लोक सभा के दौरान एक विश्वास प्रस्ताव गृहीत हुआ और उस पर चर्चा हुई। पहली से पांचवीं लोक सभा तक और तत्पश्चात् तेरहवीं तथा पन्द्रहवीं लोक सभा (नौवें सत्र तक) में किसी विश्वास प्रस्ताव को नहीं लिया गया।

विभिन्न प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान प्रस्ताव

सात प्रधानमंत्रियों, जिनके विरुद्ध 26 अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गए, में से अकेले श्रीमती इंदिरा गांधी ने 16 वर्षों के कार्यकाल के दौरान 15 अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया जिनमें से 12 प्रस्ताव 1966 और 1977 के बीच तथा शेष तीन प्रस्ताव 1980 से 1984 के बीच लाए गए। प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और श्री पी.वी. नरसिंह राव के विरुद्ध तीन-तीन अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुए जबकि श्री मोरारजी देसाई के मंत्रिपरिषद के विरुद्ध दो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री राजीव गांधी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी (अक्तूबर 1999 से फरवरी 2004 तक उनके तीसरे कार्यकाल के दौरान) में से प्रत्येक की मंत्रिपरिषद के विरुद्ध एक-एक अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, श्री वी.पी. सिंह, श्री चन्द्रशेखर, श्री अटल बिहारी वाजपेयी (मई से जून 1996 और मार्च 1998 से अप्रैल 1999 तक उनके पहले दो कार्यकालों के दौरान), श्री एच.डी. देवगौडा, श्री आई.के. गुजराल और डॉ. मनमोहन सिंह के विरुद्ध ऐसा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

लोक सभा में अब तक विश्वास प्रस्तावों की कुल बारह सूचनाएं आठ प्रधानमंत्रियों द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। इन प्रधानमंत्रियों में, श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा के दौरान सबसे अधिक तीन विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। श्री वी.पी. सिंह द्वारा नौवीं लोक सभा के दौरान और श्री एच.डी. देवगौडा द्वारा ग्यारहवीं लोक सभा के दौरान क्रमश: दो-दो विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर (नौवीं लोक सभा), श्री पी.वी. नरसिंह राव (दसवीं लोक सभा), श्री आई.के. गुजराल (ग्यारहवीं लोक सभा) और डॉ. मनमोहन सिंह (चौदहवीं लोक सभा) में से प्रत्येक ने अपने मंत्रिपरिषद् में एक-एक विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किए। चौधरी चरण सिंह के विश्वास प्रस्ताव को नहीं लिया जा सका क्योंकि प्रस्ताव लिए जाने से पहले ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था।

प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री मोरारजी देसाई और श्री राजीव गांधी के मामले में सभा का विश्वास मत प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने न केवल सभा का विश्वास मत प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया अपितु, उनकी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी प्रस्तुत किये गये। श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र ऐसे सदस्य थे जिन्होंने किसी सत्तारूढ़ सरकार के विरुद्ध स्वयं अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उन्होंने प्रधान मंत्री के रूप में अविश्वास प्रस्ताव का भी सामना किया और अपनी मंत्रिपरिषद् में विश्वास हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

वाद-विवाद की अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष

26 अविश्वास प्रस्तावों पर चर्चा सात अध्यक्षों के कार्यकाल के दौरान हुई। तीसरी लोक सभा के अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह ने सबसे अधिक छह अविश्वास प्रस्तावों पर हुए वाद-विवाद की अध्यक्षता की, इसके पश्चात् अध्यक्ष श्री एन. संजीव रेड्डी (1967 से 1969 तक अपने पहले कार्यकाल के दौरान) और डॉ. जी.एस. ढिल्लों दोनों ने पांच-पांच अविश्वास प्रस्तावों पर हुए वाद-विवाद की अध्यक्षता की। सातवीं और आठवीं लोक सभा के अध्यक्ष डॉ. बलराम जाखड ने चार अविश्वास प्रस्तावों, श्री शिवराज वि. पाटील (दसवीं लोक सभा) ने तीन प्रस्तावों, श्री के.एस. हेगड़े ने दो प्रस्तावों (छठी लोक सभा) और श्री मनोहर जोशी ने एक अविश्वास प्रस्ताव (तेरहवीं लोक सभा) पर वाद-विवाद की अध्यक्षता की। लोक सभा अध्यक्षों, श्री जी.वी. मावलंकर, श्री एम.एम. आयंगर, श्री बी.आर. भगत, श्री एन. संजीव रेड्डी (मार्च से जुलाई 1977 तक दूसरा कार्यकाल), श्री रवि राय, श्री पी.ए. संगमा, श्री जी.एम.सी. बालयोगी और श्री सोमनाथ चटर्जी के कार्यकाल के दौरान किसी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई। लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार की अध्यक्षता में वर्तमान लोक सभा में किसी विश्वास प्रस्ताव अथवा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की गई है।

जहां तक पांच अध्यक्षों के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किए गए ग्यारह विश्वास प्रस्तावों का संबंध है, ग्यारहवीं लोक सभा के अध्यक्ष, श्री पी.ए. संगमा ने सबसे अधिक चार विश्वास प्रस्तावों पर वाद-विवाद की अध्यक्षता की है, उनके पश्चात् श्री रवि राय (नौवीं लोक सभा) ने तीन विश्वास प्रस्तावों पर वाद-विवाद की अध्यक्षता की है। श्री जी.एम.सी. बालयोगी (बारहवीं लोक सभा) ने दो विश्वास प्रस्तावों पर वाद-विवाद की अध्यक्षता की जबकि श्री शिवराज वि. पाटील और श्री सोमनाथ चटर्जी दोनों ने एक-एक विश्वास प्रस्ताव पर वाद-विवाद की अध्यक्षता की। चौधरी चरण सिंह का विश्वास प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के समय श्री के.एस. हेगड़े लोक सभा अध्यक्ष थे परन्तु, उस प्रस्ताव को अगस्त, 1979 में नहीं लिया जा सका। लोक सभा अध्यक्ष श्री जी.वी. मावलंकर, श्री एम.ए. आयंगर, सरदार हुकम सिंह, श्री एन. संजीव रेड्डी, डॉ. जी.एस. ढिल्लों, श्री बी.आर. भगत, श्री बलराम जाखड़ और श्री मनोहर जोशी के कार्यकाल के दौरान ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की गई। वर्तमान पन्द्रहवीं लोक सभा द्वारा ऐसे किसी प्रस्ताव को नहीं लिया गया है। दसवीं लोक सभा के अध्यक्ष, श्री शिवराज वि. पाटील ने अविश्वास और विश्वास दोनों प्रस्तावों पर वाद-विवाद की अध्यक्षता की है।

लिया गया समय

सभी 26 अविश्वास प्रस्तावों और 11 विश्वास प्रस्तावों पर कुल 471 घंटे और 47 मिनट तक चर्चा हुई। लोक सभा में अविश्वास प्रस्तावों पर 68 दिनों के दौरान कुल 339 घंटे और 15 मिनट वाद-विवाद हुआ। ग्यारह विश्वास प्रस्तावों (चौ. चरण सिंह द्वारा दी गई प्रस्ताव की सूचना जिसे बाद में नहीं लिया गया के अतिरिक्त) पर 18 दिनों के दौरान कुल 132 घंटे और 32 मिनट तक वाद-विवाद हुआ। पृथक रूप से श्री एन.सी. चटर्जी द्वारा प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और उनके मंत्रिपरिषद के विरुद्ध दिए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सितंबर, 1964 में सबसे लंबी अवधि अर्थात् छह दिनों के दौरान 24 घंटे और 34 मिनट तक चर्चा हुई जबकि मई, 1975 में श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के विरुद्ध प्रस्तुत किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे कम समय अर्थात् 6 घंटे और 6 मिनट तक वाद-विवाद हुआ। श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा अप्रैल, 1999 में प्रस्तुत किए गए विश्वास प्रस्ताव पर तीन दिनों के दौरान 24 घंटे और 58 मिनट तक सबसे लंबी अवधि की चर्चा हुई। श्री वी.पी. सिंह द्वारा प्रस्तुत किए गए पहले विश्वास प्रस्ताव पर 21 दिसंबर, 1989 को सबसे कम समय के लिए अर्थात् 5 घंटे और 20 मिनट तक चर्चा हुई।

परिणाम

जहां तक अविश्वास प्रस्तावों के निपटान का संबंध है, 21 प्रस्ताव मत विभाजन और चार ध्वनि मत के माध्यम से अर्थात् कुल 25 प्रस्ताव अस्वीकृत हुए। एक प्रस्ताव के परिणामस्वरूप 15 जुलाई 1979 को प्रधान मंत्री, श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ा, यद्यपि, प्रस्ताव पर चर्चा अनिर्णीत रही। मतों के अंतर की दृष्टि से देखा जाए तो श्री जे.बी. कृपलानी द्वारा अगस्त 1963 में प्रस्तुत किया गया पहला अविश्वास प्रस्ताव सबसे अधिक 285 मतों के अंतर से अस्वीकृत हुआ जबकि, श्री पी.वी. नरसिंह राव के मंत्रिमंडल के विरुद्ध श्री अजय मुखोपाध्याय का अविश्वास प्रस्ताव जिस पर 28 जुलाई, 1993 को मतदान हुआ, 14 मदों के सबसे कम अंतर के साथ अस्वीकृत हुआ।

बारह विश्वास प्रस्तावों में से तीन को ध्वनि मत और चार को मत विभाजन के माध्यम से अर्थात् कुल सात प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया। अन्य पांच विश्वास प्रस्तावों के परिणामस्वरूप चौधरी चरण सिंह (यद्यपि, अगस्त, 1979 में प्रस्ताव को लिए जाने से पहले उन्होंने त्यागपत्र दे दिया); श्री वी.पी. सिंह (नवम्बर, 1990 में); श्री अटल बिहारी वाजपेयी (मई 1996 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान, यद्यपि उन्होंने प्रस्ताव पर मतदान होने से पहले ही त्यागपत्र देने की घोषणा कर दी थी, और अप्रैल, 1999 में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान); और श्री एच.डी. देवगौडा (अप्रैल 1997 में) की सरकारें गिर गई थीं। मतों के अंतर के संदर्भ में नवम्बर, 1990 में श्री वी.पी. सिंह द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव को 204 मतों के व्यापक अंतर के साथ अस्वीकृत किया गया जबकि, जुलाई, 1991 में श्री पी.वी. नरसिंह राव के विश्वास प्रस्ताव को 131 मतों के व्यापक अंतर के साथ स्वीकृत किया गया। जबकि, श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा मार्च 1998 में प्रस्तुत किए गए विश्वास प्रस्ताव को 15 मतों के सबसे कम अंतर के साथ स्वीकृत किया गया, अप्रैल, 1999 में उनका एक अन्य प्रस्ताव एक मत के अंतर से अस्वीकृत हो गया।

अध्याय आठ
प्रक्रियात्मक पहल और नवाचार

गत छह दशकों में भारतीय संसदीय लोकतंत्र की सफलता का श्रेय समय के साथ बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप इसके द्वारा अपने आपको ढालने के प्रयासों को दिया जा सकता है। दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही तथा सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय संसद ने अनेक नवाचार आरंभ किए हैं और निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति लोगों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से संसद और इसकी समितियों को प्रभावी बनाने के लिए जब भी आवश्यक हुआ मौजूदा प्रक्रियाओं को संशोधित किया है। भारतीय संसद द्वारा की गई कुछ बड़ी पहलों और नवाचारों में ध्यानाकर्षण सूचनाएं, आधे घंटे की चर्चा, अल्पावधि चर्चा, कार्य मंत्रणा समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति आदि शामिल हैं। जहां तक संसदीय विकास का संबंध है अत्यंत दूरगामी महत्व की कुछ अन्य पहलें की गई हैं जिसमें विभागों से संबंधित स्थायी समितियों (डी.आर.एस.सी.), आचार समिति, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (एम.पी.लैड) और महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का गठन शामिल है।

संसदीय समितियां

भारतीय संसद बड़े पैमाने पर अपना कार्य समितियों के माध्यम से करती है। एक सुदृढ़ और व्यापक समिति प्रणाली संसद को न केवल कार्यपालिका के कार्यकरण पर निगरानी रखने में मदद करती है बल्कि इससे सभा में महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा हेतु समय की बचत भी होती है और संसद विचाराधीन कार्यों की बारीकियों में उलझने से भी बच जाती है।

कार्य मंत्रणा समिति

लोक सभा अध्यक्ष श्री जी.वी. मावलंकर ने विभिन्न सरकारी विधायी और अन्य कार्यों हेतु समय का आवंटन करने के लिए सभा की एक समिति की तुरन्त आवश्यकता महसूस की थी। उन्होंने महसूस किया कि वित्तीय मामलों को छोड़कर कार्य की अन्य विभिन्न मदों के संबंध में समय के आवंटन संबंधी किसी प्रक्रिया के अभाव में अध्यक्ष महोदय की स्थिति वाद-विवाद को संक्षिप्त करने, विशेषकर समापन प्रस्ताव, यदि प्रस्तुत किया गया हो, को स्वीकार किए जाने के संबंध में सदैव बहुत ही विषम हो जाती थी। उन्होंने समय आवंटन करने संबंधी ब्रिटिश प्रक्रिया का समर्थन नहीं किया क्योंकि उन्होंने यह महसूस किया कि इसमें अधिक समय लग सकता है। इस तरह 1951 में कार्य मंत्रणा समिति स्थापित करने के लिए नियम बनाए गए और 14 जुलाई, 1952 को समिति अस्तित्व में आयी।

समिति का कार्य सरकारी विधेयकों और अन्य कार्यों[1] जिसे अध्यक्ष, सभा के नेता के परामर्श से समिति को भेजे जाने का निदेश दे, के विभिन्न चरणों पर चर्चा हेतु समय की सिफारिश करना है। तथापि, समिति व्यवहार में वित्तीय कार्यों नामत: बजट, विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित अनुदानों की मांगें, वित्त विधेयक संबंधी सामान्य चर्चा और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव संबंधी चर्चा हेतु भी समय आवंटन की सिफारिश करती है। यद्यपि इस प्रकार की मदों पर समय आवंटन करने की शक्ति सभा के नेता के साथ परामर्श करके अध्यक्ष में निहित है।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति भी भारतीय संसद की एक पहल है। पहली समिति का गठन 1953 में किया गया था। इसके गठन का उद्देश्य यह था कि सभा में समय-समय पर मंत्रियों द्वारा दिए गए वचनों और वायदों को पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रिया स्थापित की जाए। समिति का कार्य सभा में समय-समय पर मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों और वायदों की संवीक्षा करना है और किस सीमा तक ऐसे आश्वासन आदि को कार्यान्वित किया गया है, उनके बारे में अपना प्रतिवेदन देना है। वह यह भी देखती है कि क्या ये कार्यान्वयन उस प्रयोजन हेतु आवश्यक न्यूनतम समय के भीतर हुए हैं।

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

संसद के प्रत्येक सत्र के दौरान सरकार काफी संख्या में अधिसूचनाएं, रिपोर्टें, लेखा परीक्षित लेखे और अन्य पत्र संसद के समक्ष रखती है। पहले इनमें से कुछ प्रतिवेदनों/पत्रों को अधीनस्थ विधान संबंधी समिति सहित विभिन्न संसदीय समितियों को भेजा जाता था किन्तु इनमें से अधिकतर पत्रों पर ध्यान नहीं दिया जाता था। इसी पृष्ठभूमि में सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का गठन जून, 1975 में किया गया था और तब से यह एक नियमित प्रक्रिया बन गयी है। समिति मंत्रियों द्वारा सभा पटल पर रखे गए सभी पत्रों की जांच करती है और सभा को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है कि क्या संविधान, अधिनियम, नियम अथवा विनियम, जिनके अंतर्गत पत्र रखे गए हैं, के उपबंधों का अनुपालन किया गया है; क्या पत्रों को रखने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है, यदि विलम्ब हुआ है, तो क्या विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा गया है और क्या वे कारण संतोषजनक हैं; क्या पत्र के हिन्दी और अंग्रेजी दोनों संस्करण सभा पटल पर रखे गए हैं; और क्या हिन्दी संस्करण नहीं रखने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण दिया गया है और क्या यह कारण संतोषजनक है।

नियमों के अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि यदि कोई सदस्य इस समिति के कार्यकरण के अंतर्गत आने वाले किसी विषय को उठाना चाहता है तो वह उस विषय को समिति को भेजेगा और सभा में नहीं उठाएगा।

[1] गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों से इत्तर कार्यों को अन्य कार्यों के रूप में परिभाषित किया गया है। गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों को समय आवंटन पर गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों संबंधी समिति द्वारा विचार किया जाता है।

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

भारत का संविधान और अन्य कानून महिलाओं के साथ भेदभाव और शोषण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करते हुए समानता और उचित स्थान सुनिश्चित करते हैं। महिलाओं के सशक्तीकरण और उनके उत्थान की बढ़ती आवश्यकता पर विचार करते हुए महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए दोनों सभाओं की एक स्थायी समिति के गठन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च, 1996 को राज्य सभा और लोक सभा में दो एक जैसे संकल्प प्रस्तुत किए गए थे। तत्पश्चात् 29 अप्रैल 1997 को महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का गठन किया गया था।

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति अन्य बातों के अतिरिक्त राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों और केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासनों सहित केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मामलों के संबंध में महिलाओं की स्थिति/दशा सुधारने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों संबंधी प्रतिवेदनों पर विचार करती है। समिति सभी मामलों में महिलाओं को समानता, प्रतिष्ठा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए उपायों की भी जांच करती है और महिलाओं को व्यापक शिक्षा और विधायी निकायों/सेवाओं और अन्य क्षेत्रों में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए उपायों की भी जांच करती है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति

बारहवीं लोक सभा के चौथे सत्र के दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (लोक सभा) संबंधी एक नई तदर्थ समिति का गठन किया गया था। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) भारत सरकार द्वारा 23 दिसम्बर, 1993 को आरम्भ की गई थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत किए जाने वाले विकास कार्यों के लिए जिला कलेक्टर को सुझाव दे सकता है। इस प्रयोजन हेतु प्रत्येक सदस्य को प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस राशि को वर्ष 1998 में बढ़ाकर दो करोड़ रुपए और वर्ष 2011 में पांच करोड़ रुपए किया गया था।

इस समिति के मुख्य कार्य एमपीलैड योजना (लोक सभा) के कार्य-निष्पादन और इस योजना के कार्यान्वयन में समस्याओं की निगरानी, आवधिक समीक्षा करना और इस योजना के संबंध में लोक सभा के सदस्यों की शिकायतों पर विचार करना है।

आचार समिति

लोक सभा में 15 सदस्यीय आचार समिति का गठन अध्यक्ष द्वारा 16 मई, 2000 को किया गया था। इस समिति का कार्य सदस्यों के नैतिक आचरण पर निगाह रखना और किसी सदस्य के अनैतिक अथवा उसके संसदीय आचरण से संबंधित प्रत्येक शिकायत की जांच करना और अनैतिक माने जाने वाले कृत्यों को विनिर्दिष्ट करते हुए नियम निर्धारित करना है। यह समिति जहां कहीं आवश्यक समझे, सदस्यों द्वारा अनैतिक आचरण से संबंधित मामलों सहित आचरण से जुड़े मामलों को स्वत: विचारार्थ और जांच के लिए ले सकती है और इस संबंध में उचित सिफारिश कर सकती है।

आचार समिति (तेरहवीं लोक सभा) ने अपने पहले प्रतिवेदन, जिसे लोक सभा द्वारा 16 मई, 2002 को स्वीकार किया गया, में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि सदस्यों को प्रतिवेदन में निर्धारित सामान्य सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इस समिति ने नैतिक शिकायत करने के लिए प्रक्रिया और सदस्यों द्वारा वित्तीय प्रकटन तथा हितों की घोषणा संबंधी व्यापक मानदंडों की भी सिफारिश की है। अभी तक लोक सभा अध्यक्ष द्वारा बनाए गए लोक सभा सदस्य (आस्तियों और देयताओं की घोषणा) नियम 2004 के अनुसार लोक सभा के लिए निर्वाचित प्रत्येक सदस्य को सभा में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए शपथ अथवा प्रतिज्ञान करने की तिथि के 90 दिन के भीतर अपनी, अपने पति अथवा पत्नी और अपने आश्रित बच्चों के साथ-साथ संयुक्त अथवा अनेक स्वामित्वों अथवा लाभार्थियों वाली चल और अचल संपत्ति, किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार को अपनी देयताओं के संबंध में निहित रूप में सूचना अध्यक्ष को प्रस्तुत करनी होती है।

विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, 1993 में विभागों से संबंधित 17 स्थायी समितियों का गठन किया गया था जिन्हें जुलाई, 2004 में बढ़ाकर 24 कर दिया गया। चौदहवीं लोक सभा के दौरान विभागों से संबंधित स्थायी समितियों की भूमिका को और सार्थक बनाने के लिए 1 सितम्बर, 2004 को लोक सभा अध्यक्ष के निदेश में एक नया निदेश 73क जोड़ा गया। इस निदेश के अनुसार विभागों से संबंधित स्थायी समितियों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में संबंधित मंत्री छह महीने में एक बार अपने मंत्रालय के संबंध में सभा में एक वक्तव्य देगा। नया निदेश एक प्रक्रियात्मक नवाचार है क्योंकि यह विभागों से संबंधित स्थायी समितियों की महत्वपूर्ण सिफारिशों के समय पर कार्यान्वयन को लेकर सरकार में उच्च स्तर पर उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करता है। चौदहवीं लोक सभा तथा पन्द्रहवीं लोक सभा (नौवें सत्र के दौरान तक) के दौरान निदेश 73क के अंतर्गत संबंधित मंत्रियों द्वारा क्रमश: 386 और 110 वक्तव्य दिए गए/सभा पटल पर रखे गए।

समिति की बैठकों का पुनर्निर्धारण

लोक सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 389 के अनुसरण में माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार ने केवल सभापति की अनुपस्थिति/अनुपलब्धता के कारण अंतिम क्षणों में समिति की बैठकों के रद्द होने संबंधी निदेशों में एक नया निदेश जोड़ा है। नए निदेश के अनुसार समिति के सभापति की पूर्व निर्धारित बैठक से अनुपस्थिति अथवा बैठक के लिए तत्काल अनुपलब्धता के आधार पर ही समिति की कोई भी बैठक रद्द अथवा समय से पूर्व आयोजित अथवा मुल्तवी नहीं की जाएगी।

अध्ययन दौरों के दौरान संसदीय समितियों की बैठकों में स्थानीय संसद सदस्यों को आमंत्रित करना

स्थानीय संसद सदस्यों से प्राप्त होने वाली जानकारी के महत्व को समझते हुए अध्यक्ष महोदया श्रीमती मीरा कुमार ने सभी समितियों में मामलों को समान रूप से विनियमित करने की पहल की।

तदनुसार एक नई प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसके अनुसार सभापति अध्ययन दौरों के दौरान संसदीय समितियों की बैठकों में स्थानीय संसद सदस्यों को आमंत्रित कर सकते हैं जिससे कि संबंधित विषय विशेषकर केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की पृष्ठभूमि में जानकारी अथवा सुझाव प्राप्त हो सकें।

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति नाम से दोनों सभाओं की एक समिति गठित करने के संबंध में निर्णय लिया गया है जिसमें 30 सदस्य होंगे। 20 सदस्य लोक सभा से और 10 सदस्य राज्य सभा से। इस संबंध में 21 दिसम्बर, 2011 को लोक सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत और पारित किया गया था। समिति अन्य बातों के अतिरिक्त राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करेगी और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों सहित केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में दोनों सभाओं को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। यह समिति द्वारा प्रस्तावित उपायों के संबंध में केन्द्र सरकार और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में दोनों सभाओं को प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करेगी और संविधान के उपबन्धों के संदर्भ में सरकार के नियंत्रणाधीन सेवाओं और पदों में अन्य पिछड़े वर्गों विशेषकर अति पिछड़े वर्गों, को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा किए गए उपायों की जांच करेगी।

संसद भवन परिसर के धरोहर स्वरूप के संरक्षण हेतु समिति

लोक सभा अध्यक्ष ने संसद भवन परिसर के धरोहर स्वरूप के रखरखाव और विकास संबंधी एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। समिति का मुख्य कार्य मानक संरक्षण सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के अनुरूप संसद भवन परिसर में संरक्षण, जीर्णोद्धार, मरम्मत और रख-रखाव संबंधी कार्यों हेतु नीतियां, दिशानिर्देश और कार्यक्रम बनाना है। लोक सभा अध्यक्ष द्वारा 15 दिसम्बर, 2009 को 13 सदस्यों की समिति का गठन किया गया था। लोक सभा अध्यक्ष समिति की सभापति हैं।

प्रक्रियात्मक नवाचार

आधे घंटे की चर्चा

कभी-कभार संसद सदस्य संसदीय प्रश्न के दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में सदस्य एक नोटिस देकर आधे घंटे की चर्चा के माध्यम से मामले को उठा सकते हैं और विषय के संबंध में तथ्य को और स्पष्ट करने की मांग कर सकते हैं। यदि नोटिस स्वीकार किया जाता है तो बैठक के अंतिम तीस मिनटों में आधे घंटे की अवधि की चर्चा होती है। आधे घंटे की चर्चा सप्ताह में तीन बैठकों अर्थात् सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होती है। तथापि, बजट सत्र के दौरान सामान्यत: वित्तीय कार्य के समापन तक सप्ताह में एक से अधिक आधे घंटे की चर्चा नहीं होती है।

अल्पकालिक चर्चा

सभी अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर चर्चा हेतु सदस्यों को अवसर प्रदान करने हेतु मार्च, 1953 में एक परम्परा स्थापित की गयी थी जिसके अनुसार सदस्य बिना किसी औपचारिक प्रस्ताव अथवा मतदान के अल्पकालिक चर्चा कर सकते हैं। 1953 से पूर्व संकल्प अथवा प्रस्ताव के माध्यम को छोड़कर अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर सभा में चर्चा करने के नियमों में कोई प्रावधान नहीं था। जब कभी भी सदस्य लोक सभा के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, वे स्थगन प्रस्ताव का सहारा लेते थे। चूंकि स्थगन प्रस्ताव की प्रकृति निंदा प्रस्ताव की होती है अत: किसी विषय के संबंध में सभा में चर्चा करने की इस प्रक्रिया का सहारा लिए जाने को किसी भी प्रकार से प्रारंभिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं माना जाता था जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती थी। यह प्रक्रिया, जो एक परम्परा के रूप में आरंभ हुई थी, बाद में यह नियमों का भाग बन गई।

नियमों में प्रावधान है कि यदि कोई सदस्य अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों के संबंध में चर्चा करने का इच्छुक है तो वह उठाए जाने वाले वांछित विषय को स्पष्ट और यथातथ्य करते हुए लिखित में अध्यक्ष को नोटिस दे सकता है। नोटिस के साथ प्रश्नगत विषय के संबंध में चर्चा करने के लिए कारणों को स्पष्ट करने वाला एक नोट होना चाहिए और इसका कम से कम दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षरों द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए।

अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों की ओर ध्यानाकर्षण

ध्यानाकर्षण सूचना की प्रक्रिया विकसित करने की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई क्योंकि गैर-सरकारी सदस्यों हेतु अल्पावधि में महत्वपूर्ण विषय को उठाने के लिए समुचित प्रक्रिया नहीं थी। इस प्रकार के प्रयोजनों के लिए अधिकांशत: स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता था। चूंकि स्थगन प्रस्ताव की प्रकृति निंदा प्रस्ताव की थी और इसका क्षेत्र काफी सीमित था, अत: अन्य प्रयोजन हेतु इसका प्रयोग अनुचित समझा जाने लगा।

प्रक्रिया नियमों में नियम 197, जो ध्यानाकर्षण नोटिस को अधिशासित करता है, 1 जनवरी, 1954 को शामिल किया गया था। प्रक्रिया में अनुपूरक प्रश्नों सहित उत्तर के लिए प्रश्न पूछने और लघु टिप्पणियां जिसमें सभी दृष्टिकोणों को संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से व्यक्त करना होता है, सम्मिलित हैं तथा सरकार को इसमें अपनी स्थिति व्यक्त करने के लिए पर्याप्त अवसर होता है। कभी-कभार यह व्यवस्था सदस्यों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की आलोचना करने और महत्वपूर्ण मामलों पर सरकार की असफलता अथवा अपर्याप्त कार्रवाई को उजागर करने के अवसर प्रदान करती है। प्रक्रिया सदस्यों को किसी मामले में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में व्याप्त कमियों की ओर इंगित करने में सहायता प्रदान करती है।

नियम 377 के अधीन मामले

लोक सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के अधीन सदस्य अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से किसी विषय को जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है अथवा जिसे अन्यथा नियमों के अंतर्गत

नहीं उठाया जा सकता को सभा के संज्ञान में ला सकते हैं। नियम 377 के अधीन उठाए गए मामलों संबंधी कार्यवाही संबंधित मंत्रियों को ऐसे उठाए गए विषय के एक महीने के भीतर भेज दी जाती है जिसके बाद सीधे संबंधित सदस्यों को उसका उत्तर लोक सभा सचिवालय को सूचित करते हुए देना होता है।

5 नवम्बर, 2009 को लोक सभा अध्यक्ष ने एक निर्णय लिया जिसके अनुसार नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाना अपेक्षित है। निर्णय के अनुसार, अध्यक्षपीठ द्वारा यदि यह निर्णय लिया जाता है कि नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा, अध्यक्षपीठ द्वारा एक घोषणा की जाएगी कि जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति दी गई है उस दिन वे 20 मिनट के भीतर अपनी पर्चियां पटल पर भेज दें। इसके पश्चात् वे सदस्य जिन्हें अनुमति दी गई है, और जो अपने मामले सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, सभा की कार्यवाही में अपने मामलों को सम्मिलित करने के लिए 20 मिनट के भीतर सभा पटल पर व्यक्तिगत रूप में अपनी पर्चियां दे सकते हैं। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा और कार्यवाही का भाग माना जाएगा जिसके संबंध में निर्धारित समय के भीतर पटल पर पर्चियां प्राप्त हुई हैं। नियम 377 के अधीन वे मामले जिनके संबंध में पटल पर पर्चियां प्राप्त नहीं हुई हैं को कार्यवाही का भाग नहीं माना जाएगा और उन्हें व्यपगत माना जाएगा। यह निर्णय पन्द्रहवीं लोक सभा के तीसरे सत्र से प्रभावी है।

शून्य काल

शून्य काल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रक्रिया के नियमों में उल्लेख नहीं है। तथापि यह सभा में मामले उठाने के लिए सभी सदस्यों द्वारा सहजता से प्रयोग किए जाने वाली एक लोकप्रिय प्रक्रिया है। ''प्रश्नकाल'' के तत्काल पश्चात् और लोक सभा की कार्यसूची में सूचीबद्ध नियमित कार्य से पूर्व अवधि को ''शून्यकाल'' कहा जाता है। चूंकि इस प्रक्रिया का इतना व्यापक प्रयोग किया जाता है अत: इसे नियमित किए जाने के लिए समय-समय पर प्रयास किए गए हैं।

अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार 17 जुलाई, 2009 से प्रश्नकाल के पश्चात् अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों को उठाने के लिए नई प्रक्रिया अर्थात् शून्य काल आरंभ किया गया है। अब सदस्य जिस दिन सभा में विषय को उठाने के इच्छुक हैं प्रात: 8.30 बजे से 9.00 बजे तक नोटिस भेज सकते हैं। प्रात: 9.00 बजे के पश्चात् प्राप्त नोटिसों को समय पश्चात् प्राप्त नोटिस माना जाता है। किए जाने वाले बैलट में प्राथमिकता के अनुसार केवल 20 मामलों को एक दिन में उठाने की अनुमति दी जाती है। 20 मामलों को उठाने के क्रम के संबंध में अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाता है। पहले चरण में प्रश्नकाल के पश्चात् अध्यक्षपीठ द्वारा यथानिर्णीत अविलम्बनीय राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के पांच मामलों को उठाया जाता है और पत्र आदि रखे जाते हैं। दूसरे चरण में सायं 6.00 बजे के पश्चात् अथवा सभा के नियमित कार्य की समाप्ति पर स्वीकार किए गए शेष अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को उठाया जाता है।

प्रश्नकाल को सुचारू बनाना

प्रश्नकाल से जुड़ी कार्यवाही को और प्रभावी तथा सुचारू बनाने हेतु अपनी चिंता के कारण माननीय अध्यक्ष ने प्रश्नकाल से संबंधित लोक सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों/अध्यक्ष

के निदेशों में संशोधन करने की अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। संशोधित/परिवर्तित उपबंधों के अनुसार, प्रश्नों के नोटिस देने के लिए क्रमश: 10 दिन और 21 दिन की न्यूनतम और अधिकतम अवधि को समाप्त करते हुए 15 दिन की एक समान अवधि निर्धारित की गई है। अध्यक्ष को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी सदस्य, जो उसका नाम पुकारे जाने के समय सभा में अनुपस्थित हो, द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न के उत्तर हेतु निदेश दे। इसके अलावा, मंत्री को किसी प्रश्न के पहले दिए गए उत्तर को ठीक करने के लिए सभा में अब वक्तव्य देना होगा, भले ही पूछा गया प्रश्न तारांकित या अतारांकित अथवा अल्प-सूचना प्रश्न इत्यादि हो। मौखिक या लिखित उत्तर के लिए सदस्य द्वारा प्रश्न सूचनाओं की संख्या भी 10 पर सीमित कर दी गई है।

अनुदानों की मांगों के संबंध में कटौती-प्रस्ताव

अनुदानों की मांगों के संबंध में कटौती प्रस्ताव पेश करने के बारे में सभा में अब तक परिपाटी यह रही है कि गिलोटिन की जाने वाली अनुदान-मांगों से संबंधित कटौती प्रस्तावों को परिचालित नहीं किया जाता और प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती। परन्तु, सभा में जिनकी चर्चा नहीं होती उन मांगों से संबंधित कटौती प्रस्तावों की प्रस्तुति रोकने के बारे में कोई नियम नहीं है।

27 अप्रैल, 2010 को, मंत्रालयों/विभागों से संबंधित बकाया अनुदान-मांगों को सभा में मतदान हेतु रखे जाने के पूर्व, अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि कटौती प्रस्ताव रखने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 113 के अंतर्गत सभा को प्राप्त उस शक्ति से निर्गत है जिसमें उसे किसी मांग को, उस मांग में विनिर्दिष्ट राशि में कटौती करने के अध्यधीन, स्वीकृत करने का अधिकार है। इस अनुच्छेद या किसी भी नियम में उन मांगों के बीच, जिन पर सभा में चर्चा की जाती हो या जिन्हें गिलोटिन किया जाता हो, कोई विभेद नहीं किया गया है। अनुच्छेद 113 में 'किसी मांग' शब्द का प्रयोग किया गया है। अत:, यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 113(2) के अंतर्गत, सभा के सम्मुख पेश की गई सभी मांगों पर कटौती प्रस्ताव लाया जा सकता है।

अध्यक्ष ने यह भी टिप्पणी की कि संवैधानिक अधिकार उच्चतर अधिकार है और यह परिपाटियों से बढ़कर है। यह कहते हुए कि कटौती प्रस्ताव रखना, संविधान के प्रावधानानुसार, सभा में सदस्यों का एक महत्वपूर्ण अधिकार है जिसे संकुचित नहीं किया जा सकता, अध्यक्ष ने गिलोटिन हेतु रखी जाने वाली मांगों पर कटौती प्रस्ताव लाने की अनुमति दी।

तद्नुसार, सभी परिचालित बकाया मांगों पर रखे गए सभी कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया मानते हुए एक साथ लिया गया और फिर अस्वीकृत किया गया। यह अभूतपूर्व प्रक्रियागत कार्यवाही थी और बकाया मांगों पर कटौती प्रस्ताव लाने की स्वीकृति देने के अध्यक्ष के निर्णय की सभा में सत्तापक्ष एवं विपक्ष द्वारा एवं जनसामान्य द्वारा सराहना हुई।

वर्तमान सदस्य के निधन के कारण सभा का स्थगन

किसी वर्तमान सदस्य के निधन की दशा में उसके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए अध्यक्ष ने राजनैतिक दलों व समूहों के नेताओं की एक बैठक में यह निर्णय लिया कि यदि अंतर-सत्रावधि के

दौरान किसी वर्तमान सदस्य की मृत्यु हो जाए तो अंतर-सत्रावधि के पश्चात्, सभा पहले दिन स्थगित की जाएगी। इसके पूर्व, सभा का स्थगन केवल तभी होता था जब किसी वर्तमान सदस्य का निधन सभा की बैठक की कालावधि के दौरान हो जाए।

अध्याय नौ
संसद सदस्यों का सामाजिक-आर्थिक विवरण

संविधान में भारत की जनता को संप्रभु शक्ति प्रदान की गई है जिसका प्रयोग वह अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। लोक सभा के परिप्रेक्ष्य में यह विशेषकर अधिक स्पष्ट है जिसके सदस्य वयस्क मताधिकार के माध्यम से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं। वर्ष 1951-52 में हुए पहले आम चुनाव से लेकर अब तक, भारत का चुनावी इतिहास पन्द्रह आम चुनावों का साक्षी है और यह भारत की लोकतांत्रिक राष्ट्रगाथा के सर्वाधिक गौरवशाली अध्यायों में से एक है।

साठ वर्षों से भी अधिक का हमारा लोकतांत्रिक अनुभव दर्शाता है कि राजनैतिक दल तथा चुनाव, भारत में राजनैतिक एवं सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की वरीय प्रविधियां हैं। इन राजनैतिक तरीकों ने न केवल लोकतंत्र की संस्थागत अपेक्षाओं को पूर्ण किया है बल्कि तंत्र की जनता के सामाजिक आचार-व्यवहार के अनुसार ढलने में भी सहायता की है। अतएव, यह स्पष्ट है कि विधायकगण भारत की जनता को सामाजिक-आर्थिक संरचना के सहज प्रतीक बन जाते हैं।

आयु-विवरण

संसद सदस्य बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा संबंधी कोई सांविधिक उपबंध नहीं है। तथापि, संविधान के अनुसार, लोक सभा चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की आयु न्यूनतम 25 वर्ष तथा राज्य सभा सदस्य बनने हेतु कम से कम 30 वर्ष होना विनिर्धारित किया गया है।

तालिका 22 में विभिन्न लोक सभाओं के सदस्यों को 5 वर्ष की कालावधि के अंतर्गत 13 विभिन्न आयु वर्गों में वर्गीकृत करते हुए एक तुलनात्मक विवरण दिया गया है जिसमें 25-30 वर्ष के आयु वर्ग से शुरू करके 86-90 वर्ष आयु वर्ग के सदस्यों का ब्यौरा है। दूसरी, सातवीं, आठवीं, चौदहवीं और पन्द्रहवीं लोक सभाओं को छोड़ दें तो अधिकांश लोक सभाओं में अधिकतर सदस्य 41-55 वर्ष आयु वर्ग के रहे हैं जहां आयुगत अंतराल 15 वर्ष का है। 15 वर्ष के उक्त अंतर-आयु वर्ग के अंतर्गत पांचवीं लोक सभा में सर्वाधिक 269 सदस्य थे जिनका सभा में प्रतिशत 53.37 था। 15 वर्ष के इस अंतर-आयु वर्ग के अंतर्गत 46-60 वर्ष के आयु वर्ग में सातवीं, आठवीं, चौदहवीं एवं पन्द्रहवीं लोक सभाओं में सर्वाधिक सदस्य संख्या थी जबकि दूसरी लोक सभा में 36-50 वर्ष आयु वर्ग के सदस्य सर्वाधिक थे। ग्राफ 22 में पन्द्रहवीं लोक सभा में सदस्यों को उनके आयु वर्ग के सापेक्ष प्रदर्शित किया गया है।

यह उल्लेखनीय है कि 25-35 वर्ष आयु वर्ग के युवा सदस्यों की प्रतिनिधि संख्या में काफी कमी आई है जो प्रथम लोक सभा में 17.75 प्रतिशत से कम होकर पन्द्रहवीं लोक सभा में 6.79 प्रतिशत हो गई। तथापि, 36-45 वर्ष आयु वर्ग के सदस्य लगातार अपनी उपस्थिति दर्शाते रहे

तालिका 22 : सदस्यों का आयु-वर्ग के आधार पर वर्गीकरण (पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

आयु-वर्ग	पहली लो.स.		दूसरी लो.स.		तीसरी लो.स.		चौथी लो.स.		पांचवीं लो.स.		छठी लो.स.		सातवीं लो.स.		आठवीं लो.स.		नौवीं लो.स.		दसवीं लो.स.		ग्यारहवीं लो.स.		बारहवीं लो.स.		तेरहवीं लो.स.		चौदहवीं लो.स.		पंद्रहवीं लो.स.	
	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%
25–30 वर्ष	28	6.06	13	2.67	11	2.32	22	4.44	16	3.17	18	3.47	9	1.73	7	1.32	14	2.68	8	1.58	11	2.13	11	2.06	5	0.92	10	1.83	9	1.65
31–35 वर्ष	54	11.69	60	12.35	34	7.16	37	7.46	28	5.56	26	5.01	43	8.29	36	6.78	17	3.26	32	6.34	22	4.26	23	4.30	24	4.44	21	3.85	28	5.14
36–40 वर्ष	58	12.55	91	18.72	64	13.47	68	13.71	62	12.30	62	11.95	71	13.68	60	11.30	55	10.54	50	9.90	43	8.33	45	8.41	49	9.06	45	8.26	43	7.89
41–45 वर्ष	68	14.72	71	14.61	79	16.63	84	16.94	76	15.08	69	13.29	75	15.45	73	13.75	76	14.56	75	14.85	77	14.92	78	14.58	84	15.53	64	11.74	73	13.39
46–50 वर्ष	74	16.02	64	13.17	73	15.37	85	17.04	99	19.64	94	18.11	70	13.49	77	14.50	92	17.62	87	17.23	82	15.89	98	18.32	87	16.08	93	17.06	78	14.31
51–55 वर्ष	93	20.13	76	15.64	69	14.53	69	13.91	94	18.65	94	18.11	84	16.18	74	13.94	82	15.71	71	14.06	80	15.50	83	15.51	93	17.19	84	15.41	95	17.43
56–60 वर्ष	47	10.17	70	14.40	58	12.21	55	11.09	57	11.31	66	12.72	87	16.76	80	15.07	68	13.03	65	12.87	65	12.60	64	11.96	62	11.46	94	17.25	84	15.41
61–65 वर्ष	29	6.28	25	5.14	58	12.21	39	7.86	35	6.94	41	7.90	41	7.90	74	13.94	63	12.07	66	13.07	59	11.43	61	11.40	64	11.83	53	9.72	63	11.56
66–70 वर्ष	10	2.16	12	2.47	21	4.42	25	5.04	25	4.96	33	6.36	24	4.62	30	5.15	41	7.85	32	6.34	47	9.11	44	8.22	40	7.39	45	8.26	36	6.61
71–75 वर्ष	1	0.22	4	0.82	6	1.26	10	2.02	9	1.79	11	2.12	11	2.12	11	2.07	12	2.30	14	2.77	19	3.68	19	3.55	25	4.62	22	4.04	23	4.22
76–80 वर्ष	–	–	–	–	1	0.21	1	0.20	2	0.40	4	0.77	3	0.58	6	1.13	1	0.19	4	0.79	8	1.55	7	1.31	5	0.92	12	2.20	10	1.83
81–85 वर्ष	–	–	–	–	1	0.21	1	0.20	1	0.20	1	0.19	1	0.19	3	0.56	–	–	1	0.20	3	0.58	2	0.37	3	0.55	2	0.37	2	0.37
86–90 वर्ष	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	0.19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	0.18
जानकारी देने वाले सदस्यों की कुल संख्या	462		486		475		496		504		519		519		531		522		505		516		535		541		545		545^	
सीटों की कुल संख्या, नामनिर्देशित सदस्यों सहित	499		500		503		523		521		544		544		545		545		545		545		545		545		545		545	

प्रतिशत, जानकारी देने वाले सदस्यों की कुल संख्या पर आधारित है।

^18.5.2009 को पंद्रहवीं लोक सभा के गठन की तारीख पर, जिसमें दो नामनिर्देशित सदस्य और श्री राजबब्बर जो 7.11.2009 को हुए उप-चुनाव में निर्वाचित हुए थे, भी शामिल हैं।

ग्राफ 22 : सदस्यों का आयु वर्ग के आधार पर वर्गीकरण (पन्द्रहवीं लोक सभा)

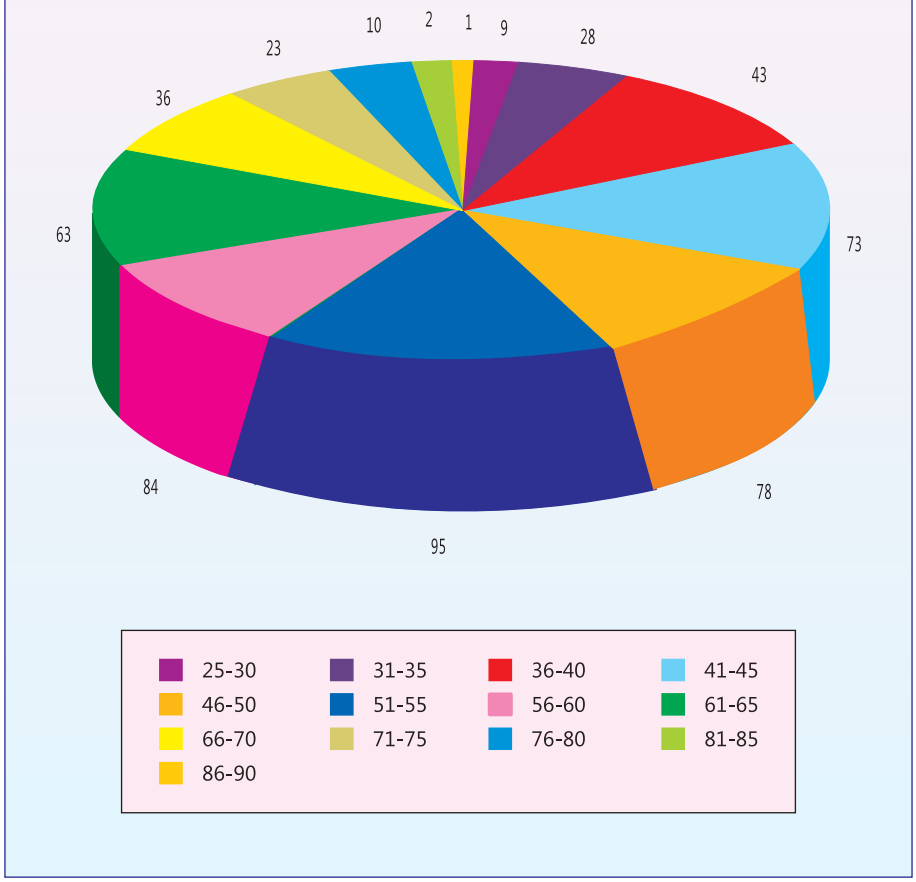

हैं। दूसरी ओर, 56-65 वर्ष आयु वर्ग में आने वाले सदस्यों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। पहली लोक सभा में उनका प्रतिशत अल्पतम 16.45 था जो आठवीं लोक सभा तक उच्चतम 29.01 प्रतिशत हो गया। चौदहवीं और पन्द्रहवीं लोक सभाओं में उनका प्रतिशत 26.97 रहा। इसी प्रकार, 66-75 वर्ष आयु वर्ग के सदस्यों का प्रतिनिधित्व भी धीरे-धीरे किन्तु निरंतर रूप से बढ़ा है और पहली लोक सभा में अपने उच्चतम प्रतिशतांक 2.38 से बढ़कर ग्यारहवीं लोक सभा में अपने उच्चतमांक 12.79 प्रतिशत तक पहुंचा है।

सदस्यों की औसत आयु को देखें तो, आमतौर पर, पहली लोक सभा से यह ऊपर की ओर ही बढ़ी है; तथापि विभिन्न लोक सभाओं में उसमें उतार-चढ़ाव आता रहा। पहली लोक सभा में सदस्यों की औसत आयु 46.5 वर्ष थी जो तेरहवीं लोक सभा में अपने उच्चतम औसत 55.5 वर्ष पर आ गई और इस दृष्टि से अब तक यह लोक सभा वयोवृद्धतम सदस्यों की सभा रही है। दिलचस्प बात यह है कि इसके पूर्व की लोक सभा, अर्थात् बारहवीं लोक सभा, 46.4 वर्ष औसत आयु के साथ युवतम सदस्यों की सभा रही। छठी, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं और पन्द्रहवीं लोक सभाओं में औसत आयु 50 वर्ष से अधिक रही है। तालिका 23 और ग्राफ 23 में विभिन्न लोक सभाओं की सदस्य औसत आयु दर्शाई गई है।

तालिका 23 : सदस्यों की औसत आयु
(पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

लोक सभा	औसत आयु वर्षों में
पहली (1952-57)	46.5
दूसरी (1957-62)	46.7
तीसरी (1962-67)	49.4
चौथी (1967-70)	48.7
पांचवीं (1971-77)	49.2
छठी (1977-79)	52.1
सातवीं (1980-84)	49.9
आठवीं (1985-89)	51.4
नौवीं (1989-91)	51.3
दसवीं (1991-96)	51.4
ग्यारहवीं (1996-97)	52.8
बारहवीं (1998-99)	46.4
तेरहवीं (1999-04)	55.5
चौदहवीं (2004-09)	52.2
पंद्रहवीं* (2009 से आज तक)	53.7

औसत आयु, तालिका 22 के अनुसार जानकारी देने वाले सदस्यों की कुल संख्या पर आधारित है।

*18.5.2009 को पन्द्रहवीं लोक सभा के गठन की तारीख पर, जिसमें दो नामनिर्देशित सदस्य और श्री राज बब्बर जो 7.11.2009 को हुए उप-चुनाव में निर्वाचित हुए थे, भी शामिल हैं।

ग्राफ 23 : सदस्यों की औसत आयु
(पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

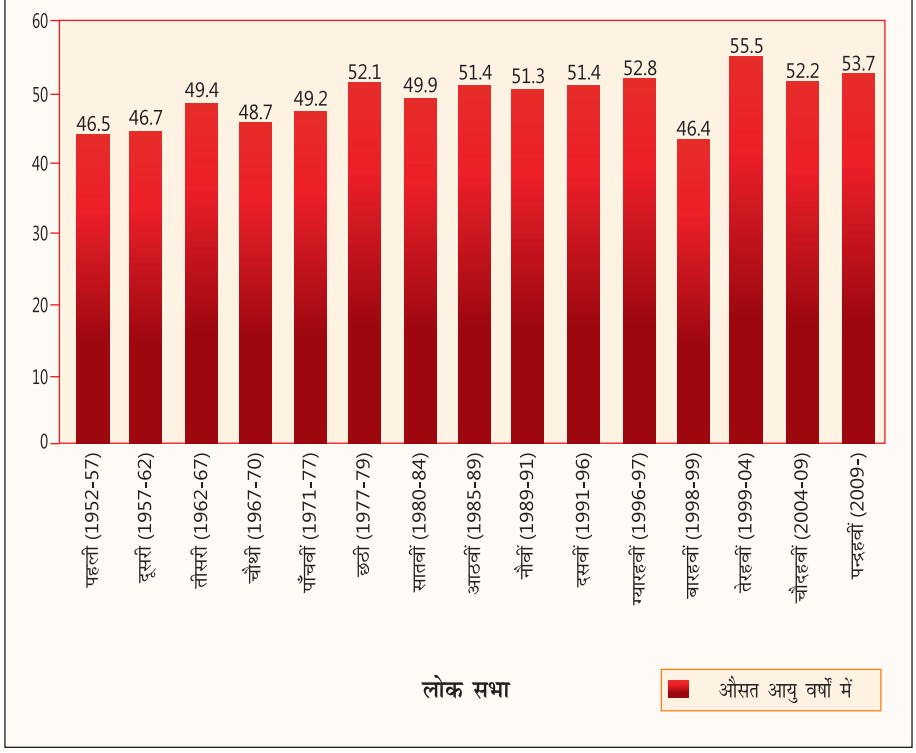

शैक्षिक पृष्ठभूमि

पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्यों की शैक्षिक पृष्ठभूमि का तुलनात्मक विश्लेषण करने के लिए उन्हें छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तालिका 24 और ग्राफ 24 में इन छह श्रेणियों में आने वाले सदस्यों की संख्या दर्शायी गई है। ग्राफ 25 में पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्यों की शैक्षिक पृष्ठभूमि का ब्यौरा दिया गया है।

देखा गया है कि अवर मैट्रिक की शैक्षिक श्रेणी में आने वाले सदस्यों की संख्या घटती गई है। पहली, दूसरी, तीसरी और पांचवीं लोक सभाओं में प्रत्येक में इस श्रेणी के सदस्यों का प्रतिशत सभा की कुल सदस्य संख्या के 23 प्रतिशत से अधिक था, जो नौवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभाओं में एकदम गिरकर 3 प्रतिशत से भी कम रह गया। पन्द्रहवीं लोक सभा में

तालिका 24 : सदस्यों की शैक्षिक पृष्ठभूमि
(पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

शैक्षिक योग्यता	पहली लो.स.		दूसरी लो.स.		तीसरी लो.स.		चौथी लो.स.		पांचवीं लो.स.		छठी लो.स.		सातवीं लो.स.		आठवीं लो.स.		नौवीं लो.स.		दसवीं लो.स.		ग्यारहवीं लो.स.		बारहवीं लो.स.		तेरहवीं लो.स.		चौदहवीं लो.स.		पंद्रहवीं लो.स.	
	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%
अवर मैट्रिक	112	23.48	120	25.48	141	28.78	54	11.82	119	23.15	52	9.81	53	10.04	42	7.88	10	2.09	18	3.57	15	2.90	12	2.27	15	2.81	15	2.78	24	4.40
मैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट प्रमाण-पत्र धारक	88	18.45	90	19.11	87	17.76	101	22.10	82	15.95	132	24.91	118	22.35	112	21.01	94	19.67	44	8.73	94	18.18	89	16.82	48	9.01	69	12.80	77	14.13
अवर स्नातक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57	11.31	8	1.55	18	3.40	42	7.88	12	2.23	17	3.12
स्नातक (इसमें समकक्ष तकनीकी योग्यता वाले भी शामिल हैं)	177	37.11	160	33.97	157	32.04	172	37.64	178	34.63	205	38.68	213	40.34	238	44.65	233	48.74	220	43.65	222	42.94	237	44.80	256	48.03	272	50.46	265	48.62
स्नातकोत्तर (तकनीकी योग्यता वाले भी शामिल हैं)	85	17.82	92	19.53	98	20.00	113	24.73	127	24.71	132	24.91	136	25.76	131	24.58	124	25.94	145	28.77	149	28.82	149	28.17	145	27.20	153	28.39	134	24.59
डाक्टर की डिग्री अथवा अन्य उच्च शैक्षिक योग्यता धारक	15	3.14	9	1.91	7	1.43	17	3.72	8	1.56	9	1.70	8	1.52	10	1.88	17	3.56	20	3.97	29	5.61	24	4.54	27	5.07	18	3.34	28	5.14
जानकारी देने वाले कुल सदस्यों की संख्या	477		471		490		457		514		530		528		533		478		504		517		529		533		539		545^	
सीटों की कुल संख्या, नामनिर्देशित सदस्यों सहित	499		500		503		523		521		544		544		545		545		545		545		545		545		545		545	

प्रतिशत, जानकारी देने वाले सदस्यों की कुल संख्या पर आधारित है।

^18.5.2009 को पंद्रहवीं लोक सभा के गठन की तारीख के अनुसार, जिसमें दो नामनिर्देशित सदस्य और श्री राजबब्बर जो 7.11.2009 को हुए उप-चुनाव में निर्वाचित हुए थे, भी शामिल हैं।

ग्राफ 24 : सदस्यों की शैक्षिक पृष्ठभूमि (प्रतिशत में)
(पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

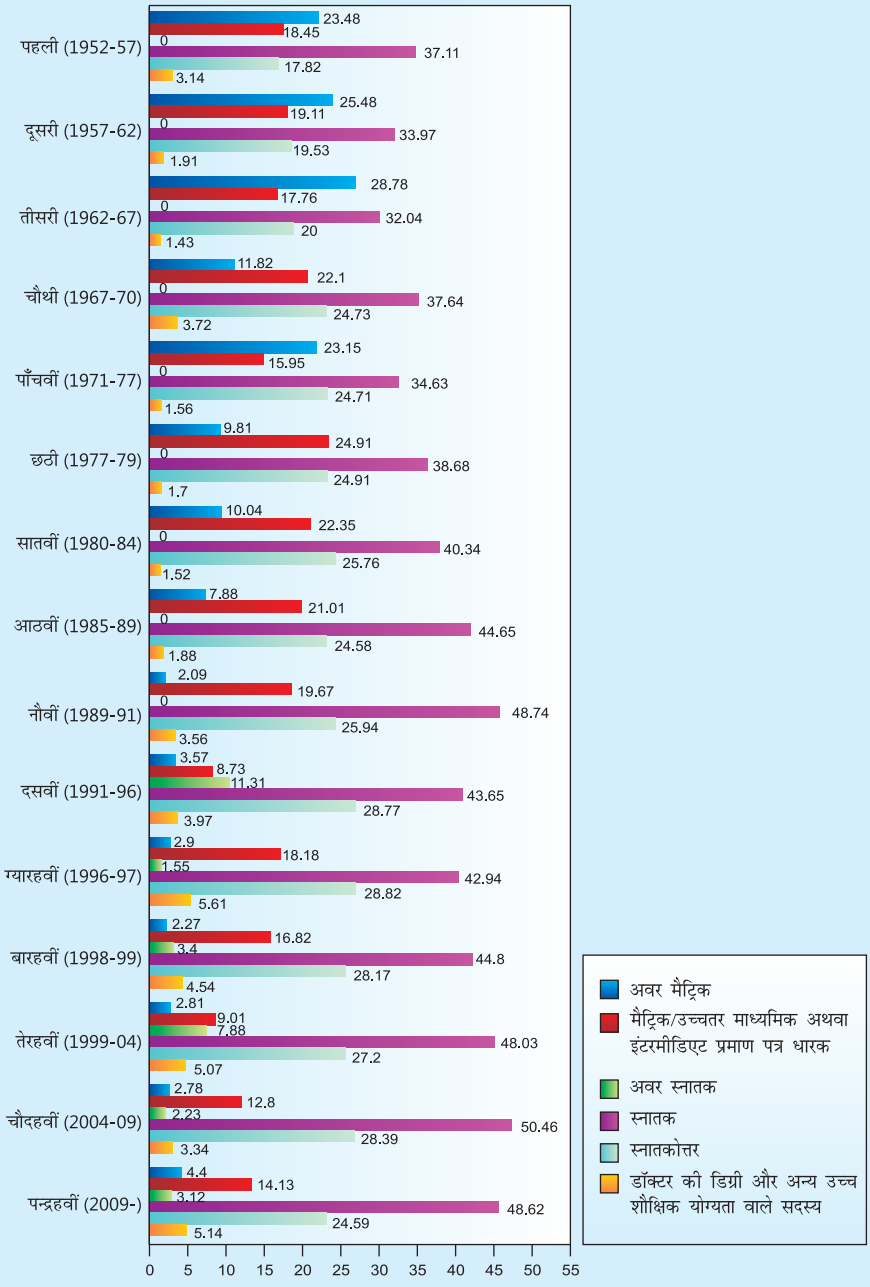

ग्राफ 25 : सदस्यों की शैक्षिक पृष्ठभूमि
(पन्द्रहवीं लोक सभा)

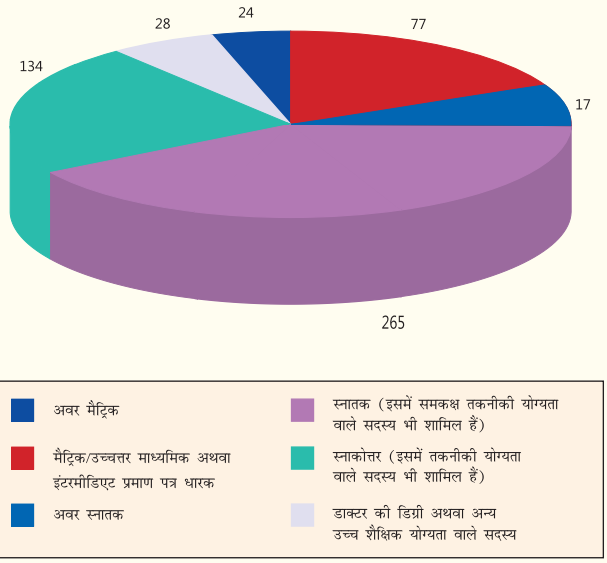

यह प्रतिशत 4.4 है। मैट्रिकुलेट/उच्चतर माध्यमिक या इंटरमीडिएट सर्टिफिकेटधारी सदस्यों का प्रतिशत भी छठी लोक सभा में इसके उच्चतम 24.91 प्रतिशत से गिरकर दसवीं लोक सभा में निम्नतम 8.73 प्रतिशत हो गया। तथापि, यदि अवर स्नातक श्रेणी के साथ इस श्रेणी को मिलाकर देखें तो इस श्रेणी के सदस्यों का प्रतिशत विभिन्न लोक सभाओं में 15–25 प्रतिशत के आसपास रहा है।

यदि किसी एक श्रेणी की बात करें, तो स्नातकों का प्रतिनिधित्व सभी लोक सभाओं में सर्वाधिक रहा है और चौदहवीं लोक सभा में यह सर्वाधिक, अर्थात् 50.46 प्रतिशत है। सातवीं लोक सभा से अब तक इस श्रेणी का 40 प्रतिशत से अधिक प्रतिनिधित्व रहा है। श्रेणी–वार, स्नातकोत्तर की संख्या में लगातार वृद्धि होती आई है और पहली लोक सभा में अपने उच्चतम प्रतिशत 17.82 से बढ़कर यह ग्यारहवीं लोक सभा में उच्चतम 28.82 प्रतिशत तक पहुंची है। तथापि, पन्द्रहवीं लोक सभा में यह प्रतिशत गिरकर 24.59 प्रतिशत हो गया है। डॉक्टर उपाधि या अन्य उच्चतर शैक्षिक योग्यता रखने वाले सदस्यों की संख्या जो पहली लोक सभा में 3.14 प्रतिशत थी, बढ़कर पन्द्रहवीं लोक सभा में 5.14 प्रतिशत हो गई है।

संसद सदस्यता के विश्लेषण की एक खास विशेषता, उत्तरोत्तर लोक सभाओं में सदस्यों की शैक्षिक योग्यता से संबंधित ग्राफ का लगातार ऊंचा उठना रही है। स्नातक एवं इससे उच्च शैक्षिक योग्यता वाले सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ी है और चौदहवीं लोक सभा 'सर्वाधिक शिक्षित सभा'

के रूप में उभरी। स्नातक एवं उच्चतर शैक्षिक योग्यता वाले सदस्यों का प्रतिनिधित्व, जो पहली लोक सभा में केवल 58.07 प्रतिशत था, चौदहवीं लोक सभा में आकर अत्युच्च 82.19 प्रतिशत हो गया। पन्द्रहवीं लोक सभा में यह संयुक्त प्रतिनिधित्व थोड़ा कम होकर 78.35 प्रतिशत हुआ है।

व्यावसायिक ब्यौरा

विभिन्न लोक सभाओं के सदस्यों की व्यावसायिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करने हेतु उन्हें विभिन्न व्यवसायों और पेशों में श्रेणीबद्ध किया गया है। जहां किसी सदस्य ने एक से अधिक व्यवसायों में संलग्न होना दर्शाया, वहां केवल उस सूची में सबसे पहले प्रदर्शित व्यवसाय को ही ब्यौरे में लिया गया।

पहली और दूसरी लोक सभाओं में, कृषक सदस्यों का वर्ग दूसरा सबसे बड़ा समूह था। तत्पश्चात्, विभिन्न लोक सभाओं में इनकी संख्या बढ़ती गई। तीसरी लोक सभा से लेकर पन्द्रहवीं लोक सभा तक, व्यावसायिक श्रेणियों में यह वर्ग सबसे बड़ा रहा है। इससे जाहिर होता है कि अधिकांश सदस्य ग्रामीण पृष्ठभूमि से आ रहे हैं जो कि भारत के प्रबल ग्राम्य आर्थिक परिवेश को देखते हुए स्वाभाविक ही है। उत्तरोत्तर लोक सभाओं में इनकी संख्या वृद्धि, शहरी अभिजात्य वर्ग से जमीनी स्तर के व्यक्ति की ओर शक्ति के विकेन्द्रीकरण की एक सुनिश्चित प्रवृत्ति भी दर्शाती है।

लोक सभा के इतिहास के आरंभिक वर्षों के दौरान, पहली और दूसरी लोक सभाओं में वकीलों का वर्ग एकमात्र सबसे बड़ा वर्ग रहा था। तत्पश्चात्, अर्थात् तीसरी से आठवीं लोक सभा तक, कृषक सदस्यों के वर्ग ने उन्हें दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया; तथापि, चौथी लोक सभा में वे तीसरे सबसे बड़े वर्ग के स्थान पर पहुंचे थे। उसके बाद, इनकी संख्या में लगातार गिरावट आती चली गई है।

राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बतौर एक श्रेणी अध्ययनार्थ पहली बार तीसरी लोक सभा में शामिल किया गया। तब से, इस श्रेणी का प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ता गया है और चौथी लोक सभा में यह दूसरा सबसे बड़ा वर्ग था; फिर नौवीं से पन्द्रहवीं लोक सभा तक इसकी यही स्थिति बनी रही है। आठवीं लोक सभा में अपने अल्पतम प्रतिशत 16.04 से बढ़कर इसका प्रतिशत पन्द्रहवीं लोक सभा में उच्चतम 27.07 हुआ है। राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक श्रेणी के रूप में उभरना भारतीय राजनीतिक प्रणाली के कार्यकरण के परिप्रेक्ष्य में अपना एक महत्व रखता है और इस तथ्य को दर्शाता है कि अनेक सदस्यों के लिए राजनीतिक या संसदीय कार्य पूर्णकालिक व्यवसाय है।

विगत वर्षों के दौरान, अन्य विभिन्न व्यावसायिक श्रेणियों के सदस्यों ने भी राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश किया है। तालिका 25 में सभी पन्द्रह लोक सभाओं के सदस्यों के व्यावसायिक ब्यौरे को उनकी संख्या एवं प्रतिशत के पदों में, 24 श्रेणियों में विभाजित करते हुए विस्तृत ढंग से दर्शाया गया है। ग्राफ 26 में पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्यों की व्यावसायिक पृष्ठभूमि दर्शाई गई है।

महिला सदस्य

स्वतंत्रता के पश्चात्, भारत के संविधान ने 25 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी वयस्क नागरिकों, चाहे वे पुरुष हों या महिला, को जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अवसर प्रदान किया और

तालिका 25 : सदस्यों की व्यावसायिक पृष्ठभूमि
(पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

पूर्व व्यवसाय	पहली लो.स.		दूसरी लो.स.		तीसरी लो.स.		चौथी लो.स.		पांचवीं लो.स.		छठी लो.स.		सातवीं लो.स.		आठवीं लो.स.		नौवीं लो.स.		दसवीं लो.स.		ग्यारहवीं लो.स.		बारहवीं लो.स.		तेरहवीं लो.स.		चौदहवीं लो.स.		पंद्रहवीं लो.स.	
	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
कृषक/बागवानी विशेषज्ञ	97	22.45	141	29.01	129	27.45	154	30.62	168	33.20	189	36.00	206	39.39	203	38.30	230	44.15	163	32.09	207	38.69	261	49.06	230	42.67	222	41.89	193	35.54
कलाकार	–	–	–	–	–	–	1	0.20	–	–	–	–	1	0.19	5	0.94	4	0.77	5	0.98	7	1.31	6	1.13	8	1.48	7	1.32	10	1.84
व्यवसायी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23	4.53	31	5.79	8	1.50	22	4.08	30	5.66	48	8.84
चार्टर्ड अकाउंटेंट	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	0.19	2	0.37	1	0.19	1	0.18
सिविल, पुलिस और सैन्य सेवा	16	3.70	19	3.91	4	0.85	16	3.18	17	3.36	9	1.71	5	0.96	16	3.02	6	1.15	16	3.15	13	2.43	10	1.88	8	1.48	3	0.57	6	1.10
सहकारी नेता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	0.75	–	–	–	–	–	–	–	–
राजनयिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	0.58	4	0.79	4	0.75	2	0.38	–	–	–	–	1	0.18
अर्थशास्त्री	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	0.19	–	–	1	0.19	1	0.19	–	–	–	–	–	–
इंजीनियर और प्रौद्योगिकीविद	–	–	–	–	4	0.85	7	1.39	6	1.19	5	0.95	6	1.15	4	0.75	11	2.11	7	1.38	9	1.68	5	0.94	8	1.48	6	1.13	8	1.47
पूर्व शासक	5	1.16	7	1.44	10	2.13	7	1.39	2	0.40	3	0.57	1	0.19	3	0.57	2	0.38	3	0.59	–	–	2	0.38	1	0.19	1	0.19	–	–
न्यायाधीश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	0.19	1	0.19	1	0.19	–	–
औद्योगिक श्रमिक/ मजदूर नेता	–	–	–	–	1	0.21	1	0.20	–	–	9	1.71	4	0.76	7	1.32	2	0.38	4	0.79	4	0.75	11	2.07	9	1.67	3	0.57	2	0.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
पत्रकार/लेखक	45	10.42	50	10.29	27	5.74	24	4.77	32	6.32	11	2.10	15	2.87	7	1.32	14	2.69	11	2.17	8	1.50	7	1.32	9	1.67	14	2.64	6	1.10
वकील	153	35.42	147	30.25	115	24.47	88	17.50	103	20.36	123	23.43	116	22.18	101	19.06	80	15.36	83	16.34	65	12.15	54	10.15	66	12.24	65	12.26	55	10.13
प्रबंध सलाहकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	0.37	2	0.38	2	0.37	4	0.75	4	0.74
चिकित्सक	21	4.86	17	3.50	14	2.98	14	2.78	9	1.78	10	1.90	10	1.91	21	3.96	18	3.45	25	4.92	16	2.99	17	3.20	17	3.15	14	2.64	20	3.68
पायलट	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	0.19	1	0.20	2	0.37	–	–	1	0.19	–	–	–	–
राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ता	–	–	–	–	88	18.72	115	22.86	96	18.97	105	20.00	90	17.21	85	16.04	89	17.08	92	18.11	104	19.44	96	18.05	108	20.04	126	23.77	147	27.07
धार्मिक प्रचारक	–	–	–	–	1	0.21	4	0.80	2	0.40	–	–	1	0.19	1	0.19	–	–	3	0.59	1	0.19	4	0.75	2	0.37	1	0.19	1	0.18
वैज्ञानिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	0.20	–	–	–	–	1	0.19	1	0.19	–	–
खिलाड़ी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	0.39	–	–	3	0.56	2	0.37	1	0.19	2	0.37
अध्यापक और शिक्षाविद	43	9.95	55	11.32	27	5.74	33	6.56	36	7.11	44	8.38	35	6.69	41	7.74	41	7.87	49	9.65	43	8.04	28	5.26	33	6.12	22	4.15	25	4.60
व्यापारी और उद्योगपति	52	12.04	50	10.29	50	10.64	39	7.76	35	6.92	17	3.24	33	6.31	36	6.79	19	3.65	16	3.15	14	2.62	12	2.26	9	1.67	–	–	14	2.58
पशु चिकित्सक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	0.19	–	–	8	1.51	–	–
जानकारी देने वाले कुल सदस्यों की संख्या	432		486		470		503		506		525		523		530		521		508		535		532		539		530		543^	
सीटों की कुल संख्या नामनिर्देशित सदस्यों सहित	499		500		503		523		521		544		544		545		545		545		545		545		545		545		545	

प्रतिशत, जानकारी देने वाले सदस्यों की कुल संख्या पर आधारित है।

^18.5.2009 को पंद्रहवीं लोक सभा के गठन की तारीख के अनुसार जिसमें दो नामनिर्देशित सदस्य और श्री राजबब्बर जो 7.11.2009 को हुए उप-चुनाव में निर्वाचित हुए थे, भी शामिल हैं।

ग्राफ 26 : सदस्यों की व्यावसायिक पृष्ठभूमि (पन्द्रहवीं लोक सभा)

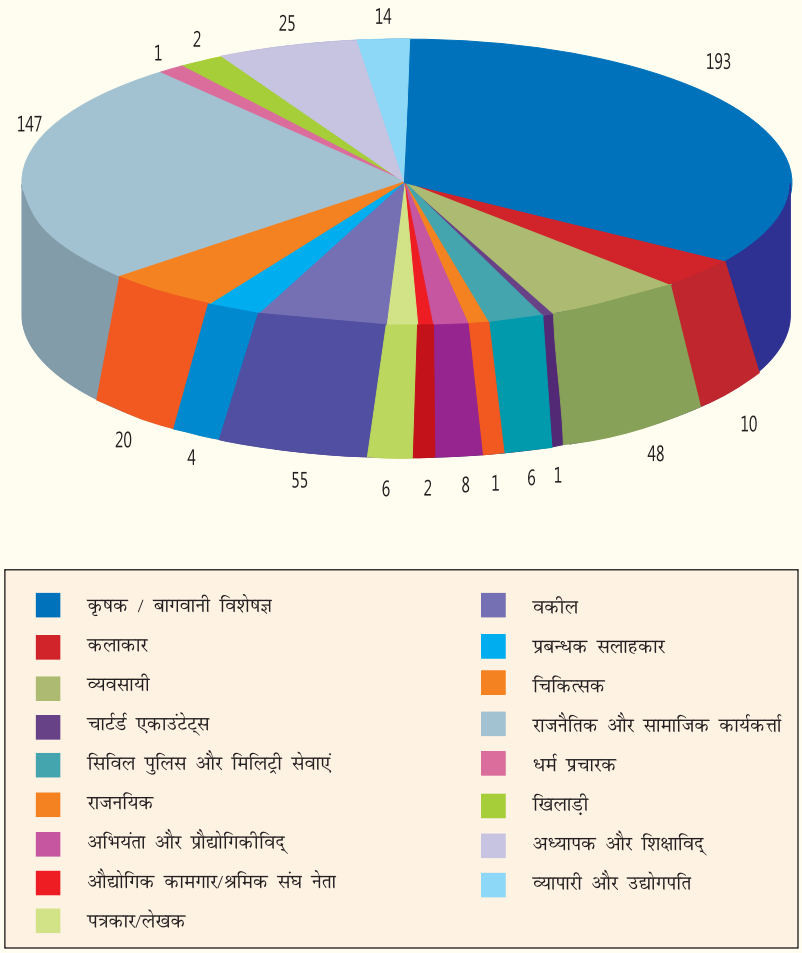

ऐसे प्रतिनिधि के निर्वाचन हेतु वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अंगीकार किया। तथापि, प्रचलित पारंपरिक मानदण्डों और समाज में पुरुष और महिलाओं के लिए सांस्कृतिक रूप से अध्यारोपित भूमिकाओं के कारण लोक सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने की गति मंद रही है, जैसा तालिका 26 और ग्राफ 27 में दर्शाया गया है।

पहली लोक सभा में निर्वाचित 22 महिला सदस्यों (4.41 प्रतिशत) के मुकाबले, पन्द्रहवीं लोक सभा में यह संख्या लगभग तिगुनी होकर अब तक सर्वाधिक, अर्थात् 60 हो गई है (11.01 प्रतिशत)। तथापि, वर्ष 2011 में महिला प्रतिनिधियों के वैश्विक औसत, अर्थात् 19.7 प्रतिशत, की तुलना में लोक सभा में महिला सदस्यों का प्रतिशत न्यून ही दिखता है। पूर्ववर्ती लोक सभाओं, अर्थात् सातवीं लोक सभा से अब तक की लोक सभा में सदस्यों का विधायी अनुभव पुराने व नए सदस्यों के बीच बढ़िया संगम का उदाहरण पेश करता है। पन्द्रहवीं लोक सभा में न केवल अब तक की सर्वाधिक महिला सदस्य संख्या है, बल्कि नई महिला सदस्यों की भी सर्वाधिक संख्या है और पूर्ववर्ती लोक सभाओं का अनुभव रखने वाली सदस्यों की भी प्राय: समान संख्या है।

महिला सदस्यों के आयुगत ब्यौरे का तुलनात्मक अध्ययन तालिका 27 में किया गया है। सातवीं लोक सभा और आगे की लोक सभाओं का आकलन दर्शाता है कि सभा की कुल सदस्यता से संबंधित समान्य रुझान की तरह ही, अधिकांश लोक सभाओं में महिला सदस्यों की अधिकतम संख्या 15 वर्ष के अंतराल वाले 41–55 वर्ष आयु वर्ग में रही है। जहां दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभाओं में उक्त संख्या 15 वर्ष के अंतराल वाले 36–50 वर्ष आयु वर्ग में अधिक हुई, वहीं सातवीं लोक सभा में 46–60 वर्ष आयु वर्ग में संख्या वृद्धि दिखाई दी। ग्राफ 28 में पन्द्रहवीं लोक सभा की महिला सदस्यों को आयु वर्ग-वार दर्शाया गया है।

महिला सदस्यों की शैक्षिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण (तालिका 28 और ग्राफ 29) दर्शाता है कि शिक्षित महिला सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। सातवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और पन्द्रहवीं लोक सभाओं में स्नातकों का वर्ग सबसे बड़ा रहा। सभा में सामान्य प्रवृत्ति के विपरीत, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभाओं में स्नातकोत्तर महिला सदस्यों की संख्या अधिक रही जबकि चौदहवीं लोक सभा में स्नातक और स्नातकोत्तर योग्यता वाले सदस्यों की संख्या सामान्य रूप से अधिक रही। स्नातक और इससे उच्चतर शैक्षिक योग्यता वाली श्रेणी की महिला सदस्यों की संख्या में दसवीं, बारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभाओं के दौरान लगातार इजाफा हुआ और बढ़कर यह प्रतिशत 80 प्रतिशत से भी अधिक हो गया। पन्द्रहवीं लोक सभा में, इनका संयुक्त प्रतिनिधित्व घटकर 78.33 प्रतिशत हो गया है। ग्राफ 30 में पन्द्रहवीं लोक सभा की महिला सदस्यों की शैक्षिक पृष्ठभूमि दर्शाई गई है।

महिला सदस्यों का उनके पूर्व व्यवसाय के अनुसार वर्गीकरण तालिका 29 में दर्शाया गया है। अब तक सामान्य रुझान यही रहा है कि राजनैतिक और सामाजिक कार्य को अपनी अभिरुचि का प्रमुख हिस्सा बताने वाली महिला सदस्यों की संख्या सर्वाधिक रही है जो पूरी सभा के सापेक्ष, जहां कृषक सदस्यों की बहुतायत है, विपरीत स्थिति है। अध्ययनगत नौ लोक सभाओं में से सात में 40 प्रतिशत महिला सदस्यों ने राजनैतिक और सामाजिक कार्य को अपनी व्यवसाय श्रेणी बताया है। सातवीं, आठवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, चौदहवीं और पन्द्रहवीं लोक सभाओं में कृषि को व्यवसाय दर्शाने वाली महिला सदस्यों का वर्ग दूसरा सबसे बड़ा वर्ग रहा है जबकि नौवीं, दसवीं और तेरहवीं लोक सभाओं में शिक्षकों और शिक्षाविदों का प्रतिनिधित्व दूसरे सबसे बड़े वर्ग के रूप में रहा। अन्य व्यवसायों में, महिला सदस्यों के बीच कलाकारों की उपस्थिति आठवीं लोक सभा से और वकीलों की उपस्थिति नौवीं लोक सभा से लगातार रही है। ग्राफ 31 में पन्द्रहवीं लोक सभा की महिला सदस्यों की व्यावसायिक पृष्ठभूमि प्रदर्शित की गई है।

तालिका 26 : महिलाओं का प्रतिनिधित्व (पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा) तथा महिला सदस्यों का विधानमंडलों में कार्य करने का पूर्व अनुभव (सातवीं से पन्द्रहवीं लोक सभा)

लोक सभा	सीटों की कुल संख्या	महिला सदस्यों की संख्या	कुल संख्या का प्रतिशत	पूर्व लोक सभाओं में कार्यकाल की संख्या में महिला सदस्यों का विधानमंडलों में कार्य करने का पूर्व अनुभव						
				नए सदस्य	एक लोक सभा	दो लोक सभा	तीन लोक सभा	चार लोक सभा	पांच लोक सभा	छह लोक सभा
पहली	499	22	4.41	—	—	—	—	—	—	—
दूसरी	500	27	5.40	—	—	—	—	—	—	—
तीसरी	503	34	6.76	—	—	—	—	—	—	—
चौथी	523	31	5.93	—	—	—	—	—	—	—
पांचवीं	521	22	4.22	—	—	—	—	—	—	—
छठी	544	19	3.49	—	—	—	—	—	—	—
सातवीं	544	28	5.15	19	4	2	3	—	—	—
आठवीं	544	44	8.09	23	13	6	2	—	—	—
नौवीं	529	28	5.29	15	4	5	4	—	—	—
दसवीं	509	36	7.07	18	9	5	1	2	1	—
ग्यारहवीं	543	40	7.37	23	11	4	—	1	1	—
बारहवीं	545	44	8.07	23	10	5	4	—	1	1
तेरहवीं	543	49	9.02	19	17	5	4	4	—	—
चौदहवीं	545	45*	8.26	27	6	7	2	1	2	—
पन्द्रहवीं	545	60^	11.01	31	14	8	3	1	1	2

*17.5.2004 को चौदहवीं लोक सभा के गठन की तारीख पर, और इसमें छह महिला सदस्य जो बाद में उप-चुनाव में निर्वाचित हुईं और चौदहवीं लोक सभा के लिए नामनिर्देशित एक महिला सदस्य शामिल नहीं हैं।

^18.5.2009 को पंद्रहवीं लोक सभा के गठन की तारीख पर, जिसमें नामनिर्देशित सदस्य और श्रीमती पुतुल कुमारी जो नवंबर, 2010 में हुए उप-चुनाव में निर्वाचित हुईं, भी शामिल हैं।

ग्राफ 27 : महिला सदस्यों का प्रतिनिधित्व (पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा)

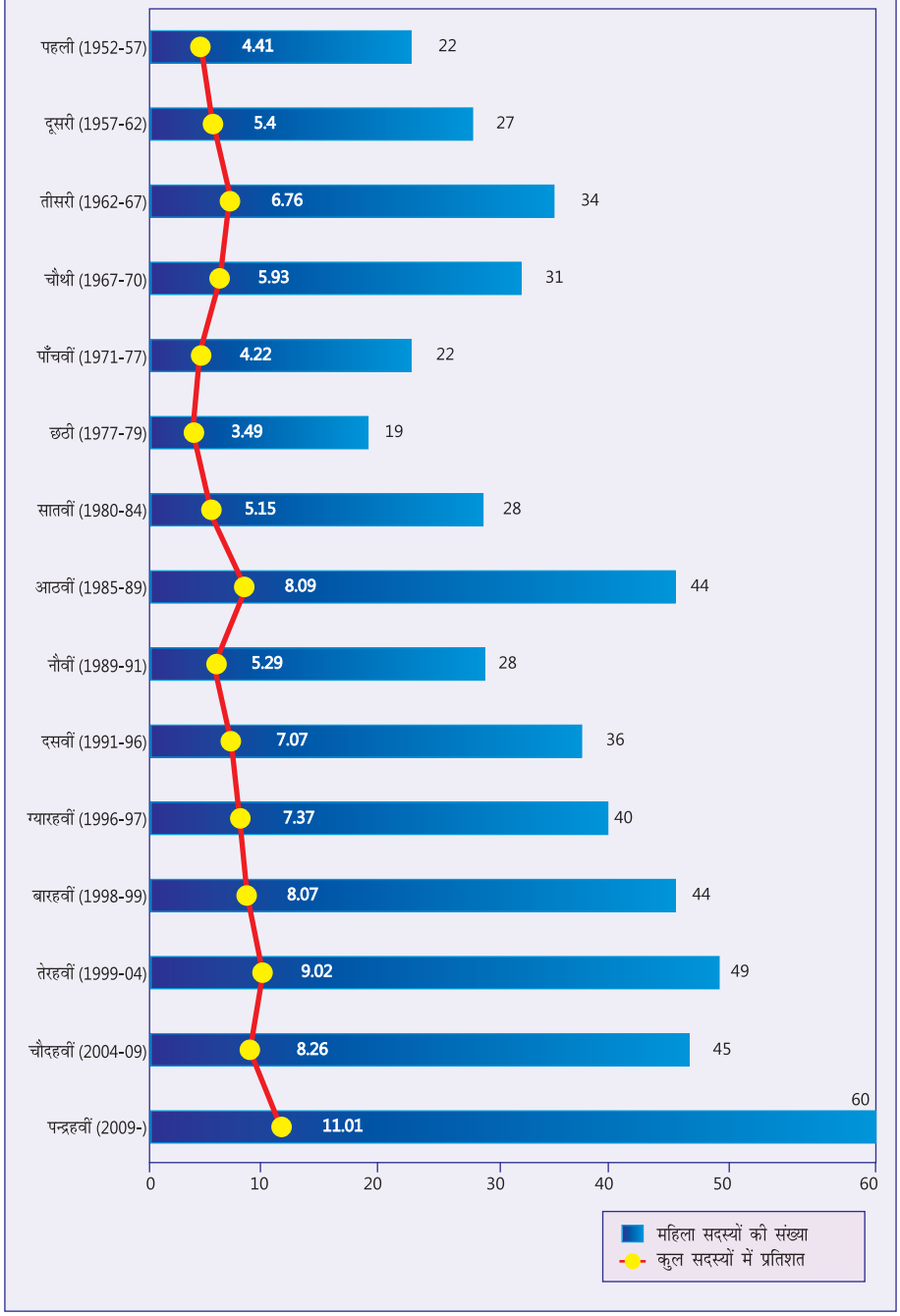

तालिका 27 : महिला सदस्यों का आयु वर्ग के आधार पर वर्गीकरण
(सातवीं लोक सभा से पन्द्रहवीं लोक सभा)

आयु-वर्ग	सातवीं लो.स.		आठवीं लो.स.		नौवीं लो.स.		दसवीं लो.स.		ग्यारहवीं लो.स.		बारहवीं लो.स.		तेरहवीं लो.स.		चौदहवीं लो.स.		पंद्रहवीं लो.स.	
	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
25-30 वर्ष	–	–	1	2.27	1	3.70	4	11.11	–	–	2	4.55	1	2.08	4	8.89	4	6.78
31-35 वर्ष	1	3.57	2	4.55	2	7.41	3	8.33	3	8.11	4	9.09	4	8.33	3	6.67	5	8.47
36-40 वर्ष	3	10.71	3	6.82	2	7.41	4	11.11	8	21.62	4	9.09	7	14.58	3	6.67	7	11.86
41-45 वर्ष	4	14.29	5	11.36	5	18.52	8	22.22	8	21.62	12	27.27	8	16.67	11	24.44	11	18.64
46-50 वर्ष	6	21.43	7	15.91	5	18.52	4	11.11	5	13.51	8	18.18	7	14.58	11	24.44	11	18.64
51-55 वर्ष	4	14.29	9	20.45	4	14.81	2	5.56	4	10.81	3	6.82	7	14.58	5	11.11	8	13.56
56-60 वर्ष	6	21.43	5	11.36	2	7.41	5	13.89	4	10.81	4	9.09	6	12.50	6	13.33	5	8.47
61-65 वर्ष	3	10.71	6	13.64	2	7.41	3	8.33	–	–	2	4.55	5	10.42	2	4.44	6	10.17
66-70 वर्ष	–	–	5	11.36	1	3.70	1	2.78	2	5.41	3	6.82	3	6.25	–	–	2	3.39
71-75 वर्ष	1	3.57	1	2.27	3	11.11	2	5.56	2	5.41	1	2.27	–	–	–	–	–	–
76-80 वर्ष	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2.70	1	2.27	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
जानकारी देने वाले कुल सदस्यों की संख्या	28		44		27		36		37		44		48		45		59	
महिला सदस्यों की कुल संख्या	28		44		28		36		40		44		49		45*		60^	
सीटों की कुल संख्या नामनिर्देशित सदस्यों सहित	544		545		545		545		545		545		545		545		545	

प्रतिशत, जानकारी देने वाले सदस्यों की कुल संख्या पर आधारित है।

*17.5.2004 को चौदहवीं लोक सभा के गठन की तारीख पर, और इसमें छह महिला सदस्य जो बाद में उप-चुनाव में निर्वाचित हुईं और चौदहवीं लोक सभा के लिए नामनिर्देशित एक महिला सदस्य शामिल नहीं हैं।

^18.5.2009 को पंद्रहवीं लोक सभा के गठन की तारीख पर, जिसमें एक नामनिर्देशित सदस्य और श्रीमती पुतुल कुमारी जो नवंबर, 2010 में हुए उप-चुनाव में निर्वाचित हुईं, भी शामिल हैं।

ग्राफ 28 : महिला सदस्यों का आयु-वर्ग के आधार पर वर्गीकरण (पन्द्रहवीं लोक सभा)

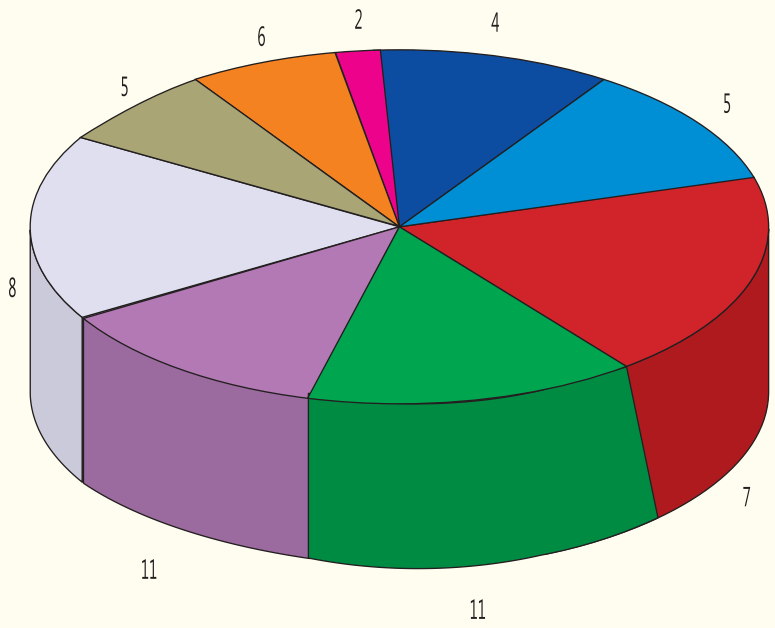

तालिका 28 : महिला सदस्यों की शैक्षिक पृष्ठभूमि
(सातवीं लोक सभा से पन्द्रहवीं लोक सभा)

शैक्षिक योग्यता	सातवीं लो.स.		आठवीं लो.स.		नौवीं लो.स.		दसवीं लो.स.		ग्यारहवीं लो.स.		बारहवीं लो.स.		तेरहवीं लो.स.		चौदहवीं लो.स.		पंद्रहवीं लो.स.	
	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
अवर मैट्रिक	7	25.00	3	6.82	1	3.70	2	5.56	3	8.33	3	6.98	1	2.08	1	2.22	3	5.00
मैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट प्रमाण-पत्र धारक	4	14.29	14	31.82	7	25.93	1	2.78	8	22.22	3	6.98	5	10.42	6	13.33	6	10.00
अवर स्नातक	-	-	-	-	-	-	3	8.33	-	-	1	2.33	1	2.08	2	4.44	4	6.67
स्नातक (इसमें समकक्ष तकनीकी योग्यता वाले भी शामिल हैं)	9	32.14	14	31.82	10	37.04	17	47.22	14	38.89	16	37.21	14	29.17	17	37.78	25	41.67
स्नातकोत्तर (तकनीकी योग्यता वाले भी शामिल हैं)	7	25.00	10	22.73	6	22.22	8	22.22	7	19.44	17	39.53	22	45.83	17	37.78	20	33.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
डाक्टर की डिग्री अथवा अन्य उच्च शैक्षिक योग्यता धारक	1	3.57	3	6.82	3	11.11	5	13.89	4	11.11	3	6.98	5	10.42	2	4.44	2	3.33
जानकारी देने वाले कुल सदस्यों की संख्या	28		44		27		36		36		43		48		45		60	
महिला सदस्यों की कुल संख्या	28		44		28		36		40		44		49		45*		60^	
सीटों की कुल संख्या नामनिर्देशित सदस्यों सहित	544		545		545		545		545		545		545		545		545	

प्रतिशत, जानकारी देने वाले सदस्यों की कुल संख्या पर आधारित है।

*17.5.2004 को चौदहवीं लोक सभा के गठन की तारीख पर, और इसमें छह महिला सदस्य जो बाद में उप-चुनाव में निर्वाचित हुईं और चौदहवीं लोक सभा के लिए नामनिर्देशित एक महिला सदस्य शामिल नहीं हैं।

^18.5.2009 को पंद्रहवीं लोक सभा के गठन की तारीख पर, जिसमें एक नामनिर्देशित सदस्य और श्रीमती पुतुल कुमारी जो नवंबर, 2010 में हुए उप-चुनाव में निर्वाचित हुईं, भी शामिल हैं।

ग्राफ 29 : महिला सदस्यों की शैक्षिक पृष्ठभूमि (प्रतिशत में)
(सातवीं से पन्द्रहवीं लोक सभा)

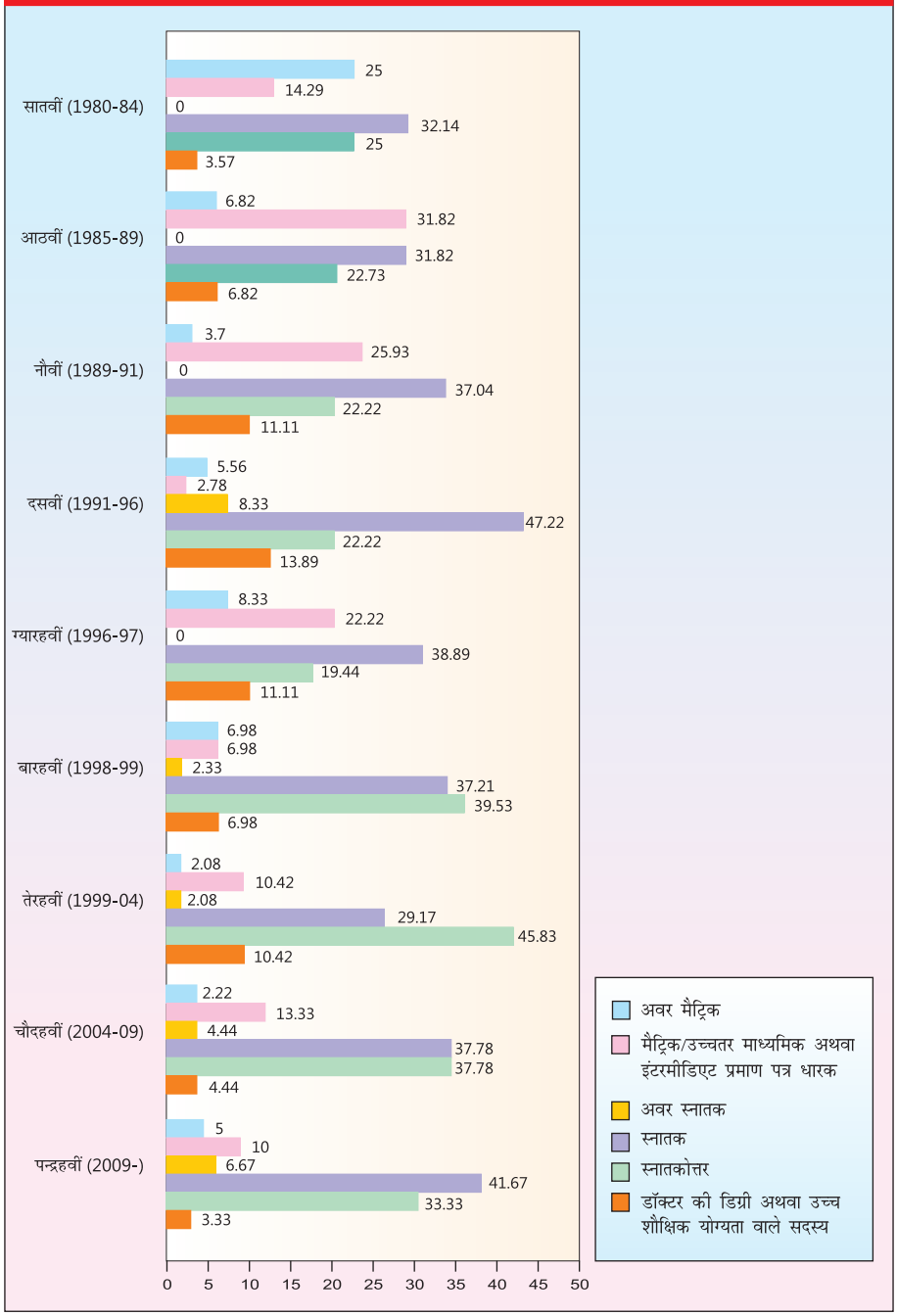

ग्राफ 30 : महिला सदस्यों की शैक्षिक पृष्ठभूमि (पन्द्रहवीं लोक सभा)

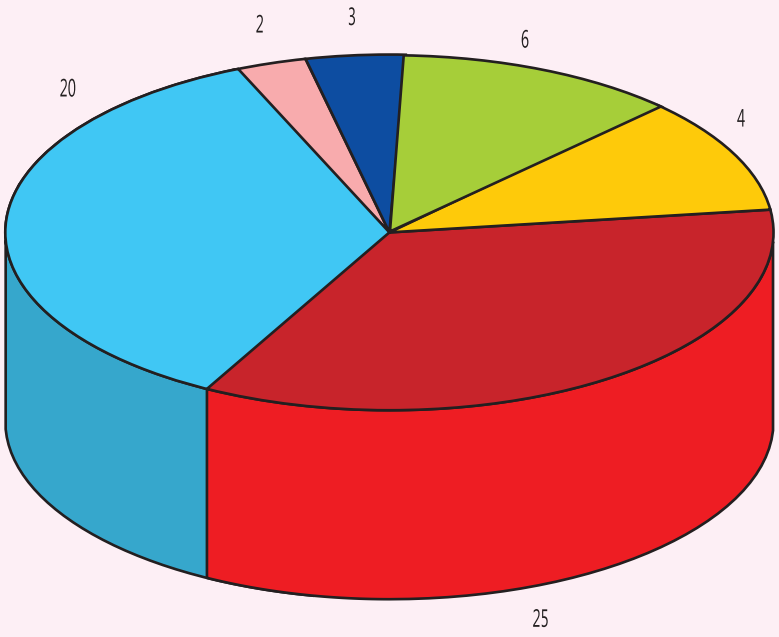

तालिका 29 : महिला सदस्यों की व्यावसायिक पृष्ठभूमि (सातवीं से पन्द्रहवीं लोक सभा)

व्यवसाय	सातवीं लो.स.		आठवीं लो.स.		नौवीं लो.स.		दसवीं लो.स.		ग्यारहवीं लो.स.		बारहवीं लो.स.		तेरहवीं लो.स.		चौदहवीं लो.स.		पंद्रहवीं लो.स.	
	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
कृषक/बागवानी विशेषज्ञ	11	39.29	14	32.56	3	12.00	5	13.89	8	21.62	11	25.00	8	16.33	7	16.67	11	18.33
कलाकार	-	-	1	2.33	2	8.00	1	2.78	2	5.41	1	2.27	1	2.04	1	2.38	4	6.67
व्यावसायी	-	-	-	-	-	-	1	2.78	-	-	1	2.27	1	2.04	2	4.76	5	8.33
सिविल, पुलिस और सैनिक सेवा	1	3.57	1	2.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
राजनयिक	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.70	-	-	-	-	-	-	-	-
पूर्व शासक	-	-	1	2.33	-	-	1	2.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
औद्योगिक श्रमिक/ मजदूर नेता	-	-	-	-	1	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पत्रकार/लेखक	-	-	-	-	1	4.00	-	-	-	-	4	9.09	1	2.04	2	4.76	1	1.67
वकील	-	-	-	-	1	4.00	2	5.56	2	5.41	2	4.55	4	8.16	6	14.29	6	10.00
चिकित्सक	-	-	1	2.33	-	-	1	2.78	-	-	2	4.55	3	6.12	-	-	5	8.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ता	13	46.43	15	34.88	11	44.00	14	38.89	18	48.65	18	40.91	21	42.86	20	47.62	24	40.00
धार्मिक प्रचारक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2.27	1	2.04	–	–	–	–
अध्यापक और शिक्षाविद्	3	10.71	8	18.60	5	20.00	10	27.78	5	13.51	4	9.09	9	18.37	4	9.52	4	6.67
व्यापारी .और उद्योगपति	–	–	2	4.65	1	4.00	1	2.78	1	2.70	–	–	–	–	–	–	–	–
सदस्यों की कुल संख्या जिन्होंने सूचना दी	28		43		25		36		37		44		49		42		60	
महिला सदस्यों की कुल संख्या	28		44		28		36		40		44		49		45*		60^	
सीटों की कुल संख्या इसमें नामनिर्देशित सदस्य शामिल हैं	544		545		545		545		545		545		545		545		545	

प्रतिशत, जानकारी देने वाले सदस्यों की कुल संख्या पर आधारित है।

*17.5.2004 को चौदहवीं लोक सभा के गठन की तारीख के अनुसार और इसमें वे महिला सदस्य शामिल नहीं हैं जो बाद के उप-चुनाव में निर्वाचित हुईं और जो महिला सदस्य चौदहवीं लोक सभा के लिए नामनिर्देशित हुईं।

^18.5.2009 को पन्द्रहवीं लोक सभा के गठन की तारीख के अनुसार जिसमें एक नामनिर्देशित सदस्य और श्रीमती पुतुल कुमारी शामिल हैं जो नवंबर, 2010 में उप-चुनाव में निर्वाचित हुईं, शामिल हैं।

ग्राफ 31 : महिला सदस्यों की व्यावसायिक पृष्ठभूमि (पन्द्रहवीं लोक सभा)

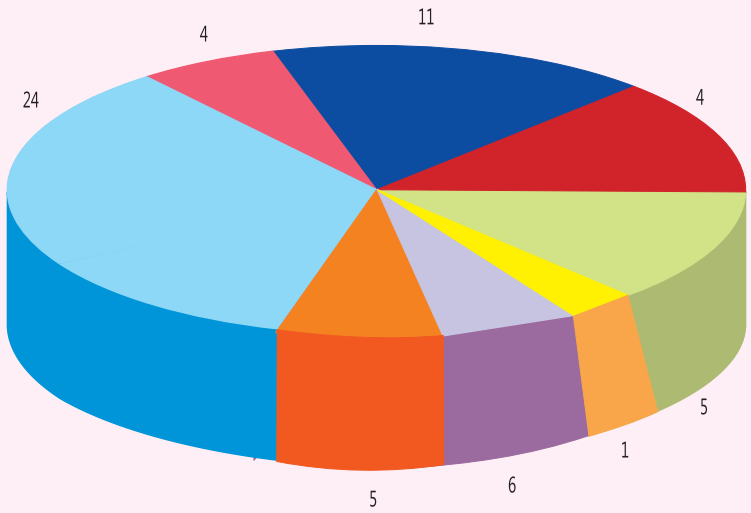

सभी पन्द्रह लोक सभाओं के सदस्यों के वैयक्तिक परिचय का विश्लेषण कुछ दिलचस्प जानकारियां पेश करता है। देखा गया है कि अधिकांश लोक सभाओं में सर्वाधिक सदस्य-संख्या 15 वर्ष के अंतराल वाले 41-55 वर्ष आयु वर्ग में रही है, चाहे वह संपूर्ण सभा की सदस्य-संख्या हो अथवा महिला सदस्यों की। सामान्यत:, 25-35 वर्ष आयु वर्ग में युवा सदस्यों का प्रतिनिधित्व घटा और 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों का अनुपात बढ़ा जिससे सदस्यों की औसत आयु का आंकड़ा बढ़ता गया। एक अन्य रुझान उत्तरोत्तर लोक सभाओं में पुरुष तथा महिला, दोनों लिंगों के सदस्यों की शैक्षिक योग्यता का ग्राफ बढ़ते जाने के संबंध में दर्ज किया गया। सदस्यों के व्यावसायिक ब्यौरे में संपूर्ण सभा और महिला सदस्यों के बीच एक उल्लेखनीय अंतर देखा गया। जहां तीसरी से पन्द्रहवीं लोक सभा में सभा में सबसे बड़ा वर्ग कृषक सदस्यों का रहा है, वहीं महिला सदस्यों में राजनैतिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं का वर्ग सबसे बड़ा है। दूसरे स्थान पर आने वाली व्यावसायिक श्रेणी में भी यह अंतर द्रष्टव्य है—संपूर्ण सभा में राजनैतिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं की सर्वाधिकता और महिला सदस्यों में कृषकों की। संपूर्ण सभा तथा महिला सदस्यों के ब्यौरे के बीच एक अन्य उल्लेखनीय अंतर शैक्षिक पृष्ठभूमि की दृष्टि से है। महिलाओं के बीच अध्ययनगत नौ लोक सभाओं में से दो में स्नातकोत्तर श्रेणी वाले सदस्य सर्वाधिक थे और एक लोक सभा में स्नातकों और स्नातकोत्तरों का समान रूप से उच्च अनुपात रहा।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, लोक सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पहली बार 10 प्रतिशत से अधिक बढ़कर पन्द्रहवीं लोक सभा में 11.01 प्रतिशत हो गया है। यद्यपि पहली लोक सभा की तुलना में उनकी संख्या लगभग तिगुनी हो गई है, लेकिन वर्ष 2011 में इसके वैश्विक औसत 19.7 प्रतिशत के सापेक्ष उनका आनुपातिक प्रतिनिधित्व कम ही है। तथापि, इस परिदृश्य को पूरी तरह निराशाजनक नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसमें बेहतरी के कई संभापित बदलाव होने के पर्याप्त कारण हैं। प्रतिनिधिक संस्थाओं में महिलाओं को समान अवसर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों के अधिनियमन से और मजबूत हुई है जिनके अंतर्गत स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई से अन्यून स्थान आरक्षित किए जाने का उपबंध किया गया है। इस प्रकार के स्थान आरक्षण को एक-तिहाई से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने संबंधी एक विधेयक लोक सभा में पेश किया गया है। इस बीच, भारत के कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षण को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने संबंधी अपने-अपने विधान पारित किए हैं। इसके अलावा, लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई से अन्यून स्थान आरक्षित करने संबंधी प्रावधान करने वाला संविधान (108वां संशोधन) विधेयक, 2008 राज्य सभा में पारित किया जा चुका है और इसे लोक सभा की स्वीकृति मिलनी है।

संदर्भ

1. जी.सी. मलहोत्रा (सं.) *भारतीय संसद के पचास वर्ष,* लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली, 2002
2. लोक सभा सचिवालय, *लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम* (चौदहवां संस्करण), नई दिल्ली, 2010
3. लोक सभा सचिवालय, *भारत का संविधान,* नई दिल्ली, 2011
4. लोक सभा सचिवालय, *फर्स्ट पार्लियामेंट (1952-57): ए सॉवेनियर,* नई दिल्ली, 1957
5. लोक सभा सचिवालय, *सेकेंड लोक सभा (1957-62): एक्टिविटिज एंड एचीवमेंट्स,* नई दिल्ली, 1962
6. लोक सभा सचिवालय, *थर्ड लोक सभा (1962-67): ए सॉवेनियर,* नई दिल्ली, 1967
7. लोक सभा सचिवालय, *फोर्थ लोक सभा (1967-70: ए सॉवेनियर,* नई दिल्ली 1971
8. लोक सभा सचिवालय, *पार्लियामेंट ऑफ इंडिया – द फिफ्थ लोक सभा (1971-76): ए स्टडी,* इंड्स इंटरनेशनल, नई दिल्ली, 1977
9. लोक सभा सचिवालय, *पार्लियामेंट ऑफ इंडिया – द सिक्स्थ लोक सभा (1977-79): ए स्टडी,* नई दिल्ली, 1979
10. लोक सभा सचिवालय, *पार्लियामेंट ऑफ इंडिया – द सेवेन्थ लोक सभा (1980-84): ए स्टडी,* नई दिल्ली, 1985
11. लोक सभा सचिवालय, *पार्लियामेंट ऑफ इंडिया – द ऐट्थ लोक सभा (1985-89): ए स्टडी,* नॉर्दन बुक सेंटर, नई दिल्ली, 1991
12. लोक सभा सचिवालय, *पार्लियामेंट ऑफ इंडिया – द नाइन्थ लोक सभा (1989-91): ए स्टडी,* नॉर्दन बुक सेंटर, नई दिल्ली, 1992
13. लोक सभा सचिवालय, *भारतीय संसद – दसवीं लोक सभा (1991-96): एक अध्ययन,* नई दिल्ली, 1997
14. लोक सभा सचिवालय, *भारत की संसद – ग्यारहवीं लोक सभा (1996-97): एक अध्ययन,* नई दिल्ली, 1999
15. लोक सभा सचिवालय, *भारत की संसद – बारहवीं लोक सभा (1998-99): एक अध्ययन,* नई दिल्ली, 2000
16. लोक सभा सचिवालय, *भारत की संसद – तेरहवीं लोक सभा (1999-2004)* नई दिल्ली, 2008
17. लोक सभा सचिवालय, *भारत की संसद – चौदहवीं लोक सभा (2004-09): एक अध्ययन,* नई दिल्ली, 2010

18. लोक सभा सचिवालय, *सेशन-वाईज रिजुमे ऑफ वर्क डन बाई लोक सभा,* (पन्द्रहवीं लोक सभा का पहले से नौवां सत्र)

19. लोक सभा सचिवालय, *सदस्य परिचय, तेरहवीं लोक सभा,* नई दिल्ली, 2000

20. लोक सभा सचिवालय, *सदस्य परिचय, चौदहवीं लोक सभा,* नई दिल्ली, 2005

21. लोक सभा सचिवालय, *सदस्य परिचय, पन्द्रहवीं लोक सभा,* नई दिल्ली, 2011

22. *फिफ्टी ईयर्स ऑफ लोक सभा (1952-2002): ए स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल,* लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली, 2003

23. लोक सभा सचिवालय की विभिन्न शाखाओं से प्राप्त सामग्री

24. विधि और न्याय मंत्रालय तथा भारत के निर्वाचन आयोग से प्राप्त सामग्री

25. पी.डी.टी. आचारी, (सं.) *भारत की संसद*, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली, 2008

26. पी.डी.टी. आचारी, (सं.) *एम.एन. कौल और एस.एल. शकधर की संसदीय पद्धति और प्रक्रिया* (छठा संस्करण) मेट्रोपोलिटन बुक कं. प्रा.लि., नई दिल्ली, 2009

27. सुभाष सी. कश्यप, *हिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वोल्यूम-2,* शिप्रा पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 1995